खण्ड-152, अंक-5
शुक्रवार, 4 चैत्र, शक संवत् 1877
(25 मार्च, 1955 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 152 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में किये गये संशोधन (प्रतिलिपि मेज पर रखी गयी) ३९०

१९५५–५६ के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––विविध अनुदानों पर विचारार्थ समय विभाजन ३९१–३९२

अनुदान संख्या २७–लेखा शीर्षक ४३–उद्योग, अनुदान संख्या ३७–लेखा शीर्षक ५६––लेखन सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि––सरकारी छापाखाना तथा अनुदान संख्या ४५–लेखा शीर्षक ७२––औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत (स्वीकृत) .. ३९३–४५२

नत्थियां ४५३–४५९

संसद भवन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २५ मार्च, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६४)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसराइल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री

घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगुल किशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाता राम, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री

बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा , श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शावय, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेश वर्मा , श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहनसिंह,श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री

रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती

सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त , श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २५ मार्च, १९५५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

इन्स्पेक्टर जनरल आफ प्रिजन्स के दफ्तर में गबन

**१--श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--- क्या यह सत्य है कि इन्सपेक्टर जनरल जेल के दफ्तर में एक भारी रकम का गबन हुआ है ? यदि प्रश्न का उत्तर हां है, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या इस गवन की जाँच कराई गई है ? यह गबन किस प्रकार का और कितने रुपये का है और इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

कारावास उपमंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)--जी हां । इन्सपेक्टर जनरल आफ़ प्रिजन्स के दफ्तर में जनवरी और फरवरी, १९५४ में १८,५०० रुपया का गबन हुआ था, जिसकी जांच कराई गई और यह पता चला है कि इन्सपेक्टर जनरल आफ प्रिजन्स के दफ्तर के बिलों के आंकड़ों को बढ़ा कर और ट्रेजरी से अधिक रुपया निकाल कर गबन किया गया था। गवन में भाग लेने का संदेह निम्नलिखित कर्मचारियों पर किया जाता है :

(१) श्री एम० पी० सिन्हा, कैशियर, आई० जी० प्रिजन्स आफिस,
(२) श्री जे० आर० चक्रवर्ती, सहायक सुपरिन्टेन्डेन्ट, आई० जी० प्रिजन्स आफिस,
(३) श्री राजा राम सिंह, असिस्टेंट, आई० जी० प्रिजन्स आफिस,
(४) श्री जे० पी० श्रीवास्तव, ट्रेजरी असिस्टेन्ट, लखनऊ ट्रेजरी और
(५) श्री देवी चरण दीक्षित, आडीटर, ए० जी० आफिस, यू० पी० इलाहाबाद।

श्री रामकुमार शास्त्री--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इस गबन की जानकारी सबसे पहले किसको हुई ?

श्री मुजफ्फर हसन--इस गबन की जानकारी मई, १९५४ के शुरू में इंस्पेक्टर जनरल आफ प्रिजन्स के दफ्तर में हिसाब के आडिट के समय हुई ।

श्री राम कुमार शास्त्री--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इस गबन की तहकीकात किसके द्वारा कराई गई ?

श्री मुजफ्फर हसन--सी० आई० डी० के द्वारा ।

श्री अध्यक्ष--मैं यह जानना चाहूंगा स्पष्टीकरण के लिये कि यह मामला अदालत के सुपुर्द है या नहीं ?

श्री मुजफ्फर हसन--जी हां ।

श्री रामकुमार शास्त्री--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि किस स्टेज पर आजकल यह मुकद्मा है ?

श्री मुजफ्फर हसन--जिनके ऊपर सन्देह हुआ वे गिरफ्तार किये गये और अब जमानत पर छूटे हुए हैं और इसके लिये तारीख नियत हो चुकी है ।

श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि यह गबन जब मुख्तलिफ तारीखों में हुआ है तो कितने महीनों के दौरान में गुजरा ?

श्री मुजफ्फर हसन--यह जनवरी और फरवरी में हुआ है ।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कितने रुपये का गबन हुआ है?

श्री अध्यक्ष--यह तो ऊपर संख्या दी हुई है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितना रुपया बढ़ा करके बिलों में लिखा गया है ?

श्री अध्यक्ष--इसका टोटल तो बता दिया गया है कि कुल १८,५०० का गबन हुआ है । मैं इस पूरक प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सी० आई० डी० के किस रैंक के अफसर द्वारा यह इंवेस्टीगेशन हो रहा है ?

श्री मुजफ्फर हसन--यह तफसील तो इस वक्त मैं नहीं बता सकता ।

तारांकित प्रश्न

जिला हमीरपुर में नवीन कृषि शिक्षा योजना

*१--श्री जोरावर वर्मा--क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला हमीरपुर में नवीन कृषि शिक्षा योजना कितने प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल व हायर सेकेन्डरी स्कूलों में चालू की गई है ? क्या सरकार इन स्कूलों की एक लिस्ट मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)--जिला हमीरपुर में नवीन कृषि शिक्षा योजना १९ जूनियर हाई स्कूलों तथा एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में संचालित की गयी है । इन स्कूलों की सूची संलग्न है ।

प्राइमरी स्कूलों में यह योजना नहीं लागू की गयी है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४५३ पर)

*२--श्री जोरावर वर्मा--क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इन स्कूलों में किसको कितनी जमीन, हल, बैल आदि कृषि योजना को कार्यान्वित करने के लिये प्राप्त हो गई है ?

डाक्टर सीताराम--प्रत्येक विद्यालय को जितनी जमीन प्राप्त हुई है उसकी सूचना उपर्युक्त सूची में अंकित है । हल प्रत्येक विद्यालय को दिये जा चुके हैं। ८ विद्यालयों के लिये बैल तथा ६ के लिये सिंचाई के साधन के लिये भी अनुदान दिया जा चुका है ।

*३--श्री जोरावर वर्मा--क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इन स्कूलों में कितने ट्रेंड और कितने अनट्रेंड अध्यापक कार्य कर रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम--अब कोई भी अनट्रेन्ड अध्यापक कार्य नहीं कर रहे हैं ।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सूची में जो उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय छपा है, उसको भी क्या सरकार ने कोई बैलों और सिंचाई का अनुदान दिया है, यदि हां, तो कितना ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--अभी तो बता दिया गया कि सूची संलग्न है, देख लीजिये ।

श्री जोरावर वर्मा--अध्यक्ष महोदय, सूची में यह नहीं दिया हुआ है कि किसको। सिर्फ आठ को दिया गया है और सूची में २० हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि जनतंत्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को भी बैलों और सिंचाई का अनुदान दिया गया है या नहीं ?

डाक्टर सीताराम--अभी शिक्षा संचालक के पास रुपया बैलों और सिंचाई के लिये भेज दिया गया है और उस रुपये को डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स जिले की आवश्यकतानुसार वितरण करेंगे । अभी वह लिस्ट मेरे पास नहीं आई है जिससे कि मैं माननीय सदस्य को इसकी सूचना दे सकूं ।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि प्राइमरी स्कूलों में यह योजना अभी लागू नहीं की गई है, इसका क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--यह सिर्फ जूनियर हाई स्कूल्स में ही शुरू की गई है, यही कारण है ।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिले में जो शेष जूनियर हाई स्कूल रह गये हैं वह क्या अगली योजना में आयेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह- -यदि उन्होंने अपने लिये जमीन उपलब्ध कर ली तो ।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि स्कूलों की कृषि योजना के मुताबिक कृषि के मुताल्लिक कितने का मुनाफा हुआ है ?

श्री हरगोविन्द सिंह-- कोई मुनाफा नहीं हुआ ।

लाइन बाजार जौनपुर में स्थित डिप्रेस्ड क्लास लाइब्रेरी का स्थानान्तरण

*४--श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर शहर के मुहल्ला लाइन बाजार में डिप्रेस्ड क्लास की लाइब्रेरी किस के मकान में स्थित है ?

डाक्टर सीताराम--श्री विन्देश्वरी प्रसाद के मकान में ।

*५--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने लाइब्रेरी का इन्तजाम सब डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स को अपने हाथ में ले लेने और मकान को खाली करके उसे वहां से दूसरी जगह हटा देने का आदेश दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, क्योंकि पुस्तकालय का प्रबन्ध संतोषजनक नहीं था।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या यह सही है कि इस लाइब्रेरी के संबंध में बिन्देश्वरी प्रसाद ने माननीय शिक्षा मंत्री के पास एक शिकायत की अरजी दी थी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, मेरे यहां भी दी थी और प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया के यहां भी दी थी।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या यह सही है कि बिन्देश्वरी प्रसाद की शिकायत की दरख्वास्त करते ही माननीय शिक्षा मंत्री ने लाइब्रेरी और नाइट स्कूल की ग्रांट फौरन ही बन्द कर दी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं, यह गलत है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या यह सही है कि मैनेजर ने सब डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स को चार्ज नहीं दिया और लाइब्रेरी अभी तक उसी मकान में स्थित है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, वह इस प्रकार से जो यहां से हुक्म गया था उसकी अवहेलना कर रहे हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि पुस्तकालय के प्रबन्ध और मकान से क्या संबंध था?

श्री हरगोविन्द सिंह—वह पुस्तकालय कभी खुलता था और जिन लोगों का वेतन उसमें दिखलाया जाता था उनको वेतन नहीं मिलता था। न मकान का किराया दिया जाता था न सफाई वालों को खर्चा दिया जाता था। यह शिकायतें थीं और इनकी जांच करायी गयी और ठीक निकलीं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—प्रश्न ५ में यह जवाब दिया गया है कि पुस्तकालय का प्रबन्ध संतोषजनक नहीं था इसलिये मकान खाली कराने का आदेश दिया गया तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब पुस्तकालय का प्रबन्ध ठीक नहीं था तो मकान खाली कराके लाइब्रेरी हटाने का क्यों आदेश दिया गया?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, वह इसलिये कि जिस लोकैलिटी में लाइब्रेरी थी उसके जरिये हरिजनों की सेवा नहीं हो सकती थी, इसलिये उसको वहां से हटाया गया।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह लाइब्रेरी लाइन बाजार में स्थित है और वहां ठीक जगह नहीं है, इसकी जांच किसके द्वारा करायी ?

श्री हर गोविन्द सिंह—यह तो मैं स्वयं जानता हूं चूंकि वहीं का रहने वाला हूं और दूसरे यह कि जहां लाइब्रेरी रखने के लिये कहा गया वहां हरिजनों की बस्ती है और उससे उनकी सेवा हो सकती है।

डोईवाला चीनी मिल, देहरादून में मजदूर नेताओं की भूख हड़ताल

*६—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार को पता है कि डोईवाला चीनी मिल, देहरादून से ४२३ मजदूर काम से निकाल दिये गये हैं ?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगल किशोर)—जी नहीं। केवल ३७१ मजदूर निकाले गये हैं।

*७—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार को सूचना है कि मजदूरों के निकाले जाने के विरोध में दो मजदूर नेताओं ने मिल गेट के सामने कई दिनों तक भूख हड़ताल की थी ?

आचार्य जुगल किशोर—जी हां।

*८—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस विषय में वह क्या कार्यवाही कर रही है ?

आचार्य जुगल किशोर—भूख हड़ताल औद्योगिक विवादों को सुलझाने का कोई मान्य साधन नहीं है। अतएव इस संबंध में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री झारखंडे राय—क्या श्रम मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि यह मजदूर जो निकाले गये उनके निकाले जाने का क्या कारण था ?

आचार्य जुगल किशोर—हड़ताल अवैधानिक थी, इसलिये उनको निकाला गया।

श्री झारखंडेराय—क्या श्रम मंत्री जी बतायेंगे कि यह निकाले हुये मजदूर पुनः नौकरी में रख लिये गये या इसमें से कुछ रख लिये गये हैं या बिल्कुल नहीं ?

आचार्य जुगल किशोर—कुछ रख लिये गये कुछ नहीं।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—क्या यह सच है कि भूख हड़ताल इसलिये हुई थी कि जो मजदूर रखे गये हैं उन्हें निकाला जाय ?

आचार्य जुगल किशोर—इसका कुछ मुझे पता नहीं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार बतायेगी कि इन ३७१ निकाले हुये मजदूरों को दुबारा रखवाने के लिये सरकार की ओर से क्या कार्यवाही हुई ?

आचार्य जुगल किशोर—इसके संबंध में गवर्नमेंट की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई। जैसे और अनऐम्प्लायड आदमी में वही कार्यवाही उनके लिये भी की जायगी, जब कभी मौका मिलेगा।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या श्रम मंत्री जी बतायेंगे कि इन मजदूरों की तरफ से वहां की किसी यूनियन ने कोई कार्यवाही की ?

आचार्य जुगल किशोर—मुझे मालूम नहीं कि यूनियन की तरफ से कोई कार्यवाही हुई या नहीं वहां पर कुछ व्यक्ति थे उन्होंने जरूर कोशिश की और हड़ताल भी की। लेकिन मुझे इससे पता नहीं चलता कि यूनियन की तरफ से कोई मांग आयी थी।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या श्रम मंत्री जी बतायेंगे कि यह हड़ताल जो अवैधानिक घोषित की यह सरकार ने की या मिल मालिकों ने अवैधानिक घोषित की ?

आचार्य जुगल किशोर—कांन्सीलियेशन की जो मशीनरी है उसने जो फैसला किया तो उन्होंने आगे के लिये उनको आर्बिट्रेशन में भेजने के लिये कोई जरूरत नहीं समझी और इसके आधार पर मालिकों ने हड़ताल अवैधानिक समझ करके उनको निकाल दिया।

श्री झारखंडे राय—क्या श्रममंत्री जी बतायेंगे कि भूख हड़तालियों की भूख हड़ताल अधिकारियों की ओर से किसी एंश्योरेंस पर तोड़ी गयी ?

आचार्य जुगल किशोर—किसी भी तरह तोड़ी गयी, गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई चेष्टा नहीं की गयी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस साल ३७१ मजदूरों का मामला कंसीलिएशन में है, एजुडिकेशन में है या ट्राइब्युनल में है ?

आचार्य जुगलकिशोर—वह तो अलग कर दिये गये हैं। कोई विचाराधीन नहीं है।

हरिजन आश्रम, इलाहाबाद को अनुदान

*९—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हरिजन आश्रम, इलाहाबाद को १९५१-५२ में कितना अनुदान दिया गया ?

डाक्टर सीताराम—५०,६१४ रुपया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—यह जो अनुदान दिया गया है यह विभिन्न मदों में दिया गया है या एक मद में से ? और वह कौन सी मदें हैं ?

डाक्टर सीताराम—इसके लिये बहुत से मद हैं, उन्हीं में से दिया गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी उन मदों को पढ़ देने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम—हरिजन सहायक डिपार्टमेंट की तरफ से जो दिया गया है उसमें पहला है लोक सेवा आयोग द्वारा अभियोजित परीक्षाओं में बैठने के लिये हरिजनों को ट्रेनिंग देने के निमित्त ४,७०० रु०। विभिन्न हरिजन कल्याण कार्य में ५,०००। शिक्षा में १०,०००। उद्योग के लिये १०,०००। चिकित्सा के लिये २,०००। इमारत की मरम्मतके लिये ५,३००। आश्रम द्वारा संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले हरिजन छात्रों की फीस माफ करने के निमित्त २,१५८ रु०। फिर इसके बाद उद्योग विभाग की ओर से दिया गया है १०,००० शिक्षा के लिये और ९,९५६ रुपये आश्रम द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय को। कुम्भ मेला प्रयाग में प्रचार के लिये ५०० रु० और संस्थापक सप्ताह मानने के लिये १,०००। कुल टोटल है ५०,६१४ रुपये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार के पास शिकायत आई है कि जिन मदों के लिये यह अनुदान प्राप्त की गयी थी उसमें यह खर्च नहीं की गयी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, ऐसी शिकायत है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—तो सरकार ने उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की ?

श्री हरगोविन्द सिंह—उनकी ग्रांट बन्द कर दी।

गांधी विद्या निकेतन, नैनीताल में औद्योगिक शिक्षा केन्द्र खोलने का विचार

*१०—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार के पास गांधी विद्यानिकेतन, नैनीताल के प्रबन्धकों से यह प्रस्ताव आया है कि वे औद्योगिक शिक्षा केंद्र हेतु अपने शिक्षालय को देने को तैयार हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, सरकार ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है विद्यानिकेतन के भवन को लेने के लिये मसविदा तैयार हो चुका है और वहां शीघ्र ही औद्योगिक शिक्षा केंद्र खुलने जा रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि यह उपरोक्त बजट के अनुसार यह विद्यालय इसी वित्तीय वर्ष में खुल जाना चाहिये था ?

श्री हरगोविन्द सिंह—अभी चूंकि कागजात सब मुकम्मिल नहीं हुये और उसपर डीड्स जो बनने थे उन पर सिगनेचर नहीं हुये, इसलिये नहीं खुल सका।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कब तक खुल जाने की आशा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, जल्दी ही।

आजमगढ़ जिले में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों की शिक्षा संस्थाओं को मुख्य मंत्री का दान

*११--श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रादेशिक सरकार के मुख्य मंत्री सन् ५३ में आजमगढ़ जिले के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का निरीक्षण करने गये थे ? यदि हां, तो किन-किन शिक्षा संस्थाओं को उन्होंने कितना कितना दान दिया ?

डाक्टर सीताराम--जी हां।

निम्नलिखित तीन संस्थाओं को दान दिया गया। लेकिन किसी सरकारी मद से नहीं दिया गया।

	रु०
(१) गांधी जूनियर हाई स्कूल, बरदह, जिला आजमगढ़ ..	१,०००
(२) सर्वोदय विद्यालय, गजियापुर, जिला आजमगढ़ ..	५,००
(३) गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल, मालटारी, जिला आजमगढ़ ..	१,०००

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह जो रुपया दिया गया है वह किस मद से दिया गया है और किसके द्वारा इन लोगों को दिया गया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--क्षेत्र को कलेक्टर द्वारा दिया गया। किस मद से दिया गया था यह तो इस समय नहीं बतलाया जा सकता। चीफ मिनिस्टर ने दिया था।

*१२-१३--श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--[१५ अप्रैल, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*१४-१५--श्री रामसुन्दर पाण्डेय--[१ अप्रैल, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

हाई स्कूल तथा इन्टर के परीक्षा केन्द्रों में सीटों की व्यवस्था

*१६--श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस प्रदेश में गतवर्ष हाई स्कूल तथा इंटर की परीक्षाओं के लिये कितने परीक्षा केंद्र थे और उनमें कितने सीटों की व्यवस्था थी ?

डाक्टर सीताराम--परीक्षा केंद्रों की संख्या:--

(१)	हाई स्कूल	६३१	इंटर	२६६
	सीटों की व्यवस्था			
	हाई स्कूल	२०४३५७	इंटर	६४०४६

*१७--श्री गोवर्धन तिवारी--क्या यह सही है कि इस वर्ष गतवर्ष की अपेक्षा हाई स्कूल तथा इन्टर की परीक्षाओं के केंद्रों को कम कर दिया गया है और प्रत्येक केंद्र में सीटों की संख्या भी निश्चित कर दी गई है ?

डाक्टर सीताराम--परीक्षा केंद्रों की संख्या नहीं घटाई गई लेकिन सीटों की संख्या निश्चित कर दी गई है।

श्री गोवर्धन तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि इन सीटों की संख्या निश्चित करने की वजह से विद्यार्थियों को परेशानी उठानी पड़ी ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी नहीं।

श्री बसन्त लाल शर्मा (जिला बहराइच)--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि हाई स्कूल और इंटरमीडियेट परीक्षार्थियों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां, यह तो आप भी देख सकते हैं।

श्री बसन्तलाल शर्मा---क्या सरकार इस पर विचार करेगी इस बढ़ती हुई संख्या को देख कर कि जैसे वर्नाक्यूलर फाइनल ऐक्जामिनेशन जो प्रादेशिक स्तर पर होते थे अब जिला बोर्ड से होते हैं इसी प्रकार हाई स्कूल और इंटरमीडियेट के एक्जामिनेशन भी जिला बोर्डों के अधीन कर दिये जायं?

श्री हरगोविन्द सिंह--जिला बोर्डों का इन संस्थाओं से कोई संबंध नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष हाई स्कूल और इंटरमीडियेट ऐक्जामिनेशन के सेंटर्स और बढ़ाये गये हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह--जब तक पिछली संख्या मालूम न हो तब तक यह नहीं बतलाया जा सकता।

फैजाबाद कमिश्नरी में सन् १९५४ की हाई स्कूल परीक्षा की व्यवस्था

*१८--श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)--क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि फैजाबाद कमिश्नरी में सन् १९५४ ई० की हाई स्कूल परीक्षा के लिये कौन कौन से ऐसे केंद्र थे जिन पर अन्यत्र के परीक्षार्थियों के अतिरिक्त उस विद्यालय के परीक्षार्थियों ने भी हाई स्कूल की परीक्षा दी?

डाक्टर सीताराम--सूचना संलग्न तालिका (क) में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४५४ पर)

*१९--श्री रणंजय सिंह--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उक्त प्रत्येक केंद्र पर कितने विद्यार्थी परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग करने के कारण केंद्र व्यवस्थापक की रिपोर्ट पर दंडित किये गये और कितने परीक्षकों की रिपोर्ट पर?

डाक्टर सीताराम--सूचना संलग्न तालिका (ख) में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४५५ पर)

*२०--श्री रणंजय सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त कमिश्नरी में सन् १९५५ की हाई स्कूल परीक्षाओं के लिये कौन कौन से विद्यालय ऐसे केंद्र स्थापित किये गये हैं, जहां पर अन्य परीक्षार्थियों के अतिरिक्त उस विद्यालय के भी विद्यार्थी परीक्षा देंगे?

डाक्टर सीताराम--सूचना संलग्न तालिका (ग) में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४५६ पर)

श्री रणंजय सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तालिका (ग) के किसी परीक्षा केंद्र में उस विद्यालय के छात्रों को अन्य परीक्षा के केंद्र में उत्तर के विपरीत परीक्षा देने के लिये आदेश दिया है?

श्री हरगोविन्द सिंह--सेक्रेटरी बोर्ड ने दिया होगा कि लड़का जहां पढ़ता है वहां परीक्षा न देकर दूसरी जगह दे।

राजनीतिक पीड़ित छात्रों को छात्रवृत्ति

*२१--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५३-५४ ई० में कितने राजनीतिक पीड़ित छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में कुल कितने रुपये की सहायता दी गई है और उसकी जिलेवार संख्या क्या है?

डाक्टर सीताराम--सन् १९५३-५४ में ५९७ राजनैतिक पीड़ित छात्रों को कुल ७८,००० छात्रवृत्ति तथा अनावर्तक सहायता के रूप में दिया गया । जिलेवार संख्या संलग्न तालिका में प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ-४५७ पर)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---यह जो छात्रवृत्तियां दी जाती हैं उसमें उन विद्यार्थियों के गरीब और अमीर होने पर विवेक किया जाता है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां, ऐसा समझा जाता है कि जो दरख्वास्त देते हैं उनमें अधिकांश गरीब ही हैं ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन जिलों में कोई भी छात्रवृत्ति नहीं दी गई है तो क्या पोलिटिकल सफरर्स की कोई दरख्वास्त नहीं आई है या उनमें सब अमीर ही थे ?

श्री हरगोविन्द सिंह--इसकी सूचना मेरे पास इस समय नहीं है लेकिन अगर दरख्वास्तें आई होंगी तो शायद उनमें कोई मैरीटोरियस छात्र नहीं होगा क्योंकि जब बहुत सी दरख्वास्तें होती हैं तो मैरिट का भी खयाल किया जाता है ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बस्ती में इस वर्ष कितने पोलिटिकल सफरर्स को स्कालरशिप दिया गया है ?

डाक्टर सीताराम--पाँच को ।

सरायमीता ग्राम, जिला कानपुर में हरिजनों के लिए कुआं

*२२--श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)--क्या सरकार २७ अगस्त, १९५४ के प्रश्न संख्या १६ के उत्तर के सम्बन्ध में कृपा कर बतायेगी कि सरायमीता में हरिजनों का पानी पीने का कुआं बनाने में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

डाक्टर सीताराम--सरायमीता ग्राम में जिस स्थान पर हरिजनों के पीने के पानी का कुआं बनवाया जा रहा था वह भूमि झगड़े में है । अतः जब तक अनुदान पाने वाले व्यक्ति द्वारा वह भूमि वैधानिक कार्यवाही द्वारा प्राप्त नहीं करली जाती या किसी अन्य स्थान पर कुआं बनवाने का निश्चय नहीं किया जाता, कुआं बनने का काम रुका है ।

श्री मुरलीधर कुरील--क्या सरकार को मालूम है कि उस स्थान से झगड़ा करने वालों का कोई सम्बन्ध नहीं है और वह जगह आज भी खाली पड़ी हुई है ?

श्री हरगोविन्द सिंह-- हमारे पास जो रिपोर्ट है उससे तो यही ज्ञात होता है कि सम्बन्ध है। यदि माननीय सदस्य समझते हैं कि सम्बन्ध नहीं है तो फिर गांव वाले क्यों कुआं नहीं बनाते।

श्री मुरलीधर कुरील--क्या सरकार किसी उच्चाधिकारी से वहां जांच कराकर उस स्थान को दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जाँच कराने के उपरान्त ही मैंने यह उत्तर दिया है कि वह झगड़े की जमीन है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि यह जांच उसने किस अधिकारी के द्वारा करायी थी ?

श्री हरगोविन्द सिंह--सरकारी अधिकारी के द्वारा ।

*२३—श्री शिवबचन राव (जिला देवरिया)—[१५ अप्रैल, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

गूंगे बहरों के स्कूल

*२४—श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गूंगे, बहरों के स्कूल उत्तर प्रदेश में कहां-कहां हैं और उनमें कितने अध्यापक और विद्यार्थी १९५४ में थे?

आचार्य जुगल किशोर—गूंगे बहरों के स्कूल उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, लखनऊ, बरेली, बनारस तथा बिजनौर में हैं। इनके अतिरिक्त एक मूक बधिर विद्यालय, पीलीभीत में भी था किन्तु सूचना मिली है कि यह विद्यालय जनवरी, १९५५ के आरम्भ में बन्द हो गया है। अध्यापकों और विद्यार्थियों की जो संख्या इन स्कूलों में १९५४ में थी, प्राप्त सूचना के अनुसार संलग्न तालिका में अंकित है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ—४५८—४५९ पर)

*२५—श्री श्रीचन्द्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गूंगे, बहरों के स्कूलों के अध्यापकों का प्रशिक्षण कहां कहां पर होता है?

आचार्य जुगल किशोर—अध्यापकों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध केवल मूक बधिर विद्यालय, लखनऊ में है।

*२६—श्री श्रीचन्द्र—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि विद्यार्थियों को भर्ती करने के क्या नियम हैं और प्रत्येक विद्यार्थी का मासिक व्यय क्या होता है और अध्यापकगण के वेतनों का क्या स्केल है?

आचार्य जुगल किशोर—इन विद्यालयों में मूक बधिर विद्यार्थियों का प्रवेश सामान्यतः जुलाई मास में होता है। प्रवेश पाने के लिये अभिभावकों को संबंधित प्रधानाचार्य के पास प्रार्थना-पत्र देना होता है। प्रवेश स्वीकृत होने पर निर्धारित शुल्क लेकर विद्यार्थियों की भर्ती की जाती है। छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों का औसत मासिक व्यय २२ से २८ रुपये तक होता है और छात्रावास में न रहने वाले को केवल शिक्षण शुल्क (जहां पर लगता है) देना पड़ता है। अध्यापकों का वेतन-क्रम प्राप्त हुई सूचना के अनुसार तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४५८—४५९ पर)

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गूंगे और बहरों के स्कूल कब से चल रहे हैं?

आचार्य जुगल किशोर—इसकी सूचना के लिये तो नोटिस की जरूरत है, क्योंकि यह गवर्नमेंट की तरफ से नहीं चल रहे हैं। साधारण व्यक्तियों की तरफ से प्रदेश में चलाये जाते हैं।

श्री बसन्तलाल शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, बरेली और बिजनौर में स्कूल बताये गये हैं वह कब से चल रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पीलीभीत में गूंगे और बहरों के विद्यालय को बन्द करने का क्या कारण है?

आचार्य जुगल किशोर—इसकी भी इस समय कोई सूचना नहीं है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो स्कूल गूंगे और बहरों के लिये खोले गये हैं उनमें वे सभी लड़के स्थान पा जाते हैं जो वहां पढ़ने के इच्छुक होते हैं ?

आचार्य जुगल किशोर—सबको तो नहीं मिल पाता। ज्यादा संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो अनाथ गूंगे और बहरे हैं उनको भर्ती करके शिक्षा देने की सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

आचार्य जुगल किशोर—उनके लिये वजीफे का प्रबन्ध है। अगर इस तरह की कोई अर्जी आती है तो उसके बारे में प्रबन्ध किया जाता है।

श्री हरि सिंह (जिला मेरठ)---क्या सरकार यह बतायेगी कि जिन जिलों में गूंगे बहरों के स्कूल नहीं हैं, वहां पर स्कूल खोलने की व्यवस्था की जा रही है ?

आचार्य जुगल किशोर—अभी तो इस बात की कोशिश की जा रही है कि जहां पर हैं वहां पर और भी अधिक इन्तजाम किया जाय। अगर ऐसी आवश्यकता हुई कि दूसरे स्थानों पर भी ऐसे स्कूल खोले जायं तो उस पर भी विचार किया जायगा।

श्री शिव कुमार शर्मा (जिला बिजनौर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गूंगे बहरों का स्कूल बिजनौर में किस स्थान पर है, किस संस्था द्वारा संचालित किया जाता है और उसमें कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ?

आचार्य जुगल किशोर---इसकी सूचना तो आपको ज्यादा होगी कि वह किस स्थान पर है, अगर आप कहें तो पूछ कर बताया जा सकता है ?

श्री श्रीचन्द्र---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि बिजनौर के अध्यापकों के वेतन के बारे में तालिका में सूचना क्यों नहीं दी गयी है, उसके न मिलने के क्या कारण हैं ?

आचार्य जुगल किशोर---सूचना मांगी गयी थी लेकिन प्राप्त नहीं हुई।

श्री हेमवती नन्दन बहुगणा---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि गूंगे बहरों के स्कूलों में इन्डस्ट्रियल प्रशिक्षण भी होता है या केवल लिखा पढ़ी की शिक्षा दी जाती है ?

आचार्य जुगल किशोर—औद्योगिक शिक्षा का भी प्रबन्ध है।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार यह बतायेगी कि गूंगे और बहरों के स्कूलों में जो हरिजन या पिछड़ी जाति के विद्यार्थी हैं उनकी फीस माफ है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता, यह प्रश्न भेजकर आप शिक्षा मंत्री से पूछ सकते हैं।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन स्कूलों में भर्ती के क्या नियम हैं ?

आचार्य जुगल किशोर---मैंने इसका जवाब दे दिया है कि जुलाई में इन स्कूलों में प्रवेश होता है। उसके लिये एप्लीकेशन दी जाती है, जो फीस वगैरा विभिन्न संस्थाओं में हैं वे सब तालिका में दी गयी है, उनके अनुसार फीस देनी पड़ती हैं।

गर्वनमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पिठौरागढ़ जिला अलमोड़ा की इमारत

*२७--श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार पिठौरागढ़ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल (अल्मोड़ा) की इमारत बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक इमारत बन सकेगी ?

डाक्टर सीताराम--जी हां । यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि भवन कब तक बन सकेगा ।

*२८--श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि पिठौरागढ़ गवर्नमेंट इन्टर कालेज का साइन्स ब्लाक कब तक बनेगा ?

डाक्टर सीताराम--निश्चयपूर्वक नहीं बताया जा सकता ।

*२९--श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट--क्या सरकार उक्त पाठशाला में छठी श्रेणी से नवीं कक्षा तक के क्लासों के लिये भी भवन निर्माण कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर सीताराम---जी नहीं ।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट--क्या माननीय मंत्री जी इसका कारण बतायेंगे कि वे निश्चित रूप से क्यों नहीं बतला सकते हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--लैंड ऐक्वीजीशन की प्रोसीडिंग्स चल रही है जब तक वह समाप्त न हो जायं तब तक निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता ।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट--क्या माननीय मंत्री जी एप्रोक्जीमेट डेट बतला सकेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी नहीं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस इमारत को बनाने का विचार सरकार कब तक कर रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जब तक लैंड एक्वीजीशन की कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती तब तक कुछ कह सकना असंभव है ।

जिलाधीश देवरिया द्वारा पडरौना मिल की चीनी की बिक्री

*३०--श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि पडरौना मिल की चीनी की बिक्री १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में जिलाधीश देवरिया ने की ? यदि हां, तो कितनी, किसके हाथ और किस भाव में की ?

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)--मई, १९५३ में जिलाधीश, देवरिया ने श्री केदारनाथ खेतान को लगभग २,१०० बोरे चीनी बेचने की आज्ञा दी थी क्योंकि कोयले के बिलों का भुगतान करना था । श्री खेतान ने यह चीनी छब्बीस रुपये चौदह आने प्रतिमन कलकत्ते के श्री सीताराम मारवाड़ी को बेची ।

*३१--श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या यह सच है कि प्रचलित भाव से कम भाव पर चीनी बेंची गई ?

श्री बनारसी दास--उस समय चीनी का बाजार भाव साधारणतः कुछ अधिक अवश्य था । परन्तु पडरौना मिल की चीनी स्वयं मिल मालिकों ने भी अप्रैल व मई, १९५३ में छब्बीस रुपये चौदह आने प्रति मन से अधिक भाव पर नहीं बेची ।

श्री जगन्नाथ मल्ल––क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि २,१०० बोरी चीनी जो बेंची गयी, वह गन्ने के दाम व केन सेस में कुर्क थी ?

श्री बनारसीदास––जी हां।

श्री जगन्नाथ मल्ल––क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कुर्क की हुई चीनी इश्तहार देकर नीलाम न करके जो कम दाम पर बेंची गयी वह किस कानून के मातहत बेंची गयी ?

श्री बनारसीदास––भाव में कोई कानून का सवाल नहीं पैदा होता कि चीनी कुछ ज्यादा दर पर नहीं बेची गयी बल्कि उस वक्त जिले के अन्दर जो भाव था वह करीब करीब इतना ही था। अप्रैल, मई के महीने में इस पडरौना मिल की चीनी २६ रु० ३ आने मन से लेकर २७ रु० मन तक बिकी, इसलिये इसमें कोई आपत्ति का प्रश्न नहीं पैदा होता।

श्री जगन्नाथ मल्ल––क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जिस रोज खेतान साहब की चीनी बेंची गयी २६ रु० १४ आने मन, उसी रोज उसी मिल की चीनी २८ रु० १२ आने श्री ठाकुर प्रसाद को बेंची गयी ?

श्री बनारसीदास––यह तो सूचना वहीं है, लेकिन यह सही है कि उसी रोज शुगर टेक्नोलाजी कानपुर से सूचना मिली कि चीनी का भाव २८ रु० १० आने ७ पाई है लेकिन जिलाधीश देवरिया की रिपोर्ट है कि पडरौना चीनी मिल की चीनी २७ रु० १ आ० ६ पाई मन से ज्यादा किसी वक्त भी नहीं बिकी।

श्री गेंदासिंह––क्या माननीय उद्योग मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह चीनी किस तारीख को कुर्क की गयी थी ?

श्री बनारसीदास––यह चीनी सब से पहले २ फरवरी, सन् १९५३ ई० को कुर्क की गयी।

श्री गेंदासिंह––क्या यह सही है कि २ फरवरी सन् १९५३ के बाद जितनी चीनी भी बेंची गयी, वह सब जिला मैजिस्ट्रेट देवरिया की मार्फत बेंची गयी ?

श्री बनारसीदास––नहीं, देवरिया डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने इसकी व्यवस्था की, लेकिन इसका आर्डर केन यूनियन के थ्रू ही मिला।

श्री नारायणदत्त तिवारी––क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिन कोयले के बिल के भुगतान के लिये इजाजत दी गयी थी वह कितने रुपये का था ?

श्री बनारसीदास––यह फैक्टरी एलेक्ट्रिक सप्लाई का भी काम करती थी। उसने बार बार इस बात के लिये नोटिस दी कि यह फैक्टरी कोल का भुगतान नहीं कर सकी है। इसलिये यदि सरकार इसकी कोई व्यवस्था नहीं करेगी तो एलेक्ट्रिक सप्लाई का काम बन्द कर देना पड़ेगा। इसलिये सरकार ने चीनी बेचने का आदेश दिया।

श्री नारायणदत्त तिवारी––श्रीमन्, मैंने यह प्रश्न किया था कि बिल जिनके भुगतान के लिये चीनी बेंचने की इजाजत दी गयी, वह बिल कितने एमाउंट का था ?

श्री बनारसीदास––कुल बकाया २५ लाख रुपया था जिसमें गन्ने और कोयले का दाम भी शामिल है। इसलिये अलग-अलग नहीं बतलाया जा सकता, किसका कितना बिल था ?

श्री राजनारायण (जिला बनारस)––क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि खेतान से इस मिल का क्या सम्बन्ध है जो खेतान को चीनी बेंचने की इजाजत दी गयी ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--खेतान भी व्यवसायी हैं और वे भी शुगर का रोजगार करते हैं।

श्री राजनरायण--क्या सरकार को पता है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने इसकी कोशिश की थी कि खेतान से ज्यादा दाम पर कई दूसरे लोग चीनी ले सकते थे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस वक्त मेरे पास उसकी कोई सूचना नहीं है, लेकिन जैसा कि अभी बतलाया गया कि बिल का दाम अदा करना था और एलेक्ट्रिक कम्पनी की अन्डरटेकिंग थी कि वह अपना काम बन्द करने जा रही है। इस पर जिलाधीश ने अपना डिस्क्रिशन इस्तेमाल किया और उन्होंने रुपया प्राप्त करने के लिये चीनी खेतान साहब को बिक्री के लिये दे दी।

श्री राजनारायण--क्या सरकार यह आवश्यक समझती है कि जब कि २८ रु० कुछ आने का भाव चीनी का कानपुर में था उस वक्त २६ रु० कुछ आने मन के हिसाब से खेतान साहब को बेंचने की इजाजत दी, तो यह जो नुकसान करीब एक लाख रुपये के हुआ और जो बहुत बड़ी रकम है, तो क्या सरकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के खिलाफ कोई इन्क्वायरी कमेटी बिठाने की कृपा करेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जैसा कि अभी बताया गया है कि इस मिल के मालिकों ने जो चीनी स्वयं बेची वह २६ रुपए ३ आने मन से २७ रुपए के भाव तक बेची और जिलाधीश ने भी उसी कीमत पर उस चीनी को श्री खेतान द्वारा बिकवाया और सरकार इस बात की कोई जरूरत नहीं समझती कि कोई इन्कवायरी आदि का प्रश्न उठाया जाय।

श्री शिवकुमार शर्मा--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सन् १९५३-५४ में चीनी का रेट ३० रुपये से ३४ रुपये तक रहा तो क्या २६ रुपये १२ आने के भाव से चीनी का बिकना फिकटिशस नहीं है और क्या सरकार इसकी इन्कवायरी करायेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जैसा मैंने अभी उत्तर में बताया कि जिस दर पर स्वयं मिलमालिकों ने चीनी बेंची थी करीब करीब उसी दर पर श्री खेतान ने भी वहां की चीनी को बेचा और इसीलिए सरकार इस बात की आवश्यकता नहीं समझती कि कोई इंक्वायरी कराई जाय और यह कथन भी ठीक नहीं कि चीनी प्रदेश में ३० रुपये से ३४ रुपये के भाव तक बिकी। ऐसी मिलें भी प्रदेश में हैं जिनकी चीनी अच्छी नहीं होती कि वह अच्छी कीमत पर बेची जा सके और उसकी कीमत स्वभावतः कम होती है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगणा-- क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि देवरिया की मिल को बिजली की सप्लाई देने में अपनी असमर्थता के बारे में किस समय कलेक्टर साहब को सूचित किया था?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मेरा ख्याल है कि यह उस जमाने की बात है जब कि चीनी उसके दो तीन दिन बाद ही बेची गई और शायद यह मई के महीने की बात है।

श्री गेंदासिंह--क्या सरकार को जानकारी है कि जिस तारीख को यह चीनी बेची गई थी उसी तारीख को पडरौना के कुछ लोगों ने ज्यादा कीमत पर चीनी लेने का आफर दिया था?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि ज्यादा कीमत पर चीनी खरीदने का कोई आफर जिलाधीश के पास था।

श्री गेंदासिंह--क्या सरकार इस बात की जानकारी फिर से करने की कृपा करेगी कि उसी तारीख को ज्यादा कीमत पर पडरौना के लोगों ने चीनी खरीदने को आफर किया था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--यदि वह नोटिस दे रहे हैं तो अवश्य ही सूचना प्राप्त करने की चेष्टा की जायगी।

श्री राजनारायण--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जिलाधीश देवरिया और खेतान साहब के सम्बन्ध के बारे में इस सदन में भी चर्चा हो चुकी है और यहां कहा गया है कि इस चीनी के दाम कम करके जो लाभ किया गया उसका आधा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट देवरिया को अदा कर दिया गया था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सरकार के पास तो इस प्रकार कोई सूचना नहीं है और मैं समझता हूं कि इस प्रकार का आपत्तिजनक प्रश्न किसी जिलाधीश के लिये जब तक कि कोई लिखित प्रमाण माननीय प्रश्नकर्ता के पास न हो तब तक सरकार इस प्रकार के आपत्तिजनक प्रश्नों का उत्तर देने के लिये न तो बाध्य है और न इसे वह मुनासिब समझती है। यदि किसी व्यक्ति को जिलाधीश के खिलाफ कोई आरोप इस प्रकार का लगाना है तो वह उन आपत्तियों का लिखित चार्ज सरकार को दे और सरकार उसकी जांच करेगी और उसकी जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--क्या माननीय नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खेतान साहब ने २६ रुपये १४ आने में चीनी लेकर किन बाजारों में और किस भाव से इस चीनी को बेचा ?

श्री अध्यक्ष--इसका तो जबाव दे दिया गया है।

श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या सरकार को यह पता है कि सीताराम मारवाड़ी के हाथ जो चीनी बेचने का जिक्र है वह कलकत्ते के रहने वाले न होकर वहीं देवरिया में रहते हैं और पडरौना के बैजनाथ बगड़िया के लड़के हैं और केदार नाथ खेतान के आदमी हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस बात की इत्तिला नहीं है।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--क्या यह सही है कि इस मिल की चीनी दूसरी मिलों की चीनी से घटिया होती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जो सूचना मेरे पास है और जो बिक्री के आंकड़े इसके मेरे पास रहे हैं उससे मुझे अवश्य ऐसा प्रतीत होता है कि इस चीनी मिल की चीनी घटिया होती है और तभी मारकेट में इसके अधिक दाम नहीं आते हैं क्यों कि जो सूचना आती रहती है वह इसी प्रकार की है कि २७ रुपये १ आने मन से ज्यादा इस मिल की चीनी के दाम नहीं मिले।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय उद्योग मंत्री जी मेरी तरफ से इस बात को स्वीकार करने की कृपा करेंगे कि यह देवरिया के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के खिलाफ यह इल्जाम लगा रहा हूं कि उन्होंने खेतान साहब से मिल कर कई हजार रुपया स्वयं लिया और कई हजार का मुनाफा करवाया ?

श्री अध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत नहीं देता। उन्होंने कह दिया है कि शिकायत लिखित होनी चाहिये।

श्री राजनारायण--क्या सरकार इसको उचित समझती है कि जब इस सदन के सम्मानित सदस्य इस तरह से आरोप कई बार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के खिलाफ लगा चुके हैं तो सरकार इसकी जांच करवाए होती और हमें इसका उत्तर देती ?

श्री अध्यक्ष--यह प्रश्न नहीं उठता । मै इसकी इजाजत नहीं देता ।

श्री राजनारायण---जब इस सदन के सम्मानति सदस्य माननीय गेंदा सिंह और उसी देवरिया के दूसरे माननीय सदस्य माननीय जगन्नाथ मल्ल इस सदन के सदस्य वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के खिलाफ इस प्रकार का इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने केदारनाथ खेतान से कई हजार रुपया लिया है ?

श्री अध्यक्ष---आक्षेप की बात तो आप नहीं पूछ सकते, लेकिन आप एन्क्वायरी के लिये पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं ।

श्री राजनारायण---क्या जितने आरोप लगाये गये हैं सरकार उन तमाम आरोपों की जांच के लिये कोई कमेटी बैठायेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सरकार कमेटी नियुक्त करने के लिये या जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रत्येक उपाय करने के लिए उद्यत है यदि जिलाधीश के प्रति जो चार्जेज लगाये गये हैं उनको लिखित दिया जाय, यद्यपि उधर से जहां तक आरोपों का प्रश्न है उनमें से बहुत से आरोपों की बुनियाद पर मैं कह सकता हूं कि बहुत से आरोप उधर से ऐसे आते हैं जिनको मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं और जिन्हें यदि अनपार्लियामेन्ट्री न समझा जाय तो मैं यह कह सकता हूं कि बहुत से आरोप गैरजिम्मेदारी से किये जाते हैं ।

श्री शिवकुमार शर्मा---क्या सरकार को मालूम है कि यू० पी० के कोआपरेटिव फेडरेशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रेप्रेंजेंट किया है कि मिलमालिकों ने किसानों को कई करोड़ रुपये के लाभ से वंचित कर दिया क्योंकि २७ रुपये से कम में चीनी फिक्टिशस रूप में बेची ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मुझे इस बात का पता नहीं है, लेकिन यह मैं जानता हूं कि प्रदेश में तीस और इकतीस रुपये मन में चीनी बिकी है और जैसा कि बताया जाता है कि कास्ट आफ प्रोडक्शन को देखते हुए उसकी बुनियादी पर ३१ और ३२ रुपये मन में चीनी बिकी और २९ रुपये मन में भी बिकी तो उसका मुनाफा मिल मालिकों के पास पहुंचा ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार कृपा करके स्पष्ट करेगी कि यदि अब लिखित डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के खिलाफ इसके बारे में रिपोर्ट की जाय तो उसकी जांच करायेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यदि कोई भी रिपोर्ट लिखित रूप में आयेगी और वे लोग जो कि रिपोर्ट करने वाले हैं, शिकायत करने वाले हैं या अरोप लगाने वाले हैं अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने को उद्यत होंगे तो सरकार ऐसी रिपोर्ट के सिलसिले में जांच करायेगी ।

अतारांकित प्रश्न

जौनपुर में गोमती नदी के पुल का जीर्णोद्धार

१--श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर में गोमती नदी पर जो शाही पुल की गुमटी गिरी हुई है उसके जीर्णोद्धार के हेतु सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की जा रही है ?

निर्माण मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---यह पुल भारत सरकार के पुरातत्व विभाग की देख-रेख में है जो उसकी मरम्मत कराने जा रहे हैं ।

---

२१ मार्च, १९५५ के तारांकित प्रश्न १४-१५ से संबंधित श्री उमा-शंकर द्वारा पूछे गए एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का स्पष्टीकरण

श्री अध्यक्ष---माननीय उमा शंकर जी ने एक प्रश्न पूछा था, उसके उत्तर में जो जवाब दिया था उसके सम्बन्ध में माननीय चतुर्भुज शर्मा एक स्पष्टीकरण देना चाहते थे । वह स्पष्टीकरण अब वह दे सकते हैं ।

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)––तारीख २१ मार्च को प्रश्न संख्या १४–१५ के सम्बन्ध में एक अनुपूरक प्रश्न के द्वारा माननीय उमा शंकर जी ने इस बाबत पूछा कि क्या गवर्नमेंट आफ इंडिया से कोई सर्कुलर बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के स्कूलों के लड़कों की फीस माफ करने के सम्बन्ध में आया था। उस समय जो फाइल मेरे पास माल विभाग की थी उसमें उस सर्कुलर का हवाला नहीं था। तो मैंने यह जवाब दिया था कि ऐसे सर्कुलर की कोई सूचना मेरे पास नहीं है। उसके बाद मैंने इसकी बाबत जानकारी हासिल की कि शिक्षा विभाग में एक ऐसा सर्कुलर ५–११–५४ को आया था। जो नकल माननीय उमाशंकर जी ने माननीय अध्यक्ष को दी है वह डिस्ट्रिक्ट इंसपेक्टर, आजमगढ़ को भेजे गये आदेश की कापी है। उसमें एक गलती है। जो सर्कुलर आपके सामने पेश किया गया है उसमें एक जगह यह लिखा है कि ५० परसेंट तो दिया जायगा २ करोड़ तक जो खर्च होगा। तो जो सर्कुलर आपके सामने दिया है उसमें लिखा है कि उसके ऊपर १५ फीसदी दिया जायगा तो असली सर्कुलर जो है उसमें १५ फीसदी न होकर ७५ फीसदी है। खैर, मैं अर्ज यह कर रहा हूं कि जो भी यह सर्कुलर शिक्षा विभाग में आया उसका जवाब पहले से ही यहां से गवर्नमेंट आफ इंडिया को दे दिया गया और उसके पहले ही हमारे यहां कार्यवाही हो गई और ८ जिलों की फीस माफ करने के आर्डर्स जारी किये जा चुके हैं और उसी समय एक और आदेश डाइरेक्टर आफ एजूकेशन को जारी किया गया कि वह जिलों से इस तरह के फीगर्स इकट्ठा करे कि वहां पर इस तरह से फीस माफ होने से कितना रुपया लगेगा और इसकी सूचना फिर गवर्नमेंट आफ इंडिया को दे दी जायगी। तो मैं इतना अर्ज करना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग में यह सर्कुलर आया है और उसके ऊपर कार्यवाही फौरन ही हो गई।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)––मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में हमें सप्लीमेंटरी क्वैश्चंस करने का अधिकार है, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने तो उस समय इंकार कर दिया था इसलिये सप्लीमेंटरी करने का अधिकार हमको मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष––लेकिन मैं समझता हूं कि इस विषय पर सप्लीमेंटरी प्रश्न और आगे भी हुए थे। केवल इस जवाब पर ही वह बात समाप्त नहीं हुई थी, और अब जवाब दुरुस्त करके वे कहते हैं कि सर्कुलर आ चुका है और उस पर क्या कार्यवाही की गई, और पूरक प्रश्नों में कार्यवाही के बारे में अन्य बातें तो पूछ ही ली गयीं थीं। तो इससे यह प्रश्न उठता नहीं है कि फिर पूरक प्रश्न हों। उत्तर के इस सुधार होने से मुझे ऐसा नहीं दिखायी देता कि उसकी वजह से कुछ पूरक प्रश्न रहे हों। दूसरा कोई स्वतंत्र प्रश्न अगर आप नोटिस देकर पूछ लें तो मैं उसकी इजाजत दे दूंगा।

एटम बम परीक्षण से उत्पन्न रेडियो–ऐक्टिव परमाणुओं द्वारा बढ़े हुए तापमान के संबंध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष––एक कामरोको प्रस्ताव श्री नारायणदत्त जी ने दिया है कि "अणु विज्ञान के विश्व विख्यात डाक्टर श्री एस० एस० नेहरू की अनुसंधान शाला, इलाहाबाद की एक विज्ञप्ति के अनुसार एक एटम बम के परीक्षण से उत्पन्न रेडियो एक्टिव परमाणु उत्तर प्रदेश के वायु मंडल में १०० प्रतिशत अधिक तापमान बढ़ा चुके हैं, जिस समाचार से प्रदेश भर में गंभीर अशांति का वातावरण उत्पन्न हो गया है। इस गम्भीर परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

मैं समझता हूं कि यह विषय कामरोको प्रस्ताव का इस परिस्थिति में नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि खबर केवल अखबार में ही छपी है। लेकिन इस विषय में माननीय सदस्य

[श्री अध्यक्ष]

चाहें तो एक अल्प सूचित तारांकित प्रश्न पूछ लें, और मैं समझता हूं कि अगर इस विषय में लोगों को गंभीरता मालूम होती हो तो मुख्य मंत्री जी इस विषय में अपना वक्तव्य अभी या उस अल्पसूचित प्रश्न के जबाव में स्पष्टीकरण के तौर पर दे सकेंगे। यही तरीका उचित होगा और अगर कोई शंका रह जाय तो प्रक्रिया नियम ४२ में यह दिया हुआ है कि उसके ऊपर वाद-विवाद भी शाम को हो सकता है। यही तरीका उचित होगा। इस समय तो विषय से अनिश्चित बात है। इस विषय के ऊपर मैं कामरोको प्रस्ताव की इजाजत नहीं देता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---मैं श्रीमन्, एक बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि शायद सदन जल्दी ही स्थगित हो जाय और अल्पसूचित तारांकित प्रश्न में भी संभव है देर हो जाय, तो माननीय मुख्य मंत्री पहले ही यदि अपना व्यक्तव्य देने की कृपा करें तो अति उत्तम होगा। . मैं क्या इस बात को आपके द्वारा उनसे जान सकता हूं।

श्री अध्यक्ष---(डाक्टर सम्पूर्णानन्द से) इसको तो आपही बतला सकते हैं।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---इस सम्बन्ध में जो कुछ जानकारी है मैं कल सदन के सामने पेश कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष---ठीक है, तो यह सोमवार को होगा।

सहजनवा जूट मिल संबंधी कार्यस्थगन प्रस्ताव के विषय पर श्रम मंत्री से वक्तव्य की मांग

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना सहजनवा जूट मिल के संबंध में जो एक कामरोको प्रस्ताव आया था उसके बारे में जानना चाहता हूं। उस समय श्रम मंत्री ने विश्वास दिलाया था कि वह एक वक्तव्य उस सम्बन्ध में देंगे, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह उस वक्तव्य को कब देंगे ?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगल किशोर)---जी हां, मैं दे सकता हूं, अगर आप कल का समय इसके लिये रखें। मैं सोमवार को वक्तव्य दे दूंगा।

विभिन्न स्थायी समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम में परिवर्तन

श्री अध्यक्ष---मेरे पास मुख्य सचेतक जी ने यह सुझाव भेजा है कि जो समितियों का चुनाव होने वाला है, बहुत सी सदन की समितियों का, उसके लिये आज का समय दिया था कि नामांकन हो। वह समझते हैं कि चुनाव की प्रथा यही रही है कि सब मिल कर इन समितियों का निर्वाचन कर लिया करते थे। तो वह यह चाहते हैं कि एक रोज का समय इसमें और बढ़ा दिया जाय नामांकन के लिये। इस सुझाव के अनुसार मैंने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली है और यह कार्यक्रम बदल कर रखा गया है। २६ मार्च को चार बजे दिन तक यह नामांकन प्राप्त करने का समय रक्खा है। नाम निर्देशन पत्र का सूक्ष्म परीक्षण जो होगा वह २८ मार्च को तीन बजे, नामों की वापिसी की अन्तिम तिथि २९ मार्च को ४ बजे तक और निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो ३१ मार्च को १२ बजे से ५ बजे तक विधान वाचनालय में होगा।

*यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में किये गये संशोधन

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---अध्यक्ष महोदय, मैं मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ (३) के अनुसार वाहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या १७९३ टी० (एम०)। ३०---१४२ (३१) टी०-५२, दिनांक २१ जनवरी, १९५५ ई० को जिनसे यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० ई० में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

---

*कार्यवाही में छापे नहीं गये।

१९५५-५६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—विभिन्न अनुदानों पर विचारार्थ समय विभाजन

श्री अध्यक्ष—अब वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये आय-व्ययक में अनुदानों के लिये प्रस्ताव पर विचार होगा ।

इसके लिये समय निर्धारित कर लें ।

श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव यह है कि आज अनुदान संख्या २७—उद्योग, अनुदान संख्या ४५-औद्योगिक विकास, अनुदान संख्या ४१—असाधारण व्यय और अनुदान संख्या ५०—राज्य व्यापार की योजनाएं यह चार अनुदान लिये जायं ।

श्री अध्यक्ष—आप हर एक अनुदान के लिय समय बतायें ।

श्री जगन्नाथ मल्ल— अनुदान संख्या २७ पर २ घंटा १५ मिनट। अनुदान संख्या ४५ पर ४५ मिनट। अनुदान संख्या ४१ पर ३० मिनट । अनुदान संख्या ५० पर ३० मिनट ।

श्री अध्यक्ष—इस पर कोई आपत्ति तो नहीं है ?

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, आज जो कार्यक्रम है यह तीन दिन तक चलने वाला है और इसमें यों तो सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन तीन बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो है उद्योग, दूसरा है योजना और तीसरा है स्वास्थ्य। तो इस सबको चार चार घंटे का समय दिया जाय और सदन एक घंटे रोज और बैठेगा ताकि और जो बाकी रह जाते हैं उन पर एक एक घंटा विचार करें। और इस तरह आज उद्योग और औद्योगिक विकास लिया जाय और पूरा समय ५ बजे तक दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि उद्योग और औद्योगिक विकास यह दो आज के लिये निश्चित कर लें। समय बढ़ाने का जो प्रश्न है उसके लिये अलग से प्रस्ताव लाना पड़ेगा । तो आज दो अनुदान लिये जायंगे और एक साथ लिये जायंगे ।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि अनुदान संख्या २७,३७ और ४५ यह लिये जायं और दिन भर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—तो अधिक राय तो यही मालूम होती है कि दो ही लिये जायं । तो दो ही मैं लूंगा ।

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, मैं तो उस सुझाव का समर्थन करता हूं कि यदि सदन को यह स्वीकार हो कि २७,३७ और ४५ यह तीनों अनुदान आज ले लिये जायं क्योंकि यह इंडस्ट्रीज विभाग से सम्बन्ध रखते हैं और इंडस्ट्रीज भी एक महत्वपूर्ण विषय है ।

श्री अध्यक्ष—लेखन सामग्री और छपाई भी इंडस्ट्रीज से सम्बन्ध में रखता है ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—यह भी इंडस्ट्रीज से सम्बन्ध रखता है ।

श्री अध्यक्ष--तो तीनों अनुदान ले लिये जायं । इसमें मैं समझता हूं कि कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)--अध्यक्ष महोदय, लेखन सामग्री और छपाई विभाग के लिये समय निर्धारित कर दिया जाय कि इसके लिये कितना समय दिया जाय ।

श्री व्रजभूषण मिश्र--मेरा सुझाव यह है कि एक साथ लिये जायं ।

श्री जगन्नाथमल्ल--इसका मुझे विरोध है ।

श्री अध्यक्ष--एक साथ में अगर विरोध है तो मैं एक साथ नहीं लूंगा ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मुझे इसमें कोई विरोध नहीं, तीनों अनुदान साथ हों ।

श्री अध्यक्ष--अगर कुछ सदस्यों को आपत्ति है तो अलग अलग ले लेंगे ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--अध्यक्ष महोदय, अलग अलग लिये जायं तो फिर अनुदान संख्या २७ को दो घंटा, अनुदान संख्या ३७ को एक घंटा और अनुदान संख्या ४५ को ४५ मिनट का समय दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--तो मैं समझता हूं कि यह कर लेना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ४ घंटे का कुल समय है, तो यह ढाई घंटा तो उद्योग के लिये रख दिया जाय और ४५ मिनट नं० ३७ के लिये और ४५ मिनट तीसरे के लिये ।

श्री जगन्नाथमल्ल--साढ़े तीन घंटे उद्योग में रखे जायं । एक घंटे के लिए समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--तो उसके लिए आप प्रस्ताव रख रहे हैं ?

श्री जगन्नाथमल्ल--मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज एक घंटा और बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--किसी को आपत्ति तो नहीं है ?

तब साढ़े तीन घंटे उद्योग के लिए और अन्य दोनों के लिए ४५-४५ मिनट समय निश्चित हुआ ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम यदि मुझे इन तीनों अनुदानों को एक साथ सदन के विचारार्थ रखने की आज्ञा दे दी जाय तो इसमें सदन का समय बचेगा, क्योंकि मैं एक ही दफा अपने इन तीनों अनुदानों को उपस्थित करूंगा तो एक बार भाषण दूंगा, वरना प्रत्येक अनुदान के सिलसिले में मुझे कुछ कहना पड़ेगा और इस तरह से सदन का अधिक समय व्यर्थ हो जायगा । मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है । आप एक घंटा आज बैठ जायं, लेकिन तीनों अनुदानों को एक बार रखने की अगर इजाजत दे देंगे तो इसमें समय बच जायगा ।

श्री अध्यक्ष--मैं यह नई बात कर सकता हूं कि आप एक के बाद एक एक पेश कर दें, और कटौती के प्रस्ताव तीन व्यक्ति अलग-अलग एक एक अनुदान के ऊपर अपने पेश कर देंगे, तो उनको अलग अलग ले लेंगे ।

(नियोजन मंत्री से) आप बैठ कर बोलें, आपके पैर में चोट है ।

अनुदान संख्या २७—लेखा शीर्षक ४३—उद्योग, अनुदान संख्या ३७—लेखा शीर्षक ५६—लेखन सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि—सरकारी छापाखाना तथा अनुदान संख्या ४५—लेखा शीर्षक ७२—औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत

*श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २७—लेखा शीर्षक ४३—उद्योग के अन्तर्गत ४,२८,९३,४०० रुपये, अनुदान संख्या ३७—लेखा शीर्षक ५६—लेखन सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि के अन्तर्गत ९२,४५,००० रुपये तथा अनुदान संख्या ४५—लेखा शीर्षक ७२— औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत ६७,०४,५०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, जिन अनुदानों की मांग सदन के विचारार्थ इस समय उपस्थित की गयी है इन अनुदानों का संबंध एक ऐसे विषय से है जो विषय आज के समय में हमारे प्रदेश के आर्थिक जीवन से संबंध रखता है । वह एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर आज के समय यदि सही नीति बरती जाती है तो कदाचित् हम प्रदेश के रहने वालों को अधिक रोजगार में लगा सकते हैं, उनके स्तर को ऊंचा कर सकते हैं और बेरोजगारी को अपने बीच से जल्द से जल्द हटा सकते हैं ।

सदन के समक्ष मुझे इस बात को बताने की आवश्यकता नहीं कि हमारा प्रदेश अपने देश के प्रदेशों में ऐसा प्रदेश है जिस की अधिक जनसंख्या खेती के रोजगार में लगी हुई है और अधिक व्यक्ति अपनी रोजी को खेती के रोजगार के द्वारा पैदा करते हैं । सदस्यों को यह भी भली भांति ज्ञात है कि जो लोग खेती में लगे हुये हैं वे सम्पन्न व्यक्ति नहीं हैं । उनका स्तर गिरा हुआ है, उनके रहन-सहन का जो कार्य है वह दुनिया के आधुनिक देशों के रहने वालों के मुकाबिले में गिरा हुआ है । यह भी बताया जाता है कि जो लोग खेती का रोजगार करते हैं वे आज के समय में इतनी रोजी नहीं कमा सकते हैं कि वे अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को भर पेट अन्न दे सकें और खेती के विषय में कई व्यक्तियों का यह भी कहना है कि अब खेती के पास इतने साधन नहीं हैं कि वह अधिक मात्रा में प्रदेश के रहने वालों को रोजगार में लगा सके । मैं इस विवाद ग्रस्त प्रश्न में न जाते हुये इस सदन के समक्ष यह निवेदन करना चाहता हूं कि उद्योग धंधों का प्रश्न आज इसलिये और भी महत्वपूर्ण हो गया है कि ऐसा प्रदेश जो खेती में अधिक व्यक्तियों को रोजगार में लगा रहा है, ऐसे व्यक्तियों के लिये उद्योग धंधे ऐसे साधन पहुंचा सकते हैं जिससे अधिक मात्रा में लोगों का स्तर ऊंचा करने के लिये रोजगार दिया जा सके । इसलिये इस प्रदेश की सरकार ने अपने यहां उद्योग धंधों को पनपाने के लिये ध्यान दिया है ।

बजट के आंकड़े इस बात के द्योतक हैं कि इन तीन वर्षों में उद्योग-धंधों में इस प्रदेश की सरकार ने बहुत अधिक ध्यान दिया है और इसमें धन की वृद्धि करके इस बात का परिचय दिया है कि इस प्रदेश की सरकार लोगों का स्तर ऊंचा करने के लिये, उनके रहन-सहन में परिवर्तन लाने के लिये और उनको रोजगार में लगाने के लिये प्रयत्नशील है, और इसलिये इसका ध्यान बड़े-बड़े उद्योग धंधों की तरफ भी गया है और साथ में घरेलू धंधों और बीच के तथा छोटे छोटे उद्योग धंधों की तरफ भी ध्यान गया है जिनके द्वारा लोगों को अधिक से अधिक संख्या में रोजगार में लगाया जा सकता है । जहां तक बड़े रोजगारों का संबंध है, सरकार ने अपनी नीति निर्धारित की है और उसके तहत में अपने प्रदेश में दो बड़े उद्योग धंधों की रचना भी सरकार ने की है जिनमें हजारों व्यक्ति काम कर रहे हैं, और जो हमारे बीच में ऐसे साधन मुहैया कर रहे हैं जिनके प्राप्त करने की लोगों को आवश्यकता थी ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों को इस बात का ज्ञान है कि इस प्रदेश की सरकार ने इन दो तीन वर्षों के अरसे में चुर्क जिला मिर्जापुर में एक सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की है और लखनऊ में गवर्नमेंट प्रिसीशन फैक्ट्री की स्थापना की है। यह बहुत बड़े उद्योग हैं। यह ऐसे उद्योग हैं कि जो अभी अपने प्रदेश में ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर द्वारा संचालित किये जाते हैं। एक तो सीमेंट की बहुत सी फैक्ट्रियां हैं और नजदीक के सूबों में हैं लेकिन इस देश के अन्दर कोई भी ऐसी सीमेंट फैक्ट्री नहीं है जो राज्य के द्वारा संचालित हो रही हो जो पब्लिक सैक्टर के बजाय राज्य द्वारा चलाई जा रही हो। अपना प्रदेश पहला प्रदेश है जिसने सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना करके उसको राज्य के हाथ में लिया है। प्रिसीशन फैक्ट्री भी वह उद्योग है जिसका कार्य प्राइवेट सेक्टर ने भी अभी तक नहीं किया है। अपने प्रदेश में और भी कल कारखाने हैं जिनमें प्राइवेट सेक्टर कार्य कर रहे हैं। इनको बढ़ाने के लिये भी सरकार ने अपना कदम उठाया है। यद्यपि वह राष्ट्र की सम्पत्ति नहीं है, इसलिये कि उन्हें प्राइवेट सेक्टर द्वारा संचालित किया जा रहा है तो हम उनका संबंध प्रदेश के आर्थिक ढांचे से है, उनको सुविधा देने में, सहायता देने में सरकार ने अपना हाथ बढ़ाया है।

मैं इनका जिक्र अपने प्रारम्भिक भाषण में नहीं करूंगा। अभी मैं यह कह रहा हूं कि यह प्रदेश एक खेतिहर प्रदेश है, और इसमें आज इस बात की आवश्यकता है कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार में लगाने के लिये हमारा ध्यान बड़े-बड़े उद्योग धंधों और साथ में घरेलू धंधों और छोटे-छोटे उद्योग धंधों की तरफ जाय। इस प्रदेश की सरकार आज इसी कार्य की पूर्ति में लगी हुई है। मैं आज इस बहस के अन्दर तो नहीं जाऊंगा जो कभी-कभी चर्चा के रूप में होती है, बड़े-बड़े उद्योग धंधों के संबंध में, घरेलू उद्योग धंधों के संबंध में तथा छोटे-छोटे उद्योग धंधों के संबंध में बात उठाई जाती है कि कहां बड़े उद्योग धंधे चलाये जायं, किस मात्रा में उनको सुविधा प्रदान की जाय, और कहां छोटे-छोटे उद्योग धंधे चलाये जायं? यह विषय ऐसा है जिसका हमें संतुलन आज के दिन करना है, और हमें किसी एकेडेमिक दृष्टिकोण से या किसी स्कालर के कथनानुसार नहीं चलना है। हमें तो वास्तविक स्थिति को नजर में रखते हुये इन्तजाम करना है कि हम किस मात्रा में अपने बीच में और प्राइवेट सेक्टर में कार्य करायें। कितने बड़े उद्योग धंधे उसके द्वारा संचालित करायें और कितने ऐसे बड़े उद्योग धंधे हैं जिनको मौजूदा हालत को देखते हुये अपने द्वारा यानी राष्ट्र के द्वारा संचालित करायें?

जहां तक इस प्रदेश का संबंध है इस प्रदेश की सरकार की नीति कोई उस नीति के विपरीत नहीं हो सकती जिसको केंद्रीय सरकार निर्धारित करती है और जिस नीति के तहत यह निर्णय हुआ था कि आज प्राइवेट सेक्टर के लोगों को और ऐसे लोगों को उद्योग धंधों में लगाने के लिये सुभीता प्राप्त हो जो देश के हित में हो सकते हैं जो जनहित में लगाये जा सकते हैं, परन्तु उनका संचालन जनहित के द्वारा ही होना चाहिये और जनहित का आदर्श सामने रखकर होना चाहिये। तो जैसा मैंने कहा कि विवादग्रस्त प्रश्न के अन्दर मैं नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश का ध्यान उत्तरोत्तर अपने प्रदेश के उद्योग-धंधों को बढाने की तरफ रहा है जैसा मैंने बताया कि इस प्रदेश के जो व्यय के आंकड़े हैं, जो अनुदान के आंकड़े हैं, वह इस बात का परिचय देते हैं कि इन तीन वर्षों में उद्योग का जो बजट है वह करीब चौगुना हो गया है और उस चौगुने होने का मतलब यह है कि इस प्रदेश की सरकार का ध्यान घरेलू उद्योग-धंधों की तरफ अधिक गया है और उसकी तरफ आज जाना भी चाहिये क्योंकि आज देहातों के रोजगार का जहां तक संबंध है वहां आज यह तो नहीं कहा जा सकता कि प्रत्येक व्यक्ति या अधिकांश व्यक्ति बेरोजगार हैं, किन्तु यदि यह कहा जाय अन्डर इम्पलायड हैं तो यह अत्युक्ति नहीं होगी। लेकिन पढ़े लिखे लोगों में अधिक मात्रा में बेरोजगारी फैली हुई है और उसका निराकरण करने के लिये इस बात की आवश्यकता है कि हम अपने प्रदेश के अन्दर उद्योगधंधे फैलायें जिनकी तरफ पढ़े लिखे व्यक्तियों का रुझान हो सकता हो और जिनमें उनको अधिक मात्रा में खपाया जा सकता हो। इसी प्रकार से प्रदेश की सरकार ने घरेलू उद्योग-धंधों को बढ़ाने के लिये प्रयत्न किया है।

मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि अपने देश के प्रदेशों में पंचवर्षीय योजना के तहत में करीब १२ करोड़ रुपया घरेलू उद्योग-धंधों को पनपाने के लिये रखा गया था, और इस प्रदेश ने अपनी पंचवर्षीय योजना के तहत करीब ३ करोड़ रुपया ५ वर्षों के अन्दर उद्योग-धंधों को बढ़ाने के लिये रखा था जिसमें से करीब २ करोड़ ३८ लाख रुपया सरकार यहां पर व्यय कर चुकी है। इससे इस बात का परिचय मिलता है कि इन ३।। वर्षों में घरेलू उद्योग-धंधों के ऊपर सरकार ने अधिक धन व्यय किया है और उससे अधिक उद्योग हमारे प्रदेश में बढ़ा है। मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि यों तो बेसिक इंडस्ट्री का प्रोडेक्शन हमारी जरूरत के मुताबिक होना चाहिये, किन्तु इस प्रदेश की जनसंख्या को देखते हुये यह ध्यान रखना चाहिये कि जो भी प्रोडेक्शन करें उसमें हम यह देखें कि कितनी संख्या में लोगों को रोजगार दे सकते हैं, यह बात हमको ध्यान में रखना है। इसलिये हमें बड़े उद्योग-धंधों और छोटे उद्योग-धंधों का संतुलन करके ऐसे उद्योग-धंधों को पनपाने की चेष्टा करना है जिसमें अधिक मात्रा में और अधिक संख्या में लोगों को रोजगार दे सकते हों। इस प्रदेश के जो छोटे उद्योग-धंधे हैं या जो आर्टिजन क्लास है, या वे लोग जो सदियों से उसमें लगे हुये हैं या उन रोजगारों में हैं जो रोजगार छोटे-छोटे स्थानों पर शहरों में और कस्बों में लगाये जा सकते हैं और देहातों में लगाये जा सकते हैं परन्तु उसके लिये थोड़ा बहुत उन साधनों की आवश्यकता पड़ती है जिन साधनों से आर्टिजन क्लास वहां जो अपने बीच में उद्योग-धंधे चलाना चाहते हैं उसको उतनी आवश्यकता पड़ती है। तो आज अपने प्रदेश में जैसा कि आपको उस पुस्तक के द्वारा जो आपके बीच में वितरित की गई है पता चला होगा कि प्रदेशीय सरकार काफी रुपया अपने प्रदेश में जो छोटे-छोटे उद्योग-धंधे हैं उनको संचालित करने में व्यय कर रही है। हमने काटन इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिये जो धन अब तक व्यय किया है उसकी डिटेल के वर्णन में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि उस पुस्तिका में आपको इन विषयों की जानकारी करा दी है। मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि केंद्रीय सरकार ने एक योजना की है जिसके अनुसार वे चाहते हैं कि अगले दस वर्षों में १२ मिलियन आदमियों को रोजगार दिया जा सके। उनको यह रोजगार कैसे मिलेगा? उन्हें रोजगारों में लगाने के लिये हमें यह व्यवस्था करनी होगी कि हम अपने प्रदेश में अधिक मात्रा में काटेज इंडस्ट्रीज का प्रसार करें और आधे से अधिक व्यक्ति इन काटेज इंजडस्ट्रीज के प्रसार में लग सकते हैं। अगर हम उनको उत्तरोत्तर काटेज इंडस्ट्री के प्रसार में लगाते जायेंगे तो हमारे प्रदेश के लोग अधिक मात्रा में रोजगार में लग सकेंगे और कम से कम प्रदेश के आधे बेकार लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इसलिये घरेलू उद्योग-धंधों को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जिन जिन उद्योग-धंधों पर रुपया व्यय किया जा रहा है उनकी योजना का वर्णन मैं यहां डिटेल में नहीं करूंगा। केवल इतना कहूंगा कि ऐसे उद्योग धंधे २४ हैं जिन पर सरकारी धन व्यय हो रहा है। कुछ ऐसे उद्योग-धंधे भी हैं जिनको फैलाने के लिये अधिक मात्रा में धन व्यय नहीं किया जा रहा है। अभी हमारे प्रदेश में ऐसे जिले भी हैं जिनके उद्योग धंधों की जानकरी सरकार को नहीं है। सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में इनकी जानकारी प्राप्त करने के बारे में तय किया है और इसके लिये सरकार ने एक लाख की टोकिन ग्रांट रक्खी है और वह इसलिये रक्खी गयी है कि हम प्रदेश के ५१ जिलों में जहां-जहां घरेलू उद्योग-धंधे चलते हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करें कि कौन-कौन लोग उन उद्योग-धंधों में लगे हैं, कितने स्थान हैं, वहां पर कौन कौन उद्योग-धंधे हैं और कितने लोग उन कामों में लगे हुये हैं जो इस प्रदेश में चल रहे हैं। इसी प्रकार से यह भी कि किन-किन उद्योग-धंधों के द्वारा बनायी हुयी चीजें हमारे प्रदेश में आती हैं और कौन-कौन चीजें हमारे प्रदेश से एक्सपोर्ट होती हैं। उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिये एक लाख की टोकेन ग्रांट रक्खी गयी है इसके तहत हम यह योजना बनायेंगे कि इन उद्योग-धंधों को कहां-कहां फैलाया जाय और कहां-कहां अब भी फैले हुये हैं?

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

इस वित्तीय वर्ष में सरकार ने इस बात को जानने का निर्णय किया है कि अगले वित्तीय वर्ष में वह अपने मिनिरल रिसोर्सेज की जानकारी प्राप्त करे। हमको आजकल इनकी जानकारी जिओलॉजीकल सर्वे आँफ इंडिया से भी होती रहती है। लेकिन उनके पास इतना अधिक काम है कि हमारे प्रदेश में जो मिनरल रिसोर्सेज फैले हुये हैं उनके बारे में कोई इंटेंसिव स्टडी नहीं कर पाते हैं, और इसकी वजह से वे हमें ऐसी कोई सूचना नहीं दे पाये हैं जिसके बल पर हम आगे बढ़ सकें। हमें यह बताया गया है कि जिला मिर्जापुर में एक स्थान है जहां कोयला मिल सकता है, परन्तु इससे अधिक हमें और कुछ मालूम नहीं हुआ है। इसी प्रकार से हमें यह भी मालूम हुआ है कि कुमायूं में तांबा, जिप्सम और आयरन वगैरह मिल सकता है, जिसकी छानबीन की आवश्यकता है। इसलिये हम चाहते हैं कि इनकी अधिक से अधिक जानकारी हमें प्राप्त हो सके। इसके लिये हम अगले वर्ष जियोलॉजीकल सर्वे की स्थापना करना चाहते हैं जिसके तहत हम विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करके उद्योग-धंधों की स्थापना कर सकें, और अपने मिनिरल रिसोर्सेज को मालूम कर सकें और इस प्रकार अपने प्रदेश की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हो सकें।

जैसा कि मैंने बतलाया कि सरकार विभिन्न कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ाने मे धन व्यय करने जा रही है। चाहे वह खादी इंडस्ट्री हो, चाहे वह हैन्डलूम इंडस्ट्री हो, चाहे वह ताले की इंडस्ट्री हो, चाहे वह पीतल की इंडस्ट्री हो, चाहे वह फर्रुखाबाद की प्रिंटिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वह आगरे की जूता इंडस्ट्री हो, प्रत्येक इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिये और उसके उत्पादन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिये क्वालिटी मार्किंग की स्कीम भी चलायी है। उस स्कीम के चलाने का मतलब यह है कि ये तमाम गृह उद्योग-धंधे द्वारा जो हम अपने यहां ऐसी वस्तुयें और पदार्थ पैदा करते हैं वे विशेष तौर पर पैदा हों और उनकी उच्च क्वालिटी तैयार की जाय। हमें इस बात की सूचना मिली है कि जो हमारे यहां कालीनों के रोजगार थे वे उत्तरोत्तर घटते जा रहे हैं, जूते के रोजगार घटते जा रहे हैं, ताले के रोजगार घटते जा रहे हैं और उसका मुख्य कारण यह है कि जो लोग इन चीजों को तैयार करते हैं वे अब घटिया किस्म की चीजें तैयार करने लगे हैं। ऐसी तैयार की हुई चीजें जब विदेश में जाती हैं तो अब उनको लोग कम खरीदते हैं और उनके अन्दर एक तरह से गलतफहमी पैदा हो गयी है। उसी गलतफहमी को दूर करने के लिये क्वालिटी मार्किंग की जाती है ताकि वे हमारे देश में तैयार की हुई चीजें खरीद सकें। अपने प्रदेश में हम कुछ ऐसी वस्तुयें और पदार्थ पैदा करते हैं, जिनके द्वारा हम पहले एक्सचेंज कमाते रहे हैं क्योंकि विदेश वाले उन वस्तुओं और पदार्थों को अपने यहां मंगाते रहे हैं लेकिन जब से घटिया किस्म की चीजें तैयार होने लगी हैं तब से हमारा एक्सचेंज का कमाना घट गया है। यह हमारे लिये शर्म की बात है कि यहां पर घटिया किस्म की चीजें तैयार कर विदेशों में भेजी जायं। यह तो ऐसी बात होगी जो हमारे लिये गौरव बढ़ाने वाली बात नहीं होगी। इसीलिये क्वालिटी मार्किंग की स्कीम चलायी गयी है, ताकि इन घरेलू और छोटे-छोटे उद्योग-धंधों को बढ़ाया जाय। इसमें खर्च करने के लिये भी इस वर्ष अधिक रुपया रखा गया है। लेदर की शिक्षा के लिये तथा जूता आदि की शिक्षा के लिये भी इस बजट में अधिक रुपया रखा गया है। शिक्षा के लिये भी इस बजट में रुपया रखा गया है क्योंकि उद्योग धंधे और खासकर छोटे छोटे उद्योग-धंधे बिना टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ाये इस प्रदेश में नहीं बढ़ाये जा सकते हैं। हम चाहते हैं कि पोलीटेकनिकल जैसी शिक्षा, जहां मैकेनिक आदि बनाने की शिक्षा दी जाती है उन संस्थाओं को उच्च किस्म की शिक्षा दी जाय ताकि वहां से ऐसे लोग निकल कर उन वस्तुओं और पदार्थों का उत्पादन कर सकें जिनकी इस प्रदेश को और इस देश को आवश्यकता है और जिनको पैदा करके हम विदेशों में भेज सकते हैं। अभी तक ३८ लाख रुपया टेक्निकल शिक्षा के लिये दिया गया है। अगले वर्ष ५,६ लाख रुपया और भी इसलिये रखा गया है कि गोरखपुर में पोलिटेकनिक इंस्टीट्यूशन हो, लखनऊ में एक इंस्टीट्यूशन है, बनारस में एक इंस्टीट्यूशन है और गाजीपुर में भी एक पोलीटेकनिक इंस्टीट्यूशन चल रहा है। कानपुर में भी इंस्टीट्यूशन को बढ़ाने का विचार है, उसके लिये इक्वीपमेंट आदि भी लेना है, और उसके साथ-साथ पढ़ने लिखने की अधिक से अधिक सामग्री कर दी जावेगी।

इसके लिये भी बजट में रुपया रखा गया है। लखनऊ टेकनिकल इंस्टीट्यूट के सिलसिले में भी काफी धन व्यय करने के लिये इस बजट में रखा गया है। पोलीटेकनिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिये और विद्यार्थियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिये भी वित्तीय वर्ष में धन रखा गया है और हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि लोगों को अधिक उपयोगी शिक्षा मिल सके। टेक्निकल बोर्ड की स्थापना की गयी है और उसके लिये भी अगले वर्ष के बजट में धन रखा गया है। ऐसी संस्थायें जो पोलीटेकनिक की शिक्षा देती हैं दो हैं और चार संस्थाओं का और प्रबन्ध किया जा रहा है जहां इस तरह की शिक्षा दी जायगी। इसका जो इम्तहान होता है इंटरमीडियेट बोर्ड की तरफ से उसके लिये इंटर टेक० और मैट्रिक टेक० की सर्टिफिकेट दी जाती है। टेक्निकल बोर्ड की स्थापना करके हम टेक्निकल शिक्षा के स्तर को ऊंचा करना चाहते हैं और अभी तक जो टेक्निकल शिक्षा के स्तर में कमी है उसका निराकरण हम इसी तरह से कर सकते हैं। इस कार्य के संबंध में हमें केंद्रीय सरकार का भी सहयोग और सहायता प्राप्त है और केंद्रीय सरकार ने ३ पालीटेकनीक्स को सहायता देने का वचन दिया है और उनकी सहायता गैरसरकारी संस्थाओं के लिये भी है। उन्होंने हमें वचन दिया है कि जितनी हमारी सरकारी संस्थायें हैं उनमें से ३ पालीटेकनीक्स के लिये एक तिहाई खर्च वह बरदाश्त करेंगे और गैर सरकारी संस्थाओं को भी कम से कम आधा रुपया दिया जायगा और इस तरह से हम टेक्निकल एजूकेशन की वृद्धि करके प्रदेश में उसके स्तर को ऊंचा करने का प्रयत्न कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में टेकनिकल एजूकेशन का स्तर ऊंचा हो जिससे कि तमाम तरह के मैकेनिक्स, एलेक्ट्रिशियन्स और फाउन्ड्री आदि के निर्माता पैदा हो सकें। हमारे यहां आज इंजीनियर्स की इतनी कमी नहीं है जितनी कि टेक्नीशियन्स की है और उसी के लिये हम विभिन्न स्थानों पर टेक्नीशियन्स की उचित शिक्षा देने का प्रबन्ध कर रहे हैं। हमें अपने यहां टेकनिकल एजूकेशन के स्तर को ऊंचा करना है और साथ ही उनकी संख्या बढ़ाने को भी प्रयत्न करना है। कानपुर में हमारे हारकोर्ट बटलर टेक्नोलांजिकल इन्स्टीट्यूट में अभी तक कई विषयों की शिक्षा दी जाती है। उस इंस्टीट्यूट के स्तर को और वहां की शिक्षा और विषयों को बढ़ाने के संबंध में एक घोष कमेटी स्थापित की गई थी, उसकी सिफारिशें आ गई हैं और उनको हमने मान लिया है और हमने अब वहां केमिकल इंजीनियरी के विषय और लिखा पढ़ी के दूसरे विषयों को बढ़ाने का भी निर्णय लिया है और इसी वित्तीय वर्ष में हम वहां कुछ नये विषयों की भी स्थापना करने जा रहे हैं, जिससे उस इन्सटीट्यूट का स्तर ऊंचा हो और वहां नये विषयों की जानकारी और लिखा पढ़ी का सुभीता हो।

जहां तक लखनऊ के आर्ट्स स्कूल का संबंध है, उसके संबंध में भी माननीय सम्पूर्णानन्द जी के तहत में एक कमेटी बैठाई गयी थी और उस कमेटी ने भी सरकार से कुछ सिफारिशें की थीं और अब सरकार ने उन तमाम सिफारिशों को मंजूर कर लिया है और अब सरकार इस काम में लगी हुई है कि उस स्कूल का स्तर ऊंचा कर के वहां कुछ ऐसे नये विषय भी पढ़ाये जायं जिनकी अब तक कमी थी, अब वहां इन्सट्रक्टर्स भी सुयोग्य मुकर्रर करने की कोशिश है और वहां डिजाइन्स आदि की शिक्षा देने वाला भी नियुक्त किया जायगा। सरकार ने वहां की इमारत के लिये भी कुछ रुपया देना तय किया है जिससे वहां का स्तर ऊंचा उठे और जिससे वह संस्था प्रगतिशील और ऊंचे स्तर की बन सके। इस तरह से उत्तरोत्तर हमने टेक्निकल शिक्षा की संस्थाओं का निर्माण किया है और हम ने अपने यहां टेक्निकल शिक्षा के ऊंचे स्टैन्डर्ड को लाने का प्रयत्न किया है।

मेरठ में मुख्तार सिंह पालीटेकनिक इन्सटीट्यूट था जो दो स्थानों पर, यानी दौराला और मेरठ में था। उसके बारे में हमने निर्णय किया है कि उसको दो विभागों में बांट दिया जाय और दौराला में एक संस्था काम करे और मेरठ में दूसरी संस्था

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

कार्य करें। उसके लिये भी हमने इस बजट में रुपया रखा है जिससे वहां की शिक्षा का स्तर ऊंचा उठे और प्रदेश के लोगों का लाभ हो। हमारी यह भी कोशिश है कि इस प्रदेश में केंद्रीय सरकार की सहायता से इलाहाबाद मे एक रीजनल प्रिंटिंग इंस्टीट्यूट कायम करें और इसके अलावा हम कानपुर में भी एक रीजनल पालीटेक्निक स्कूल केंद्रीय सरकार की सहायता से खोलने जा रहे हैं, और आशा है कि केंद्रीय सरकार इनकी स्थापना में हमारी सरकार को काफ़ी सहायता प्रदान करेगी। जैसा कि मैंने बताया कि केंद्रीय सरकार हमें और विषयों के संबंध में सहायता दे रही है और उसके अनुसार जो कमेटी नियुक्त हुई, उसकी सिफारिशों पर अमल करते हुये हम टेक्निकल एजूकेशन के लिये एक बोर्ड की स्थापना करने जा रहे हैं और इसके बारे में हमने निर्णय किया है। सरकार ने प्रदेश में इंडस्ट्रीयल कोआॅपरेटिव्ज की भी स्थापना करने का निर्णय किया है। अपने प्रदेश में करीब १०४१ इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव्ज स्थापित है, जिनमें से अधिकतर तो हैंडलूम के कार्य का संचालन करते हैं और उसके प्रोडक्शन के कार्य में अपने को लगाये हुये हैं। करीब दो सौ इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव्ज हैं जो और कार्यों में संलग्न हैं। हम चाहते हैं कि अधिक संख्या में और कार्यों में लगे हुये कोआपरेटिव्ज हमारे बीच में स्थापित हों। अब तक उसके रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में दिक्कतें रहा करती थीं। लोगों को दौड़-ड़ौड़ कर कानपुर जाना पड़ता था। सरकार ने निश्चय किया है कि इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव्ज के रजिस्ट्रेशन के स्टेशन्स हर जिले में ही हो जाय और इडस्ट्रीज विभाग के कर्मचारी और अन्य विभागों के कर्मचारी भी इस रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में सहयोग प्रदान करेंगे और अब लोगों को कानपुर दौड़-दौड़ कर नहीं जाना पड़ेगा। यह इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव्ज जैसा मैंने बताया कि हैण्डलूम के कार्य को बहुत उत्तमता के साथ करते हैं। केन्द्रीय सरकार ने साढ़े सैंतीस लाख रुपये की धनराशि हमें हैंडलूम के रोजगार को बढ़ाने के लिये प्रदान की है उसके द्वारा इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव्ज जो हैंडलूम के कार्य में लगे हुये थे वे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप जानते हैं कि सरकार मुरादाबाद में एक सप्ताह मनाने जा रही है हैंडलूम का सप्ताह जिसमें प्रदेश और देश के लोगों का ध्यान आकर्षित करने जा रही है कि हैण्डलूम के द्वारा बनी हुई चीजों के लिये कि वे चीजें कितनी उत्तम बनने लगी हैं। साथ इस सदन के सदस्य जिन्हें कि नुमायश देखने का अवसर प्राप्त हुआ है वे इसका काफी परिचय रखते हैं और मुझे अब इस विषय पर अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हैण्डलूम के विषय में, उसके रोजगार को बढ़ाने के सिलसिले में , उसके डिजाइन्स के सिलसिले में और उसकी फ़िनिशिंग को अच्छा बनाने के सिलसिले में सरकार ने मऊ में एक फैक्टरी खोली थी जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है, जहां करीब १२ लाख गज कपड़ा फ़ैक्टरी के द्वारा उसकी फ़िनिशिंग और कलरिंग हुआ है।

जहां तक डिजाइन्स का सम्बन्ध है, उसके सिलसिले में भी बनारस नें डाइंग की ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि जो सिल्क का रोजगार था जिसमें पहले कच्चा रंग इस्तेमाल होता था अब वहां पक्का रंग इस्तेमाल होने लगा है और सिल्क का रोगजार वहां का बढ़ता जा रहा है सरकार यह चाह रही है कि जिन रोजगारों पर अब तक हमारी क्वालिटी मार्किग की स्कीम नहीं चल रही है उसको इसके तहत में लाकर उसके रोजगार के क्षेत्र को बढ़ावें। मैंने अभी बताया कि और भी ऐसे रोजगार हैं जिनके सिलसिले में क्वालिटी मार्किंग की स्कीम चालू नहीं थी। हम चाहते हैं कि अगले वर्ष जहां तक अपने मुरादाबाद के वर्तनों का सम्बन्ध है उसमें और लेदर गुड्स इत्यादि में क्वालिटी मार्किंग की स्कीम को चलावें और इसलिये हमने अगले वर्ष क्वालिटी मार्किग के प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिये और इन चीजों पर क्वालिटी मार्किग की स्कीम को चलाने के लिये अगले वित्तीय वर्ष में अधिक धन व्यय करने का निर्णय किया है और वह धन इस बजट में दिया हुआ भी है। छोटे-छोटे उद्योग-

धंधों को जिनकी समस्यायें भिन्न हैं बड़े-बड़े उद्योग-धंधों से उनको सहायता प्रदान करने के लिये अब तक तो सरकार कुछ धन व्यय किया करती थी और प्रत्येक वर्ष तीन लाख रुपये का अनुदान ऋण के रूप में और एक लाख से कुछ अधिक धन ग्रांट्स के रूप में दिया करती थी, परन्तु यह धन भी मैं समझता हूं कि छोटे-छोटे उद्योग-धंधे जो अधिक धन की आवश्यकता रखते थे वह सहायता ठीक से नहीं प्राप्त कर पाते थे और इस धन में उस योजना की तहत में पहले ५ हजार एक व्यक्ति को मिल सकता था और १० हजार कोआपरेटिव सोसाइटीज को मिल सकता था परन्तु सरकार ने अपनी नीति में परिवर्तन कर दिया और अब १० हजार तक एक व्यक्ति को इन छोटे उद्योग-धंधों के लिये ऋण मिल सकता है और १५ हजार रुपये तक ऋण कोआपरेटिव सोसाइटीज को मिल सकता है या इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटीज को मिल सकता है जो इस प्रकार के छोटे-छोटे उद्योग-धंधों के काम में लगे हुए हैं। हमने यह भी तय कर लिया है कि अब की साल एक दफा इन अनुदानों को बांटने के लिये एक कमेटी जिसमें इस सदन के सदस्य प्रतिनिधि के रूप में बैठते हैं वह बैठा करते थे और वह साल में एक दफा निर्णय लिया करते थे, लेकिन अब हमने यह फैसला कर लिया है कि उस कमेटी की बैठक अनुदानों को बांटने के लिये कम से कम साल में ४ दफा होगी। इससे अधिक मात्रा में अर्जियां देखी जा सकती हैं और उन लोगों को जो इन छोटे-छोटे उद्योग-धंधों में लगना चाहते हैं अधिक सहूलियत मिल सकती है। हमने इन छोटे-छोटे उद्योग धंधों को सहायता देने के लिये एक फायनेंशल कारपोरेशन भी स्थापित कर दिया जिसका कैपिटल करीब ३ करोड़ रखा है। इसमें सरकार ने स्वयं धन लगाया है और बाहर के लोगों से भी धन लगाने के लिये निवेदन किया है। हम आशा करते हैं कि इस फायनेंशल कारपोरेशन की स्थापना के बाद वह छोटे-छोटे उद्योग-धंधे जिन्हें अब तक उचित मात्रा में सहायता नहीं मिल पाती थी, उनको उचित मात्रा में प्राप्त हो सकेगी। अपने उद्योग-धंधों को उठाने के लिये वे कदम उठा सकेंगे, जिससे वे अधिक मात्रा में इस उद्योग में बनी हुई चीजों को पैदा कर सकें, जिस उद्योग में वे लगे हुए हैं। हम आशा करते हैं कि जो लोग हमारे इस फाइनेन्शियल कारपोरेशन के संचालकगण हैं वे हमेशा अपनी सहानुभूति इन छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों की तरफ रखेंगे, क्योंकि इस बात की आवश्यकता है कि जितने भी छोटे उद्योग-धन्धे हैं उनको पनपाने के लिये हमारा दृष्टिकोण सहानुभूति का होना चाहिये। यदि हम रुपये देने के विषय में टेक्निकल एटीटचूड रखते हैं, जैसा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट किसी चीज को मंजूर करने के लिये रखता है तो कदाचित हम उस ध्येय को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, जिसको प्राप्त करने के लिये हमने इस फाइनेंन्शियल कारपोरेशन की स्थापना की है। हम बराबर इस बात की चेष्टा कर रह रहे हैं कि जिन उद्योग-धंधों को सरकार और केन्द्रीय फाइनेन्शियल कारपोरेशन से सहायता नहीं मिलती है योंकि केन्द्रीय कारपोरेशन बड़े-बड़े उद्योग-धंधों को चलाने के लिये सहायता देता है या बड़े-बड़े उद्योगपतियों को देता है, तो हम अपने फाइनेन्शियल कारपोरेशन के तहत में रुपया उन छोटे-छोटे उद्योग-धंधों को दे रहे हैं। हमारी यह कोशिश है कि हमारा यह फाइनेंशियल कारपोरेशन उन छोटे-छोटे उद्योग-धंधों को रुपया दे जिनको अभी तक कहीं से कुछ नहीं मिल रहा था। हम आशा करते हैं कि इस फाइनेन्शियल कारपोरेशन से अधिक लोगों को सहायता मिलेगी।

मैंने अभी हैन्डलूम के बारे में चर्चा की थी और यह बतलाया था कि केन्द्रीय सरकार ने सेस के रूप में जो सेस का रुपया पावर लूम के द्वारा बनाये हुए कपड़े पर लगाया है तो उसमें से हमने काफी रुपया हैन्डलूम के प्रसार पर लगाया है। इसके

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

सिलसिले में केन्द्रीय सरकार की एक कमेटी बनी है और उसने हमें भी काफी रुपया दिया है। हमने इस हैन्डलूम के व्यवसाय को बढ़ाने का जहां तक ताल्लुक है, बनारस इन्स्टीटचूट ने इसमें काफी ऐसे अप्लायेन्सेज की खोज कर ली है, जिससे कपड़ा बनाने में अधिक सुविधा मिलने लगी है। कदाचित सदस्यों को इस बात का परिचय होगा कि बनारस में जो टेक्सटाइल इंस्टीटचूट हैं उसमें आटोमोटिक लूम चालू किया है और उससे ८ घंटे में २० गज कपड़ा तैयार कर लिया जाता है जब कि पहले इतने ही समय में मुश्किल से साढ़े सात या आठ गज कपड़ा तैयार हो सकता था। यह ऐसा कार्य है कि हैन्डलूम की इन्डस्ट्री को इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ है और इसकी चर्चा उस कमेटी ने भी की थी जो कि केन्द्रीय सरकार ने हैन्डलूम इत्यादि की जांच के लिये नियुक्त की थी।

हमने डिजाइन्स को बढ़ाने के लिये यहां लखनऊ के आर्ट्स स्कूल में व्यवस्था की है कि नये डिजाइन्स निकाल कर इस हैंडलूम के रोजगार को ऐसा कर दें जिससे उसका विदेशों में और अधिक प्रसार हो सके। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सा हैन्डलूम का कपड़ा विदेशों में जाता है इसलिये वहां पर विभिन्न प्रकार के डिजाइन्स तैयार हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम उत्तरोत्तर तरक्की कर रहे हैं और हमने अगले वर्ष के बजट में भी इसके लिये रुपया रखा है और उस पर व्यय करने जा रहे हैं।

टचूशनल क्लासेज की, खादी प्रोडक्शन के सम्बन्ध में और अधिक व्यक्तियों को शिक्षा देने के लिये, स्थापना की गयी है। बाढ़ के जमाने में और उसके बाद ऐसे स्थानों में लोगों को सहायता देने के लिये क्लासेज खोले हैं और इसके द्वारा लोगों को कताई और बुनाई का काम सिखाया है। मैं उनकी संख्या अभी आपको पढ़ कर सुना दूंगा। उस संख्या की जानकारी प्राप्त हो जाने से आपको पता चलेगा कि कितने आदमियों को सरकार ने इस तरह से रोजगार पर लगाया है। खादी के सिलसिले में बहुत से ऐसे व्यक्तियों ने शिक्षा प्राप्त की है जो कि शिक्षा प्राप्त करके उन लोगों को बुनाई इत्यादि का काम सिखा सकें, जिनको यह कार्य आता नहीं है या जो अभी इस प्रकार के उद्योग में नहीं रहे हैं। आंकड़े तो बहुत लम्बे चौड़े हैं, यदि उस संख्या का जिसका कि जिक्र यहां पर किया गया है, मैं वर्णन करूं तो वह करीब १० हजार के पहुंच चुके हैं। इसी तरह से शिक्षकों की भी संख्या जो कि हमारे बीच में शिक्षा प्राप्त करके तैयार हुए हैं उनकी भी संख्या कई स्थानों पर करीब १३७ है, जो कि लोकल वर्कर्स की ट्रेनिंग में रखे गये हैं। प्लानिंग सेन्टर में भी ८१ के करीब संख्या हुई है और जो कपड़ा इत्यादि तैयार किया गया है वह भी कई हजार की संख्या में है तथा जो चर्खे इत्यादि बांटे गये हैं वह भी करीब दस हजार की संख्या में हैं। जो प्रगति ऊन की हमारे प्रदेश में आरम्भ हुई है वह भी एक ऐसा कार्य है कि जिससे काफी लोगों को उद्योग में लगाया जा सकेगा।

पहाड़ी जिलों की समस्या, प्रदेश की समस्या से भिन्न है। कुछ पहाड़ी प्रदेश ऐसे हैं जहां पर खेती वग़ैरह का भी कार्य होता है, रिफारेस्ट्रेशन का कार्य होता है, और कुछ लोग जो पहले तराई भावर में खेती करने के लिये आया करते थे, वह अब नहीं आते हैं, इसलिये वहां पर काफी लोगों की संख्या ऐसी हो गयी है जो कि बेरोजगार हो गये हैं और इस प्रकार से उनकी बेरोजगारी की समस्या बढ़ गयी है। उस समस्या को हटाने के लिये पहाड़ों के अन्दर पालीटैक्निक्स खोल रखे हैं जहां पर पाली इत्यादि के या और भी जितने उद्योग-धंधे हैं उनकी शिक्षा यदि किसी को प्राप्त करनी हो, तो उसके लिये इन पालीटैक्निक्स को कायम किया गया है और उनकी स्कीम पहाड़ी क्षेत्रों के अन्दर बहुत तेजी से चलाई गयी है। वहां पर अभी तक ८ हजार ७ सौ स्पिनर्स कायम किये गये हैं और विवर्स की भी संख्या ५७५ के करीब हो चुकी

है और उससे जो साल भर में प्रोडक्शन किया गया है वह एक लाख ४५ हजार ४ सौ ९४ गज कपड़े का है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन पहाड़ी क्षेत्रों में जो बेरोजगारी की समस्या उग्र रूप धारण कर चुकी थी, उसको सुलझाने का प्रयत्न किया गया है, ताकि उन लोगों को रोजगार देने के लिये, जो कि तिब्बतन बोर्डर पर रहते हैं या उस क्षेत्र में रहते हैं, उनके लिये भी इस प्रकार का प्रबन्ध किया गया है जिससे कि वह लोग आसानी से रोजगार की चीजों को प्राप्त कर सकें और वह ऐसी ही चीजें हों जो कि उन्हीं क्षेत्रों में मिलती हों और वहां के लोगों को रोजगार में लगाने की जो चेष्टा की गयी है उसके लिये १० या १२ लाख की रकम इस बजट में रखी गयी है। साथ ही पहाड़ी इलाकों में रहने वालों को रोजगारी दिलाने के लिये फ्रूट इन्डस्ट्रीज खोली गयी है और उसके तहत में इस बजट में १२ लाख की रकम रखी गयी है जिससे वहां यह इन्डस्ट्री डैवलप कर सके। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र,हमारे प्रदेश के वह क्षेत्र हैं जहां कि पोली इत्यादि की रोजगार अच्छी तरह से दिलाई जा सकती है और इसी प्रकार से वहां के लोगों को रोजगारी दिलाने के लिये आरचर्ड का निर्माण और नरसरी वगैरह का निर्माण काफी मात्रा में हो रहा है और इस प्रकार से वे लोग रोजगार पर लगाये जा रहे हैं। सरकार की ओर से फैक्टरी के संचालन के लिये एक व्यक्ति की नियुक्ति की गई है और डाइरेक्टोरेट ब्रनाया गया है ताकि वह अपने बीच में काम कर सके। जो कार्य अब तक हमारे प्रदेश में नहीं हुआ है वह अब हम करने जा रहे हैं और आशा है कि हम उसमें सफल भी होंगे।

इसी सिलसिले में नर्सरी में भी हमने काफी काम किया है। ऐसे बहुत से फल जो अब तक हम को बाहर से मंगाने पड़ते थे, उस मांग को अब हम अपने प्रदेश में ही पूरा कर लेंगे और फिर हम को बाहर से मंगाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस कार्य के करने से हमारे देश की जो बेरोजगारी की समस्या है उसको भी हल करने में बहुत कुछ मदद मिलेगी। इसके जरिये से बहुत से व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही साथ हमने इस बात की भी चेष्टा की है कि अधिक से अधिक और ज्यादा से ज्यादा फल हमारे प्रदेश में पैदा हों, इसके लिये विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को इसके लिये शिक्षा दी जा रही है और हम आशा करते हैं कि जो हमारे छोटे-छोटे उद्योग धंधे हैं उनमें इन लोगों से मदद मिल सकेगी और हमारा काम अच्छी तरह से चल सकेगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जहां पर उद्योग कम है और काफी मात्रा में लोग बेरोजगार हैं उनको इस तरह से रोजगार भी मिल जायगा और देश का लाभ भी होगा और हमारे देश की जो बेरोजगारी की समस्या है वह भी हल हो जायगी। हमारे यहां जो छोटे-छोटे उद्योग धंधे हैं उनकी काफी उन्नति होगी। अभी जैसा कि मैं पहले बतला चुका हूं कि पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पर काफी लोग बेकार रहते हैं, उन उद्योग धंधों की वजह से उनको वहां पर काफी काम भी मिल जायगा क्योंकि हमने ऊनके कार्य को भी करना आरम्भ कर दिया है। हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें केन्द्रीय सरकार ने भी सहायता देने का वचन दिया है और बहुत कुछ दे भी चुकी है।

मैंने यह भी कहा था कि हमने अपने प्रदेश में दो बड़े उद्योग धंधे कायम किये हैं। एक तो सीमेंट का है। इसके लिये हमने एक काफी बड़ी सीमेंट फैक्टरी कायम कर दी है जिसमें ८० फीसदी सीमेंट इस समय पैदा हो रहा है। कहा यह जाता है कि जो सीमेंट इसमें पैदा होता है वह सब से अच्छा और उम्दा होता है, जो सीमेंट बाजारों में मिलता है उससे यह सीमेंट बहुत ही अच्छा होता है। यह सीमेंट जो यहां पर तैयार किया जाता है उसकी किस्म बहुत अच्छी बतायी जाती है। मजदूरों के लिये भी बहुत सी इमारतें बन गई हैं इसके अलावा और भी बहुत सी सुविधायें

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

हम देने की चेष्टा कर रहे हैं। हम यह चाहते हैं कि वहां के मजदूरों को हर प्रकार की सुविधा दी जाय। इस क्षेत्र में काफी मेहनत से काम हो रहा है और हम आशा करते हैं कि हमको इस मेहनत का फल मिलेगा। हमारी बराबर यही चेष्टा रही है कि इस फैक्टरी की उन्नति हो और देश का लाभ हो। पब्लिक सेक्टर में यह होता है कि अधिक धन खर्च होता है, मगर यहां के संचालकों का यह ख्याल है कि कम धन खर्च करके निर्माण कार्य अधिक किया जाय। पब्लिक सेक्टर में जो कार्य होता है इसलिये नहीं होता है कि मुल्क को कोई फायदा पहुंचे। वे परिश्रम करके उस पब्लिक सेक्टर के कार्य में इसलिये लगे हुए हैं कि उनकी मेहनत के द्वारा वे चीजें अपने प्रदेश के अन्दर पैदा होंगी जिनकी आवश्यकता प्रत्येक नागरिक को है। इसलिये उनमें उनका सहयोग बराबर का सहयोग होता रहे। उसमें मालिक और मजदूर के सहयोग का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। इसलिये आज जिन पब्लिक सेक्टर के कार्यों में हम लगे हुए हैं, जिनको उठाने की हम चेष्टा कर रहे हैं उनमें हमारी अभिलाषा यही है कि हम इस तरह से कार्य करें कि प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले में हम इस तरह से कार्य सम्पादित कर सकें जिससे कि हम यह सिद्ध कर सकें कि प्राइवेट सेक्टर जो यह दिखाने की चेष्टा करते हैं कि वे कम दामों में और कम समय में चीजों को पैदा कर लेते हैं, यह एक मिथ्या बात है। जो सुभीता हम एक पब्लिक सेक्टर द्वारा सम्पादित या चलाई हुई फैक्टरी द्वारा आम जनता को देते हैं उसके मुकाबले में प्राइवेट सेक्टर कभी वह राहत नहीं दे सकता। इसीलिये मैंने कहा कि आज हमारे वे अधिकारी जो इस कार्य में संलग्न हैं इम्तिहान पर हैं और हम आशा करते हैं कि वे इस इम्तहान में उत्तीर्ण होंगे और उत्तीर्ण होकर वे आज उन लोगों को शिक्षा दे सकेंगे पब्लिक सेक्टर द्वारा फैक्टरियों को चलाना देश के हित में है, मजदूरों के हित में है, समाज के हित में है और उनके द्वारा कम कीमत पर अधिक सुभीता जो उनमें काम करते हैं वे प्रदान करने की कोशिश करते हैं। मैंने यह भी बताया कि हमने अपने बड़े उद्योग धन्धों में एक बड़ी फैक्टरी लगाई है जो कि देश और प्रदेश के लिये मीटर इत्यादि तैयार करेगी। केन्द्रीय सरकार ने उन मीटर्स के बिकने का प्रबन्ध कर लिया है। सारी म्यूनिसिपैलिटीज के लिये और केन्द्र की अन्य संस्थाओं के लिये जो मीटर्स और माइक्रासकोप्स तैयार होंगे उनके लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं कि वे इस फैक्टरी का माल खरीदें। हम आशा करते हैं कि अगले वर्ष तक यह फैक्टरी इस तरह से कार्य करेगी कि जो कुछ हम इस पर व्यय कर रहे हैं उसे हम एक्नामिक ढंग से संचालित कर सकें और उसका बना हुआ माल देश में हम अधिक मात्रा में वितरित करा सकें। मैंने संक्षेप में आपके समक्ष एक तस्वीर जो उद्योग-धंधे हम मोटे रूप में चला रहे हैं, उनके सिलसिले में सदन के सामने रख दी है। इन उद्योग धन्धों के चलाने के सिलसिले में उनकी योजनाओं को कार्यान्वित करने के सिलसिले में हमसे भूलें और गलतियां भी हुई हैं और हम आशा करते हैं कि हम उन गलतियों और भूलों पर विजय प्राप्त करते हुये अपने प्रदेश में उद्योग-धंधों को इस मात्रा में संचालित कर सकेंगे जिससे कि हम अधिक मात्रा में इस प्रदेश के रहने वालों को रोजगार दे सकें और रोजगार दे कर इस देश और प्रदेश की गरीबी मिटा सकें और साथ ही अपने बीच में उस असमानता को बुनियाद से अपनी नजरों से विलीन कर सकें जो असमानता आज भी हमारे बीच में फैली हुई है। हम चाहते हैं कि उत्तरोत्तर इन उद्योग धंधों द्वारा लोगों को रोजगार में लगा कर, उनके स्तर को ऊंचा करते हुए उस समाजवाद व्यवस्था को अपने बीच में स्थापित कर सकें जिसका आदर्श मान कर हम आज ये कार्य कर रहे हैं। इस आदर्श को मान कर हम सोशलिस्ट ढंग से बहुत सी उन चीजों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं जिनकी तरफ हम जाना चाहते हैं लेकिन मैं सदन को और सदन के माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी ये

जो उद्योग-धन्धों की योजनायें हैं उनकी एक ही मंशा है और वह मंशा यह है कि हम अधिक संख्या में लोगों को रोजगार में लगायें, लोगों को बेरोजगारी से हटावे और लोगों की गरीबी को दूर करें। ऐसा करने में हम तभी सफल होंगे और समर्थ होंगे जब हमें प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग प्राप्त होता रहेगा क्योंकि यह एक ज्वाइंट इंटरप्राइज है। ज्वाइंट इंटरप्राइज इस माने में कि इसमें लगे हुए व्यक्तियों को अपनी सहायता और सहयोग देना होगा और साथ में सरकार का एक उत्तरदायी के रूप में, एक संचालनकर्ता के रूप में जो कि उन उद्योग-धंधों को पनपाने के कार्य में लगी हुई है उसे अपनी सहायता और सहयोग देना होगा। मैं आशा करता हूं कि जो योजनायें मैंने आपके सामने पेश की हैं और जिन उद्योग-धन्धों का संचालन करने में हम लगे हुए हैं उनमें इस प्रदेश और देश की जनता का सहयोग हमें मिलेगा और साथ ही हम उन सुझावों और क्रिटिसिज्म को भी सुनेंगे जो रचनात्मक ढंग के होंगे और उन पर अमल करने की भी हम पूरी पूरी चेष्टा करेंगे। मैंने, जैसा कि सदन के सदस्यों को पता है कि इस विभाग को केवल दो तीन महीने पूर्व से ही सम्हाला है। दुर्भाग्य से मैं उतना समय इसके संचालन में नहीं दे सका हूं जितना कि इसके संचालन के लिये देना चाहिये था। हो सकता है कि मैंने जो अभी बहुत सी बातें आपके सामने रखी हैं, मैं उनको रखने में कहीं भूल भी गया हूं, या उनमें कुछ भूल रह गई हो, आशा करता हूं कि ऐसे व्यक्ति के नाते जिसे बहुत उद्योग धन्धों के विषय में अनुभव नहीं है आप मुझे क्षमा करेंगे। जो कुछ त्रुटियां आदि विभाग के संचालन में हैं उनके विषय में जो सुझाव आप प्रस्तुत करेंगे, मैं और मेरे विभाग के कर्मचारी उनके ऊपर अमल करने का प्रयत्न करेंगे। आशा करता हूं कि यह विभाग जिसके द्वारा प्रांत के रहन सहन में बेहतरी लाने की एक मांग इस सदन के समक्ष रखी गई है, यह आपके द्वारा इस प्रकार से विचार की जायगी जिससे कि हमें अधिक सहायता मिले, सहयोग मिले और हम उन कार्यों की पूर्ति में सफल हो सकें जिन्हें हमने अपनी जिम्मेदारी बना रखा है। मैं इन चन्द शब्दों के साथ इन तीनों विषयों के अनुदानों को सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या २७ में १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, समाजवादी ढांचे को बनाने वाली सरकार के उद्योग मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट के भाषण और बजट को मैंने अच्छी तरह से पढ़ा, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बजट से बड़ी ही निराशा पैदा हुई। कोई भी आशा का संचार इस बजट को देखने से नहीं प्रतीत होता है। इस बजट को देखने से और पढ़ने से यह नहीं मालूम होता है कि जो सरकार समाज को समाजवादी ढांचा देना चाहती है वह किस तरह से उसको समाजवादी ढांचे में परिणित करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तो उम्मीद थी कि आज सरकार केंद्रीय सरकार के परामर्श के बाद बड़े-बड़े उद्योग-धंधों के समाजीकरण की बात सदन में कहेगी, लेकिन बड़े उद्योग-धंधों में जिनमें कि देश के और प्रदेश के लाखों आदमी लगे हुये हैं और जो कि आज पूंजीवाद की व्यवस्था के चक्कर में पिस रहे हैं और जिसमें पिसने के बाद भी उनको भरपेट भोजन नहीं मिलता है वह आज तरक्की नहीं कर सकते हैं और उनका शोषण किया जाता है और उनके उल्लास के लिये, उनको शोषण से छुटकारा दिलाने के लिये सरकार ने किसी किस्म की कोई भी घोषणा नहीं की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जब पूरे बजट को देखता हूं तो उसको हम तीन हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो बड़े-बड़े उद्योग-धंधे हैं जो कि व्यक्तिगत लोगों के द्वारा चलाये

[श्री गजेन्द्रसिंह]

जा रहे हैं। दूसरे उससे छोटे उद्योग-धंधे हैं और तीसरे वह उद्योग-धंधे हैं कि जो सरकार के द्वारा चलाये जा रहे हैं। इनमें बड़े उद्योग-धंधे भी हैं और छोटे-छोटे उद्योग-धंधे भी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्राइवेट लोगों के द्वारा चलाये जाने वाले उद्योग-धंधों का संबंध है, सरकार ने उसमें एक अभिनवीकरण की योजना इस्तेमाल की है। उस योजना के बड़े अच्छे अच्छे उद्देश्य समझाये जा रहे हैं और उसका आरम्भ छंटनी से हो रहा है। इसमें तो छंटनी नहीं होनी चाहिये थी लेकिन आज बड़े व्यापक पैमाने पर छंटनी हो रही है, जिससे प्रदेश के मजदूरों में बड़ा क्षोभ फैला हुआ है। कानपुर के मजदूर इस प्रश्न को लेकर एक बहुत बड़ी हड़ताल करने जा रहे हैं जिसमें कि वहां पर चलने वाली सभी यूनियनों का सहयोग है और आज देश के मजदूर अपने को इस अभिनवीकरण योजना से एक मुसीबत में पा रहे हैं यह बहुत सही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक जूट के उत्पादन का संबंध है .....

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो लेबर की ग्रांट है उसको कवर कर रहे हैं। उसका संबंध इस अनुदान से नहीं है। रेशनालाइजेशन तो लेबर का विषय है और लेबर का अनुदान तो मंत्री महोदय ने उपस्थित कर दिया होगा या करेंगे।

श्री अध्यक्ष—लेकिन भाषण के बीच में अगर थोड़ा-सा रेशनालाइजेशन का जिक्र आ जाय तो कोई गलत न होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्री कृष्णमाचारी जी से पूछें। उन्होंने कहा है।

श्री गजेन्द्रसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक सहजनवा मिल का ताल्लुक है वहां पर तालाबन्दी पड़ी हुई है और जूट जो किसान पैदा करते हैं उसकी बिक्री के लिये उन्हें कोई भी बाजार नहीं मिलता है। इसलिये बीच के लोगों द्वारा बहुत ज्यादा किसान लूटे जा रहे हैं और सस्ते दामों पर जूट ली जा रही है, जिससे जूट के प्रोडक्शन में रुकावट पड़ रही है।

यही नहीं जहां तक चीनी मिलों का संबंध है सरकार ने ही अपनी इस पुस्तिका में कहा है कि चीनी के उत्पादन में निरन्तर कमी हो रही है और पहले जो चीनी की पैदावार सवा ८ लाख टन होती थी वह साढ़े पांच लाख टन रह गयी है इसका एक बड़ा भारी कारण जिसको सरकार ने स्वयं माना है वह है गन्ने का कम आना। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने गन्ने का दाम इतने नीचे स्तर पर कर दिया है कि किसान अपने गन्ने को बेचने नहीं जाता.....

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, फिर मुझे आपका ध्यान आकर्षित करना है कि जितने विषय हैं इन सब पर सदन में विचार हो चुका है। गन्ने के विषय में मैंने जानबूझ कर, चूंकि उस पर यहां पर विचार हो चुका है, उसका वर्णन नहीं किया, न केन का और न केन की प्राइस का, यह सारे विषय ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हैं और केन कमिश्नर की तहत में जिनका संचालन होता है, सब का जिक्र एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बजट के वक्त हो चुका है और यह सदन विचार कर चुका है। यदि उन चीजों को फिर दुहराना चाहें तो दुहरा सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह सदन केन और एग्रीकल्चर के विषय पर विचार कर चुका है और अब उसके विषय में कुछ कहना मैं समझता हूं ठीक नहीं है क्योंकि मैंने कोई केन के सिलसिले में अनुदान इस सदन के समक्ष नहीं प्रस्तुत किया है।

श्री अध्यक्ष—वह तो ठीक है। मैंने पहले भी इशारा किया था कि जहां आप इसका जिक्र करेंगे कि सोशलिस्ट पैटर्न की स्टेट आप कायम करना चाहते हैं और उस पद्धति को हम स्वीकार करना चाहते हैं और इसी सिलसिले में बड़ी इंडस्ट्रीज का आपने जिक्र किया और छोटी इंडस्ट्रीज का भी जिक्र किया। अगर कोई यह सिद्ध करना चाहे कि सोशलिस्ट स्टेट की तरफ आप इस तरह से नहीं जा रहे हैं और इसलिये बड़ी इंडस्ट्रीज की आपकी जनरल पालिसी का रिफरेंस भाषण में आ जाय तो यह क्रिटिसिज्म चाहे आपके ऊपर लागू न हो सकता हो और न आपके विभाग के ऊपर वे कह सकते हैं, क्योंकि वे तो यह सिद्ध कर रहे हैं कि यह सोशलिस्ड

ढंग नहीं है। तो मैं इस दृष्टि से नहीं देखता हूं कि आपके बजट के अनुदान के ऊपर क्रिटिसिज्म है या नहीं बल्कि आपके भाषण के शब्दों का उल्लेख करके सदस्य इस बात को सिद्ध करना चाहते हैं कि आप की नीति सोशलिस्ट पैटर्न की नहीं है जैसा कि आपने भाषण में प्रतिपादन किया था। इस कारण उनका इस विषय पर तर्क करना असंगत नहीं है।

श्री गजेन्द्र सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वयं माननीय मंत्री जी ने जो कुटीर उद्योग विकास पत्रिका प्रसारित की है, उसमें लिखा है कि इस प्रदेश में ६६ शुगर मिलें हैं। ३९ हजार मजदूर काम करते हैं और चीनी का उत्पादन सन् १९५१–५२ तक बढ़ता रहा है यानी ८.३४ था उसके बाद उत्पादन बराबर घटता रहा है। १९५२–५३ में ७.०० और १९५३–५४ में ५.६० हो गया। इसका कारण यह है कि सरकार ने जो गन्ने के दाम में गिरावट की है इसलिये वे मिल को गन्ना नहीं दे रहे हैं। इस वजह से जो शुगर का उद्योग है उससे भी देश में बड़ी भारी रुकावट पैदा हो रही है। इसके साथ ही सरकार द्वारा जो बड़े-बड़े उद्योग-धंधे चलाये जा रहे हैं उसमें खासतौर से मिर्जापुर सीमेंट फैक्ट्री का जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी वहां पर इंडस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी उस सिलसिले में मैं भी गया था। मैंने स्वयं फैक्ट्री को देखा है। इसमें कोई शक नहीं कि सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया है लेकिन उस फैक्ट्री के देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि जो भी प्राइवेट सेक्टर काम कर रहे हैं उनमें और सरकार में कोई भी कमी नहीं है। अगर मुझे कहने दिया जाय कि उस फैक्ट्री का सरकारीकरण हुआ है तो उचित ही होगा। लेकिन उस फैक्ट्री का समाजीकरण होना आवश्यक है तभी मैं कह सकता हूं कि हमारा समाज उस ओर जा रहा है। फैक्ट्री में मजदूरों को डेली वेजेज दिये जाते हैं और सवा रुपया डेढ़ रुपया वेतन मिलता है और माननीय अध्यक्ष महोदय, जो डेली वेजेज हैं वह भी रोजाना नहीं दी जा रही है बल्कि महीने के अन्दर दी जाती है और महीने डेढ़ महीने बाद मिलती है, इससे बड़ी भारी परेशानी है और मजदूरों में घबराहट है। अध्यक्ष महोदय, जब मैं वहां पर गया और मैं रेड कैप लगाकर गया था, तो बहुत से मजदूरों ने घेर लिया और अपनी दिक्कतें और परेशानियां बतलाईं। उन्होंने यह कहा कि यहां पर कारखाने का जो कानून है वह अभी तक लागू नहीं हुआ है, जबकि वह प्राइवेट सेक्टर में लागू हो रहा है। तो क्या कारण है कि सरकार के कारखाने में वह लागू नहीं है, जबकि और जगह लागू है। साथ ही साथ वहां पर छुट्टी नहीं दी जा रही है। इस प्रकार की काफी वहां लोगों ने परेशानियां बतलायीं। अध्यक्ष महोदय, मैं शाम को अपनी टोपी उतार कर गया तो मुझे कांग्रेसी भाई मिले, उन्होंने मुझे कांग्रेसी समझा और बतलाया कि यहां पर अधिकारियों की ओर से बड़ा जुल्म हो रहा है और ज्यादती हो रही है, हम कुछ कर नहीं पाते हैं। हमको यहां बोलने नहीं दिया जाता है, आप इन चीजों को सरकार की निगाह में डालें। तो वहां पर मजदूरों को किसी किस्म की फ्रीडम नहीं है, आजादी नहीं है। सरकार ने वहां पर मजदूरों के लिये मकान बना दिये हैं, लेकिन जहां पर वह बने हुये हैं वहां कोल डस्ट और सीमेंट डस्ट उड़ कर जाती है और फैक्ट्री का जो कूड़ा है वह सब उनकी ओर जाता है और सुपीरियर क्लास के जो आफिसर्स हैं उनके क्वार्टर वगैरा जो मैंने देखे उनमें जमीन आसमान का परिवर्तन है और वे कहीं अच्छी जगह बने हुये हैं।

इसके साथ-साथ चुर्मा में जहां पर क्वेरीज हैं वहां पर मैं गया था। वहां ५०० मजदूर उस फैक्ट्री के हैं। उनको जिस किस्म का खाना दिया जा रहा है, जो रोटियां दी जाती हैं वह ऐसी काली-काली और इस प्रकार की हैं कि ऐसी जानवरों को भी नहीं दी जाती होंगी। इन तमाम चीजों को देखने के बाद जो नकशा मेरे दिल व दिमाग में आया वह इस बात को साबित नहीं कर रहा है कि सरकार समाजवादी ढांचे की ओर समाज को ले जा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सरकार की फैक्ट्री है उसमें मजदूरों की जो हालत है, मैं समझता हूं कि प्राइवेट फैक्ट्री वालों के मजदूरों की हालत से बदतर हमें मिली। यही नहीं,

[श्री गजेन्द्रसिंह]

जो कीमत सरकार के सीमेंट की होनी चाहिये वह बाजार के सीमेंट से कम होनी चाहिये, लेकिन सरकार का जो सीमेंट बनता है वह उद्योगपति के सीमेंट से भी ज्यादा कीमत पर हमको मिल रहा है। हमारा जो लक्ष्य प्रोडक्शन का होना चाहिये, जो समाजवादी सरकार के प्रोडक्शन का लक्ष्य होना चाहिये वह ऐसा होना चाहिये जिसमें सस्ते से सस्ते दाम पर कंज्यूमर्स को चीजें दे सकें, लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर से भी ज्यादा सरकार लेती है तो हम कैसे कह सकते हैं कि सरकार उस ओर जा रही है जिससे वह समाजवादी पैटर्न का समाज बनायेगी।

दूसरे जो सूक्ष्म यंत्रों की लखनऊ में फैक्ट्री सरकार की बनी है उसमें सिवाय वाटर मीटर के और कोई सूक्ष्म यंत्र नहीं बनाया गया है। तो इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये और इस संबंध में एक जांच करनी चाहिये कि क्यों नहीं वहां पर दूसरे किस्म के सूक्ष्म यंत्र बनते हैं? इसके साथ-साथ जहां तक छोटे छोटे उद्योग धंधों का ताल्लुक है, हमारे प्रदेश में छोटे उद्योग धंधों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती चली जा रही है! अगर इस हालत से उनको ऊंचा न उठाया गया तो देश की बढ़ती हुई बेकारी और ज्यादा बढ़ेगी तथा यह हमारे प्रदेश के नाश का कारण बनेगी।

जहां तक गुड़ के उद्योग धंधे का ताल्लुक है, गुड़ के विकास में पारसाल २,२५,००० रुपया रखा गया था, लेकिन इस साल २,०६,००० रुपया रखा गया है।

श्री अध्यक्ष—अब आप सवा दो बजे अपना भाषण जारी रखियेगा।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गजेंद्रसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक छोटे-छोटे उद्योग धंधों का ताल्लुक है, हमारे प्रदेश में छोटे छोटे उद्योग धंधे चल रहे हैं उनका जो विकास नहीं हो पा रहा है, उसका एक मुख्य कारण यह है कि उनके द्वारा जो उत्पादन होता है उस माल को बिकवाने की कोई व्यवस्था नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक गुड़ उद्योग का ताल्लुक है, यह प्रदेश के गांव-गांव में व्यापक रूप से फैला हुआ है जो कृषि पर आधारित है। आजकल माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि गुड़ के भाव बहुत ज्यादा गिर गये हैं। आजकल बाजार में ६-७ रुपये मन किसानों का गुड़ बिक रहा है, जब कि हमारे प्रदेश की सरकार ने इस बात को कहा था कि कोआपरेटिव फेडरेशन के द्वारा सरकार तमाम गुड़ को खरीद लेगी और इसका भाव १० रुपये मन से नीचे नहीं गिरने दिया जायगा। लेकिन आज ६-७ रुपये मन गुड़ का भाव हो गया है! इससे हमारे यहां के किसानों में बड़ी भारी बेचैनी और परेशानी है। मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार की नीयत ऐसी है कि सस्ता गुड़ बिकवाये जिससे किसान गन्ने को न पेरें और चीनी मिलों को गन्ना पहुंच सके। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से कहूंगा कि इस ओर ध्यान देने की अत्यन्त आवश्यकता है।

यही नहीं, जहां तक खादी का ताल्लुक है, सरकार हमारे प्रदेश की खादी के ऊपर तीन आने रुपये की छूट देकर खादी का विकास करना चाहती है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि यह खादी के विकास का तरीका नहीं है। अगर खादी के प्रोडक्शन को बढ़ाना है और बेकारी को अपने प्रदेश से दूर करना है, और जिस तरह से कि पुराने जमाने में मिलें नहीं थीं और गांव गांव में यह प्रचलन था कि बेवायें और बुड्ढे तथा लंगड़े लूले आदमी चर्खा कातकर अपनी जीविका अर्जित करते थे, आज उसी तरह से हमारी सरकार को प्रबन्ध करना चाहिये। सरकार को इस ओर प्रयास करना होगा और सक्रिय कदम उठाना होगा। सरकार को यह भी करना होगा कि जो चर्खे द्वारा सूत बनता है और मिलों में सूत बनता है, उन दोनों के बीच में एक पैमाना नियुक्त करना होगा, जिससे खादी अपने पैरों के ऊपर खड़ी हो सके। सरकार को एक मापदंड बनाना होगा कि २०–२५ नंबर से ऊपर वाले सूत मिल कातेंगी और बाकी का सूत चर्खा द्वारा काता जायगा।

ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी होगी, इस प्रकार से खादी बड़े पैमाने पर बढ़ सकती है और देश में बेकारी खत्म हो सकती है, लोगों को रोजी दी जा सकती है वरना खादी या मोटा सूत महीन सूत के मुकाबिले में कभी भी ठहर नहीं सकता है क्योंकि मिल का सूत पतला और सस्ता होता है और चरखे द्वारा काता गया सूत मोटा और मंहगा होता है। इसी प्रकार से मिल का कपड़ा बारीक और सस्ता होता है और खादी का कपड़ा तेज होता है। इसलिये आम जनता खादी नहीं खरीद सकती है। गांधी जी के आदेश से खादी का काफी प्रचार किया गया, लेकिन चन्द आदमियों के द्वारा ही खादी खरीदी गई और हमारे प्रदेश की आम जनता इसको न अपना सकी। कारण यह है कि खादी और कपड़ों के बनिस्बत काफी तेज पड़ती है। इसलिये सरकार को यह प्रतिबन्ध लगाना पड़ेगा कि फलां नम्बर तक सूत मिल कातें और बाकी का सूत चर्खा द्वारा ही काता जाय, तभी हमारी खादी का सच्चे मानी में विकास हो सकेगा।

इसके साथ ही साथ जहां तक तेल की घानी के व्यवसाय का संबंध है, यह व्यवसाय ऐसा है जिसमें गांव गांव में तेली रहते हैं। देश के हजारों गांवों में हजारों तेली परिवार रहते हैं जो तेल घानी चलाते हैं लेकिन उनका यह व्यवसाय गांवों में नहीं चल पाता है और मीलों का बना हुआ तेल बाजारों में आ रहा है जो स्वास्थ्य के लिये हानिकर है। तो इसलिये सरकार को इस तरफ ध्यान देना होगा कि इतने पैमाने पर कारखाने वाले तेल बनायें और इतने पैमाने पर घानी का तेल बनाया जाय। आजकल उनका कोल्हू का तेल भी नहीं निकल पा रहा है जिससे वह परेशान हो रहे हैं और उनका यह व्यवसाय नहीं चल रहा है। इसकी ओर सरकार को ध्यान देकर उनकी सहायता करने की आवश्यकता है।

जहां तक हैंडलूम का जिक्र किया गया, हैन्डलूम के लिये काफी खर्च किया गया और काफी उसके लिये सुविधा दी गयी और उसका सप्ताह भी मनाया गया। मुझे इस विषय में यह कहना है कि हैंडलूम के साथ सरकार उपेक्षापूर्ण दृष्टि से व्यवहार कर रही है। सरकार ने सूत पर जो एक रुपये में दो पैसा सेल्स टैक्स रखा है उसकी यह प्रतिक्रिया होगी कि हैंडलूम का जो व्यवसाय है उसमें बहुत चोट पहुंचेगी। इसलिये सरकार को इस ओर विशेष रूप से सोचने की आवश्यकता है कि जिससे उनके कोटे का जो रुई या सूत दिया जाय उस पर कोई टैक्स न देना पड़े। इससे यह होता है कि बुनकरों को सेल्स टैक्स देना पड़ता है। हमारे प्रदेश के आसपास जो दिल्ली, मध्य प्रदेश और दूसरे प्रांत हैं, वहां पर उनको किसी किस्म का सूत पर सेल्स टैक्स नहीं देना पड़ता है। हमारे प्रदेश में जो जुलाहे हैं उनको कपड़े के व्यापार में अन्ततः प्रांतीय व्यापार में बहुत हानि होगी। एक बंडल सूत की कीमत १६ रुपया है, और अगर एक रुपया पर दो पैसा सेल्स टैक्स दिया जाय तो इस तरह से १६।। रुपया के हिसाब से हमारे प्रदेश में जुलाहे को सूत लेना पड़ता है। सूत की पैकिंग में खर्चा पड़ता है और दूसरे कई खर्चे पड़ते हैं जिससे बहुत सारा रुपया खर्च करना पड़ता है। इस प्रकार एक बंडल १७।। रुपये तक हो जाता है जब कि दूसरे प्रदेशों में १६ रुपये फी बंडल सूत का खर्च पड़ता है। हमारे यहां तो ८ आना सेल्स टैक्स भी उनको देना पड़ता है। इस तरह से अगर जुलाहे हैंडलूम का कपड़ा बनाते हैं तो बाजार में वह नहीं ठहर सकते हैं, और यदि वह बाजार में ठहरने की चेष्टा करें भी तो उनको बहुत हानि उठानी पड़ेगी। इसलिये इस ओर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

जहां तक चूड़ियों के व्यवसाय को मैंने देखा है उसमें मैं यह देखता हूं कि फिरोजाबाद में छोटी काटेज इंडस्ट्रीज छोटे पैमाने पर छोटे कारखाने लगे हुये हैं, जिनमें २,३ हजार रुपया लगा हुआ है उनको इगनोर किया जाता है और जो लार्ज पैमाने पर बड़े कारखाने लगे हुये हैं उनको बराबर कोयले का कोटा दिया जाता है। उनको सोडा दिया जाता है और दूसरे

[श्री गजेन्द्र सिंह]

कैमिकल दिये जाते हैं। लेकिन छोटे पैमाने पर कारखाने खोलने वालों को कोई सहायता सरकार की तरफ से नहीं दी जाती है! जो २,३ हजार रुपया लगाकर कारखाने बनाये जाते हैं उनको कोई सहूलियत सरकार नहीं दे रही है। वे मजबूर होकर ही इन कारखानों को चलाते हैं। इस तरह से यह एक तमाशा किया जा रहा है। जो मोटी चूड़ी गांवों में किसानों की बहू-बेटियां पहनती हैं वही वह बनाते हैं और वहीं वह चूड़ियां निकलती हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिलती है। जो सरकार की तरफ से सहायता पा जाते हैं उनको कुछ सुविधा हो जाती है और उनके कारखाने चलते हैं। उस ग्रांट कमेटी की सिफारिशों को, जो उद्योग विभाग की है उसको मैंने भी पढ़ा। उसके ७ मेम्बर हैं उनकी यह कमेटी है। लेकिन उस कमेटी के अन्दर कोई भी अपोजीशन का मेम्बर नहीं है। इसके साथ-साथ मुझे माननीय मंत्री महोदय की सेवा में यह भी निवेदन करना है कि वह इस ओर ध्यान देने की कृपा करें।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के पश्चिमी जिलों में इटावा, फर्रुखाबाद और कानपुर और पूर्वी जिलों में गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ और जौनपुर में भी बहुत सी ऊसर जमीन है जहां पर रेह पैदा होती है। इससे शीशे के कारखाने और शोरा के कारखाने चलाये जा सकते हैं। गाजीपुर, बलिया और बनारस, जौनपुर में काफी जुलाहे रहते हैं, लेकिन वहां कोई सूत का कारखाना नहीं है! लिहाजा कानपुर और दूसरी जगहों से उनको सूत मंगाना पड़ता है। इसलिये आजमगढ़ के आस-पास कोई भी ऐसा कारखाना खोलना चाहिये, जिसको सरकार अपने खर्चे से चलावे और उससे लोगों को सूत दिया जाय ताकि उनको सस्ता सूत प्राप्त हो सके। इस सस्ते सूत से उनका काम बढ़ेगा। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि शेष दोनों ही कटमोशन एक साथ पेश हो जायं तो अच्छा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं अनुदान संख्या ३७—लेखन-सामग्री और छपाई शीर्षक के अन्तर्गत एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। श्रीमन्, यह आप जानते हैं कि यह कटौती का प्रस्ताव मैंने प्रेस और छपाई के अनुदान के लिये ही रक्खा है परन्तु मुझे यह मौका दिया गया है कि मैं संपूर्ण अनुदानों पर अपने विचार व्यक्त करूं। यह मैं पहले से ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं ताकि फिर यह एतराज न हो कि मैं असंगत हो रहा हूं।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—श्रीमन्, इस समय तो केवल कटौती का प्रस्ताव ही प्रस्तुत किया जा सकता है लेकिन उसके बाद जब समय निर्धारित होगा उसी अनुपात से बोलने का समय मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं जब उन्होंने कटौती का प्रस्ताव पेश कर दिया है और उस पर वे बोलेंगे, उस समय अगर दोनों अनुदानों पर भी बोलें तो कोई हर्ज नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, जो प्रेस इंक्वायरी कमेटी बैठी थी (भार्टिया इंक्वायरी कमेटी) उसी की रिपोर्ट को लागू करने के लिये पिछले साल प्रयत्न किया गया था और उसी के अनुसार इलाहाबाद गवर्नमेंट प्रेस और ऐशबाग गवर्नमेंट प्रेस में नयी मशीनें लगायी गई थीं और उनके द्वारा इन प्रेसेज का नवीनीकरण किया जा रहा है। गवर्नमेंट प्रेस के बढ़ाने में मुझे कोई बुनियादी ऐतराज नहीं है लेकिन सरकार को यह ध्यान रखना चाहिये कि इस समय जो प्राइवेट प्रेसेज यानी छोटे-छोटे उद्योगधंधे हैं, जिनके बारे में निम्बकर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट से मालूम हो सकता है, वे गवर्नमेंट प्रेसेज के खुल जाने से बन्द हो रहे हैं। लखनऊ में पचासों ऐसे प्रेसेज थे इलाहाबाद में भी थे, वे सब बन्द होते जा रहे हैं क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है।

इसके साथ ही साथ सैकड़ों मजदूरों की भी छटनी होती जा रही है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि भाटिया प्रेस इंक्वायरी कमेटी के अनुसार जो प्रसार किया जा रहा है उसके साथ यह भी ध्यान रक्खा जाय कि इन छोटे छोटे उद्योग धंधों को बन्द होने में सहायता न मिले। अगर कोई प्रेस बन्द होता है तो उसके मजदूरों को गवर्नमेंट प्रेस में स्थान मिलना चाहिये। इसके साथ ही साथ जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा था कि गवर्नमेंट सीमेंट फैक्ट्री माडल एम्प्लायर होगी, उसी प्रकार की घोषणा इन प्रेसेज के संबंध में भी माननीय मंत्री जी को करनी चाहिये कि ये भी माडल एम्प्लायर्स होंगे और मजदूरों की जो वर्तमान स्थिति इन प्रेसेज में है उनकी ओर भी ध्यान दिया जायगा। गवर्नमेंट प्रेस के सिलसिले में मुझे इतना ही कहना है।

जहां तक दूसरे अनुदानों का संबंध है राज्य में घरेलू उद्योग धंधों की जो स्थिति है वह आज बहुत ही नाजुक है खास तौर से जो लोग घरेलू उद्योग धंधों में काम कर रहे हैं उनकी संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान सेंसस रिपोर्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं कि सन् ११ में ३० लाख मजदूर ग्रामोद्योगों में काम करते थे और उनकी संख्या सन् २१ में घट कर २५ लाख रह गयी और सन् ५१ में वह केवल १९ लाख ६८ हजार ही है। तो आज जो लोग काटेज इंडस्ट्रीज पर मुनहसिर करते हैं उनकी संख्या घटती जा रही है। आजादी मिलने के बाद भी काटेज इंडस्ट्रीज पर निर्भर रहने वाले लोगों की संख्या घटी है। अब आप देखेंगे कि पिछले सालों की जो रिपोर्ट मिली है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जितने छोटे उद्योग धंधे हैं उनकी हालत खराब हो रही है। श्रीमन्, समय ज्यादा न लेने के ख्याल से मैं उन उद्योगों का केवल जिक्र ही कर देना चाहता हूं जैसे साबुन उद्योग, ताले का उद्योग, कागज उद्योग, चूड़ियों का उद्योग, ब्रश वेयर, आगरा फुट वियर, दरी आदि ऐसे उद्योग हैं जो एक या अधिक कारणों से, आज के कम्पटीशन के कारण या सामान न मिलने के कारण लगातार ठप्प होते जा रहे हैं। इन सभी उद्योग धंधों के सामने एक अभूतपूर्व समस्या आ गयी है। जहां तक हैंडलूम का सवाल है सबसे आश्चर्य की बात यह है कि पिछले दो साल से गवर्नमेंट आफ इंडिया इस सरकार को सेस का रुपया देती रही है जब कि एक पैसा गज सेस लगता था। पिछले साल की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि यह रुपया हमको बहुत देर में मिला इसलिये खर्च नहीं हुआ और इस साल की रिपोर्ट में भी लिखा है कि रुपया बहुत देर में मिला इसलिये नहीं खर्च हुआ। श्रीमन्, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सेस का रुपया पिछले साल इस गवर्नमेंट को साढ़े १७ लाख रुपया लोन के लिये और पौने २१ लाख रुपया ग्रांट के रूप में, जिसमें से केवल ५ लाख रुपया लोन में और ५ लाख ग्रांट के रूप में खर्च किया जा सका है। २५ परसेंट से कुछ ज्यादा यह कितने आश्चर्य की बात है। मैं नहीं जानता कि इसके लिये भारत सरकार जिम्मेदार है या हमारी प्रांतीय सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि भारत सरकार तो यह कहती है कि हमने प्रादेशिक सरकार को रुपया समय पर भेज दिया और प्रादेशिक सरकार कहती है कि हमको देर में रुपया मिला। तो मैं तो दोनों ही सरकारों को इस बात के लिये जिम्मेदार ठहराता हूं। आज एक तरफ तो आल इंडिया काटेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, फिजिकल कमीशन और फाइव इयर प्लानिंग कमीशन इस बात पर जोर देता है कि रुपया जल्दी से जल्दी खर्च करो और ज्यादा खर्च करो, लेकिन सरकार का डाइरेक्टोरेट और सरकार जो है वह न मालूम किस तरफ ध्यान दिये हुए है कि जो रुपया मिला हुआ है वह भी खर्च नहीं किया जा सका, २५ परसेंट से कुछ ज्यादा ही खर्च हो पाया। इससे बड़ा गम्भीर आरोप इस सरकार के ऊपर दूसरा क्या हो सकता है।

सरकार के हैंडलूम प्रोडक्शन सेंटर कुल १३ थे लेकिन सितम्बर सन् ५३ में ८ प्रोडक्शन सेंटर बन्द कर दिये गये और अब केवल ५ ही प्रोडेक्शन सेंटर हैं और वे भी आज क्या बनाते हैं

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

कि नमूने की चीजें बनाते हैं और उन नमूने की चीजों के जरिये मिनिस्टरों के बंगले फर्निश होते हैं। यह रिपोर्ट में ही लिखा हुआ है। सन् ५२–५३ में ५ लाख ३७ हजार गज प्रोडक्शन सेंटर में सरकारी कपड़े बनाये गये जिनकी लागत ७ लाख ३७ हजार आयी और इस साल वह घट कर ५ लाख ३७ हजार गज से २ लाख २१ हजार गज रह गया जिसकी लागत २ लाख ३७ हजार थी। तो यह बड़े आश्चर्य की बात है कि कैसे यह चमत्कार संभव हुआ कि उत्पादन भी घटा और रुपये की लागत भी घटी। और अब उत्पादन मार्केट के लिये न होकर नमूने के लिये हो रहा है। मैं नहीं जानता कि उस नमूने का कौन सा फायदा उठाया जा रहा है। अब इसके लिये मैं क्या कहूं। हैंडीक्राफ्ट की बात भी रिपोर्ट में लिखी है और मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन भी किया था कि वे रिपोर्ट में दिखलाने की कोशिश करें कि कितना नफा या नुकसान इन सरकारी योजनाओं के परिचालन में हुआ। श्रीमन्, मुश्किल से रिपोर्ट का एक पेज भी नहीं मिलेगा जहां पर कि सरकार का नफा या नुकसान दिखलाया गया हो। हैंडीक्राफ्ट या प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री आदि जो सरकारी योजनायें हैं उनमें किस योजना में कितना घाटा हुआ या कितना नफा हुआ यह बिलकुल नहीं दिखलाया गया है। सीमेंट फैक्ट्री के संबंध में हमसे सवा २ करोड़ रुपया मांगा जा रहा है लेकिन उसका प्रोफार्मा एकाउन्ट हमारे पास नहीं है कि डिप्रिसिएशन किस रेट से होगा, रेट आफ इंटरेस्ट क्या होगा। श्रीमन्, इसमें यह दिखलाया गया है कि कैपिटल आउट ले का २० लाख रुपया रेवेन्यू एकाउन्ट में डेबिट कर दिया जायगा। मैं नहीं समझता कि यह किस तरह का जादू है कि कैपिटल आउट ले का खर्चा रेवेन्यू एकाउन्ट में डेबिट करके क्रेडिट कर दिया जायगा।

श्रीमन्, प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री तो अब नाम के लिये प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री रह गयी है। और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने जो इन्कवायरी कमेटी महाराजकुमार बालेन्दुशाह के संयोजकत्व में बिठाई है उसकी रिपोर्ट सामने आयेगी तो उस के संबंध में एक परदाफाश हो जायगा। हम अपने प्रदेश के उद्योग धन्धों को नीची दृष्टि से नहीं देखना चाहते हम चाहते हैं कि वे अधिक से अधिक तरक्की करें लेकिन सरकार के साध्य और साधनों में जो भयानक अन्तर है उसकी ओर मैं सदन का दृष्टिपात कराना चाहता हूं। श्रीमन्, आप को मालूम है और उसके बनाने में आपका भी हाथ था और एक बुलेन इंडस्ट्री इंकवायरी कमेटी इस सरकार ने बनाई थी लेकिन मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उस की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने क्या काम किया? यह ठीक है कि कुछ रुपया खर्च करके सरकार की तरफ से ऊन विकास के लिये ४-५ सेंटर खोल दिये गये लेकिन जब तक आप उस रिपोर्ट को पूरे माने में मंजूर नहीं करेंगे और उस को लागू नहीं करेंगे तब तक उन विकास की सफलता की आशा करना मैं समझता हूं कि एक मृग मरीचिका है, एक मिथ्या स्वप्न मात्र है। मैं तो माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह बुलेन इंडस्ट्री इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को देखें और उस को लागू करने की शीघ्र कृपा करें।

इसके अलावा एक डायरेक्टरेट आफ फ्रूट यूटिलाइजेशन खोला गया है। पिछले २ साल में उस ने काम किया है लेकिन मैं चाहता हूं कि इस डायरेक्टरेट का मतलब केवल यह न हो कि नया डायरेक्टरेट खोल दिया गया और उस को कुछ लाख रुपया दे दिया गया, उस का काम केवल यही न हो कि वह रामगढ़ की फैक्ट्री का संचालन करे बल्कि हम चाहते हैं कि उस को इतना रुपया दिया जाय कि वह केवल पर्वतीय क्षेत्र के पांचों जिलों का ही नहीं बल्कि प्रांत के मैदानी हिस्सों के भी फलों का मार्केटिंग और उन की बीमारियों से रखरखाव और देखभाल करे। अभी तक इस डायरेक्टोरेट का काम केवल पर्वतीय जिलों तक ही सीमित है। यह काम तो अवश्य स्तुत्य और सराहनीय है लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि 'नाम बड़े और दर्शन थोड़े' डायरेक्टोरेट तो खोला गया लेकिन उस के लिये फंड्स बहुत कम दिये गये हैं, योजना है लेकिन वह बहुत सीमित है। मैं माननीय मंत्री जी से आशा करूंगा कि वह इस के दायरे और स्कोप को बढ़ाने की कृपा करें।

कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी हैं जो कि बिलकुल बन्द पड़ी हैं। रामपुर की फैक्ट्रीज को लीजिये लिखा हुआ है और हर साल हम देखते हैं कि एक नाम उन में से घट जाता है कभी एक बढ़

जाता है, जब से रामपुर स्टेट मर्ज हुई है तब से मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रयत्न उन को खोलने का किया गया है ? रामपुर डिस्टीलरी एन्ड केमिकल्स कम्पनी लिमिटेड, रामपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रामपुर कामर्शियल कारपोरेशन लिमिटेड, रामपुर टेनरी एन्ड मैनुफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, रामपुर मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रामपुर मेज फैक्ट्री लिमिटेड, डान मैच फैक्ट्री लिमिटेड और रामपुर डेरी फार्म लिमिटेड, आप देखें कि इनमें से ५ फैक्ट्री बिलकुल बन्द पड़ी हैं। मैं समझता हूं कि सरकार का प्रयत्न होना चाहिये कि वह इंडस्ट्रीज फिर ठीक ढंग से वहां कार्य करें।

इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन का जिक्र किया। यह सही है कि इंडस्ट्रीयल फाइनेंस कारपोरेशन की आवश्यकता इस प्रदेश में थी लेकिन जो उस का शेयर कैपिटल है वह बहुत कम है। अगर मंत्री जी समझते हैं कि जो २५ लाख के शेयर पिछले साल खरीदे गये हैं और २५ लाख के अब खरीदे जा रहे हैं या भविष्य में खरीदेंगे लेकिन यह कैपिटल इस प्रदेश के उद्योग धंधों के विकास की समस्या को देखते हुए बहुत कम है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इस का सारा ढांचा बदलना होगा। मंत्री जी ने बड़े सुन्दर शब्दों में कहा कि इस से छोटे उद्योग धंधों के लिये सहायता दी जा सकेगी लेकिन मैं उन से पूछना चाहता हूं कि वह कैसे हो सकेगा और मुझे डर है कि आजकल जैसी व्यवस्था होती है उस से मैं समझता हूं कि इस की स्थापना के बाद भी छोटे उद्योग धंधे इस सहायता से वंचित रह जायेंगे। तो कोई निष्पक्ष योजना होनी चाहिये। यह हो सकता है कि कारपोरेशन होते होंगे, उनकी तरक्की हुई होगी लेकिन जो स्टेट फाइनेंश्यल कारपोरेशन का विधान है उसके अनुसार जो नियम बने और जिन रूल्स को वह प्रयुक्त करें उसके अनुसार यह निर्धारित हो जाना चाहिये कि किस प्रकार की सहायता छोटे-छोटे उद्योग धंधों को मिल सकेगी। श्रीमन्, आपको मालूम है कि फिस्कल कमीशन ने छोटे-छोटे उद्योग-धंधों को दो श्रेणियों में विभाजित किया है।

श्री देवदत्त मिश्रा—श्रीमन्, कटमोशन के लिये कितना वक्त है यह क्या आप बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—१५ मिनट दिये जा रहे हैं। (श्री नारायणदत्त तिवारी से) आप जल्दी खत्म कीजिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—तो मैं निवेदन कर रहा था कि फिजकल कमीशन ने काटेज इंडस्ट्रीज और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को अलग अलग कर दिया है। आप यह देखें कि जहां तक काटेज इंडस्ट्रीज की बात है वह किसानों को अपनी रोजी के अलावा सहायता रोजी प्राप्त करने की तरफ देता है। स्माल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत सी ऐसी हैं जिन्हें मुकाबिले में कम्पटीशन करना पड़ता है, जैसे हैन्डलूम है। लगातार हैन्डलूम को को मिलमालिकों से कम्पटीशन करना पड़ता है। मैं जानता हूं माननीय मंत्री जी से कि यह क्या चेष्टा कर रहे हैं जिससे कि हैंडलूम को मिलमालिकों के कम्पटीशन से बचाया जा सके। उन्होंने कुछ आर्टिकिल्स रिजर्व कर रखी है हैंडलूम के लिये लेकिन आज मिल मालिक क्या कर रहे हैं ? मिलमालिक उसी तरीके का और दूसरा कपड़ा बना रहे हैं और उसे, लेकर वे बाजार में आ रहे हैं और जो हैंडलूम से बने हैं उनको दिक्कत हो रही है। जब तक आप ऐसी वस्तुओं को हैंडलूम के लिये रिजर्व नहीं करेंगे जिनकी खपत बाजार में बहुत अधिक होती है तब तक हैन्डलूम इंडस्ट्री पनप नहीं सकती। जब तक आप उन मिलमालिकों के खिलाफ जो कम्पटीशन की चीजों के दाम घटाकर आज हैन्डलूम के मुकाबिले में बेंच रहे हैं और हैन्डलूम की इंडस्ट्री को

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

चौपट कर रहे हैं, कोई ऐक्शन न लेंगे तब तक आप स्वप्न में भी आशा नहीं कर सकते कि इस इंडस्ट्री में तरक्की हो सकती है और वह केवल हैन्डलूम की ही बात नहीं है बल्कि और भी उद्योग-धंधों के संबंध में भी यही बात है ।

श्री देवदत्त मिश्र—मैं यह जानना चाहूंगा कि चूंकि अपोजीशन ने, जिस वक्त यह सुझाव दिया गया था कि ये तीनों ही एक साथ ले लिये जायं इसको स्वीकार नहीं किया था और यह कहा था कि पहले अनुदान के लिये साढ़े तीन घंटा और बाकी दोनों अनुदानों के लिये पैतालीस, पैंतालीस मिनट। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इनके कटमोशनों के लिये कितना कितना वक्त होगा क्योंकि उसी के अनुपात से कटमोशनों के लिये वक्त हो जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—यह तीनों ही अनुदान साथ-साथ लिये गये हैं और मैं चाहता हूं कि विरोधी दल के लोग स्वयं ही अपना समय निर्धारित करने की कृपा करेंगे ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि मुझे विकास से काम है लिहाजा मुझे २० मिनट का समय दिया जाय, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी है।

उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं अनुदान संख्या ४५ में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा काम तो मेरा हल्का नारायण दत्त जी ने कर दिया है और मैं जब माननीय मंत्री जी को सुन रहा था तो मुझे जरा ताज्जुब हो रहा था कि माननीय मंत्री जी जिन्होंने एक बिजनेस कम्युनिटी में जन्म लिया है उन्हें भी हमारे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के जो अधिकारीवर्ग हैं गलत रास्ते पर चला सकते हैं यह कैसे पासिबिल हो सकता होगा। ऐसा मैं सोच रहा था लेकिन उसकी माफी भी इसलिये देना चाहता हूं कि उन्होंने साथ ही साथ यह भी स्वीकार कर लिया था कि अभी दो ही महीने इसमें आये हुए हैं। विभाग और भी बहुत से उनके पास हैं उनमें भी कुछ समय लगा होगा, इसलिये मैं क्षमा करता हूं और हाउस के लिये भी यही उचित होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम से वे चाहते हैं कि हम सुझाव और सलाह दिया करें। जब इस गवर्नमेंट के वे सरकारी अफसर जिनके ऊपर हम लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं वे माननीय मंत्री जी को ऐसी सलाह दे सकते हैं जो उन्होंने एक नोट पढ़कर हमारे सामने सुना दिया कि हैन्डलूम इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री आदि पर इतना लगाया गया, समझ नहीं पाया कि उन्होंने कभी माननीय मंत्री जी को बतलाया हो कि यह सारी इडस्ट्री लास पर रन कर रही है। मेरा ख्याल है कि शायद उन्होंने नहीं बतलाया है कि उनमें क्या बुनियादी खराबियां हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज इंडस्ट्री के नाम पर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पर और प्रोपेगेंडा के नाम पर जो लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है तो जब हम यह कहते हैं कि आप ने जो इंडस्ट्री कायम की है उससे देश का फायदा नहीं है तो आप यह कहते हैं कि अमेरिका के लोग इसकी बड़ी तारीफ करते हैं और हजरतगंज के इम्पोरियम को देखने आते हैं। इस पर हमारे मंत्री जी भी मानेंगे कि कोई भी बिजनेस हम चलायें तो वह बिजनेस लाइन पर चलना चाहिये और उसका एक दूसरा सेक्शन होना चाहिये जो कि डेवलपमेंट के लिये प्रोपेगेंडा करे। इसके लिये अगर आप ५,१० लाख रुपये अलग से रख दें तो किसी को भी इसमें एतराज नहीं होगा और जो इसको चलाने वाले हैं वे भी नहीं कह सकेंगे कि हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इसलिये दूसरे काम नहीं हो पा रहे हैं। हैन्डलूम को हम चला रहे हैं और खादी भंडार भी चला रहे हैं तथा इनको भी सेस दे रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ५२–५३ में १,१३,११८ रुपये का नुकसान हैन्डलूम में हुआ है और प्रायः यह सुनने में आता है कि हर साल इसमें नुकसान हो रहा है। १७ लाख का आपका इसमें कैपिटल है और इस १७ लाख में आप ताज्जुब करेंगे कि १,१३,११८ रुपये का नुकसान हुआ है जोकि हर साल हो रहा है। कानपुर में हैन्डलूम का एक प्रोडक्शन सेंटर है उसमें भी इसी तरह से नुकसान हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से बरेली में टरपेनटाइन आयल कम्पनी है, अगर इसके लिये हम इंडस्ट्री विभाग से कहेंगे तो वे फौरन से कह

देंगे कि हम इसको डी नहीं करते हैं बल्कि इसको वन विभाग डील करता है। जब हम कहते हैं कि छोटी-छोटी इंडस्ट्री को डेवलप किया जाय और जो हमारे पहाड़ों में रेजिन बहुत होता है और हम हजारों टन हर साल बरेली की कम्पनी को देते हैं उसमें से वहां की काटेज इंडस्ट्रीज को दिया जावे तो मना करते हैं। इस कम्पनी में ५१ फीसदी सरकार के शेयर हैं। जब हम कहते हैं कि पहाड़ों में रेजिन काफी निकाला जा सकता है तब इंडस्ट्री विभाग कहता है कि हमारी बरेली की कम्पनी पर इससे बड़ा असर पड़ता है तो इससे वह काटेज इंडस्ट्रीज पनप नहीं सकती है और बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती। लेकिन बावजूद इसके हम को इस बात की खुशी है कि जब माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने हम ने इस बात को रखा तो उन्होंने हमारे यहां की कोआपरेटिव सोसाइटीज को यह रेजिन दिया जिससे हम काटेज इंडस्ट्रीज बनावेंगे।

जहां तक इंडस्ट्रीज के विकास का संबंध है मैं कहूंगा कि मंत्री महोदय अपने आफिशियल्स की भी देखरेख करें। स्पोर्ट इंडस्ट्रीज हमारे यहां अच्छी चल सकती है क्योंकि हमारे यहां रामैटिरियल है और मलबरी व ऐश भी काफी होती है। हमने कहा था कि यहां लड़कों को ट्रेनिंग दी जा सकती है और हाकी स्टिक्स वगैरह बनायी जा सकती हैं। छोटी छोटी मशीनें खरीद कर लड़कों को दी जा सकती हैं। हमने सरकार को लिखा कि यह इंडस्ट्री हमारे यहां होनी चाहिये लेकिन जब इंडस्ट्री विभाग के पास नोट के लिये गया तो उन्होंने कहा कि मेरठ में जो रिफ्यूजीज की इंडस्ट्री है वह फेल हो जायेगी। यह है विकास में रोड़ा, हमें लकड़ी नहीं मिली इस तरह से विकास होने वाला नहीं है। यह खुशी की बात है कि अब हमारे गुप्ता जी इस विभाग में आये हैं और उनको एक दफे समझाने की बात है, अगर वे समझ गये तो वह ठीक कर देते हैं। वैसे उनके पास काफी विभाग हैं जैसा प्लानिंग, इंडस्ट्री और हेल्थ जैसे विभाग हैं और उनको समय कम मिलता होगा। पर अगर कोई हमारे उद्योगों के विकास में रोड़ा अटकाता है तो वे ये ही इंडस्ट्रीज विभाग वाले हैं। इन्हीं के ऊपर रोक-थाक होनी चाहिये। परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट का लाखों रुपया जिन पर खर्च होता है वह यह सलाह देते हैं, मुझे तो केवल दो सौ रुपया ही मिलता है, मैं उनको क्या सलाह दे सकता हूं और अगर बदकिस्मती से कभी हम उधर चले गये तो हमारा कार्य ऐसा होना चाहिये कि हम भी अपने समय में कुछ नई चीज कर सकें तब सब बातें यहां कैसे बताऊं, यह टेक्निकल चीजें हैं। मगर मैं यह बताना चाहता हूं कि जो बातें मैंने कही हैं, वह सारी गलत नहीं हैं उनमें फैक्ट्स मौजूद हैं।

सीमेंट फैक्ट्री को ही ले लीजिये आज सीमेंट फैक्ट्री का विकास होता है। एक ब्लाक सप्लाई होनी चाहिये उन जगहों को जहां पर कि बड़े बड़े-डैम बन रहे हैं जैसे रिहन्ड डैम है, उसको सीमेंट दी गयी, तो उसके संबंध में यदि आप पैकिंग के खर्चे को जो पेज २१५ पर देखेंगे और पता लगता है कि पैकिंग पर ३१ लाख रुपया का खर्चा है तो उसे आप कम कर सकते हैं। १७ लाख १९ हजार फिर अदर परपजेज के लिये हैं तो वह अदर परपज क्या बला है, क्या हमको कोई दावत मिलने वाली है या क्या बात है? कुछ समय में नहीं आता है कि आखिर वह किस परपज के लिये है। उसके बाद ४१ लाख प्रोडक्शन का खर्चा है और ३८ लाख आप रेलवे फ्रेट में लगा रहे हैं। इसी तरह से मिसलेनियस में ३८ लाख रुपये का खर्च है। इसके बाद मैं माननीय मंत्री को यह भी बताना चाहूंगा कि जो २० लाख है उसको रेवेन्यू में ऐड कर दिया गया है और वह ट्रांसफर फ्राम कैपिटल हेड हुआ। इन तमाम बातों को देखने से मालूम होता है कि किस प्रकार का आप का बजट बन रहा है। इस तरह से सीमेंट फैक्ट्री में आपने खर्चा दिखाया जिसमें कि आपने खाली बोरों की पैकिंग के लिये १७ लाख रुपये दिखाये, इन सारी चीजों को देखने के बाद यह मलूम होता है कि बजट किस प्रकार का बनाया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि मैं तो इस संबंध में कुछ नहीं जानता हूं लेकिन वह तो बिजनेस कम्युनिटी के हैं और इसलिये उनको ज्यादा जानना चाहिये।

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

इसी प्रकार से पहाड़ों के विकास के संबंध में कुछ चर्चा हुई कि वहां पर उद्योग के विकास का कार्य काफी तेजी से हो रहा है ऐसा कहा गया। फलों के विकास के लिये जो भी काम वहां हो रहा है वह बहुत अच्छा है। फ्रूट यूटिलाइजेशन डाइरेक्टोरेट अच्छा कार्य कर रहा पर रानीखेत में एक ड्रग इंस्टीट्यूट बनाया है उसके जो हाल हैं उसके बारे में मैं क्या कहूं। जब वह फेल कर जावेगी तो फिर कहा जावेगा कि वहां पर अब कोई इंडस्ट्री न खोली जाय क्योंकि फेल कर जाती हैं। मेरी ही इलाके में यह हैं इसलिये मैं पहिले ही सरकार को आगाह कर देता हूं। वहां की बेकारी की समस्या दूर नहीं हो रही है। हमारे कुमायूं के रहने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें जंगलों से जड़ी बूटी निकालने का पूरा हक है और उसे इकट्ठा कर अच्छे कीमत पर कानपुर में बेचते थे। अब ये ड्रग वाले मांगते हैं और इनकी मोनोपोली है इकट्ठा करवाने की। मजदूरों को नुकसान है। जो मजदूरी पहले एक रुपया उनको मिलती थी वह आज आठ आने मिलते हैं जो कि बहुत ही कम है। तो अध्यक्ष महोदय, जो इंडस्ट्रीज के नाम पर हमें बताया जा रहा है उसको फिर से इक्जामिन कर लिया जाय। दूसरी बात वहां पर फ्रूट यूटिलाइजेशन का डाइरेक्टोरेट है। इसका नाम बदल कर फ्रूट प्रोडक्शन सेंटर रख दिया जावे क्योंकि जब फ्रूट ही नहीं होगा तो यूटिलाइज कहां से होगा। इसलिये पहिले हमें नर्सरीज का इन्तजाम करना चाहिये। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिये और उसके लिये ही रुपया ज्यादा रखना चाहिये और फिर जब फल हो जावें तो गांवों में ही छोटी-छोटी मशीनें लगा कर पल्प तैयार कर अपने जो फूड प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं वहां भेजा जा सकता है। पहाड़ों पर सड़क वगैरह न होने से यहां तक फल आने में काफी किराया पड़ जाता है और यूरोप के फल ज्यादा सस्ते मिल जाते हैं और वहां के फलों की कीमत करीब ३,४ रुपये सेर तक हो जाती है। बड़ी मशीन वहां पर स्थापित की गयी है। वहां रामगढ़ पर बड़ी मशीनें रख दी गई हैं। माननीय मंत्री जी देखें तो उनको मालूम होगा कि १० दिन में वहां का सारा बचा हुआ फल क्रश हो जायगा। वहां पर इन मशीनों को लाकर खड़ा कर दिया गया है जिससे लोग समझें कि वहां पर बहुत काफी काम हो रहा है। दस दिन काम कर बाकी दिन मशीन खाली रहेगी और साल भर स्टाफ का खर्चा हमें उठाना पड़ेगा। आज तो इतने फल भी नहीं हैं। जब दो तीन साल के बाद फल हो जावेंगे तब मशीन लगाने की सोचनी थी।

हमारे यहां काम सिखाने के लिये गांव-गांव में स्कूल खोल दिये गये हैं। दर्जी का और लोहार का काम सिखाने के लिये हमारे यहां स्कूल खोले जाते हैं। मैं यह जरूर कहूंगा कि माननीय हुकुम सिंह जी ने बहुत से स्कूल खोल दिये हैं, लेकिन उसके साथ यह तो देखिये कि उन स्कूलों की हालत क्या हो रही है। मैं अपने यहां के एक स्कूल के बारे में बता सकता हूं कि वहां की क्या हालत है। इस स्कूल में हरिजन लड़के व और लोग भी पढ़ते हैं, जो इस स्कूल में पढ़ाने वाले हैं वे रोज अल्मोड़ा में बैठे रहते हैं, इसलिये वहां के बहुत से लड़कों ने उस स्कूल को छोड़ दिया। वहां के लोगों ने मुझसे कहा तो मैं वहां पर इन्सपेक्शन के लिये गया तो मैंने एक नोट लिखा जिसमें यह लिखा कि इस स्कूल को बन्द कर दिया जाय तो अच्छा होगा। अगर ठीक तरह नहीं चल सकता हो तो मैं तो चाहता हूं कि सरकार इसको वापस ले ले तो अच्छा है या उसे ठीक करे। हम अपने यहां इस तरह के स्कूल नहीं चलाना चाहते हैं। उनका यह दान हम नहीं चाहते हैं, वे किसी और को स्कूल दे दें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक इन स्कूलों का कोई ठीक से इन्तजाम नहीं हो पाया है। देखने से यह तो मालूम होता है कि इनके लिये ग्रान्ट मिलती है। १०, १५ हजार रुपया उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। सारे काम आप करना चाहते हैं और सारे इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट को पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ले जा रहे हैं और चाहते हैं कि

बेरोजगारी की समस्या हल हो जाय। पर वह इस प्रकार हल होने वाली नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने प्लानिंग और इन्डस्ट्री को एक साथ रखा और प्लानिंग से मिल कर इन्डस्ट्री को चलाना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि थोड़ा सा और कदम उठाया जाय तो इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट आगे चल कर ठीक हो जायगा। इसमें माननीय मंत्री जी ने जिस उत्साह के साथ काम कर रहे हैं हमारा भी सहयोग है ही वे हमारे सहयोग की क्या बात करते हैं हम तो सहयोग देते ही हैं लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो नक्शा मैंने इस डिपार्टमेंट का खींचा है और जो खाका खींच कर आप लोगों के सामने रखा है उसकी सारी तस्वीर इन १५ मिनट में रखना जरा मुश्किल है। मैं इस समय आपका खाका खींचूं या डिपार्टमेंट का खाका खींचूं यह बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोगों को साल में एक मौका मिलता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि सारी बातों को एक दम आपके सामने रख दिया जाय। बरेली में टरपेनटाइन एन्ड रेजिन फैक्टरी काम कर रही है, उसके लिये आप कहते हैं कि १२ लाख रुपया नफा हो रहा है। उसमें से ४९ परसेंट तो जे० पी० श्रीवास्तव को चला जाता है और ५१ परसेंट आपको मिलता है। अगर आज आप मुझे इसको दे दें तो मैं आपको २५ लाख रुपया देने को तैयार हूं। मैं तो यह कहता हूं कि आपको इस से और ज्यादा नफा हो सकता है। आपको इसकी तरफ और ज्यादा ध्यान देना चाहिये। अगर यह ठीक से काम न करे तो इसको बन्द कर देना चाहिये। अगर आप आज बिना कारखाना खोले रुपया कमाना चाहते हैं तो हो सकता है। कच्चा लीसा ही २० रुपये मन पर बिकता है और २,५०,००० मन रेजिन बरेली को करीब १० रुपये मन पर देते हैं, तो २५ लाख रुपया वैसे ही मिल सकता है। पर नहीं आप तो खोलेंगे और दूसरों को नहीं खोलने देंगे। यह कह के कि यहां का माल जर्मनी जाता है अगर और बनावेंगे तो बदनाम हो जावेंगे। मैं आपको बताऊं कि लिवर ब्रदर्स रेजिन को लेती है, उन्होंने जो प्राइवेट तरीके से सोमेश्वर में बनता है उसे अच्छा बताया है बजाय बरेली सरकारी कम्पनी के। ये हैं आपके इन्डस्ट्रीज के हाल। मैं तो यह चाहता था कि माननीय बनारसी दास जी के बाद बोलूं। उसके बाद मैं बोलता तो मैं और कुछ बातें भी कह सकता था। अभी मुझे इस कटमोशन पर बोलने का और मौका मिलेगा उस वक्त मैं कहूंगा।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने उद्योग विभाग का अनुदान पेश है। उद्योग विभाग के हमारे माननीय मंत्री जी ने एक घंटे से अधिक समय लेकर विस्तार के साथ इस प्रान्त में क्या क्या हो रहा है उसकी सूचना दी और साथ ही साथ एक बड़ी विस्तृत रिपोर्ट भी मिली और सदस्यगण भी इस प्रान्त के उद्योग विभाग की ओर से क्या काम हो रहा है उससे परिचित हो गये होंगे परन्तु मुझे अफसोस है कि उद्योग विभाग ने जिन तीन तरह की इंडस्ट्रीज का जिक्र किया है--एक तो है बड़े पैमाने की, दूसरी है छोटे पैमाने की और तीसरी है मध्यम पैमाने की। मैं उनमें पहले बड़े पैमाने की बात करता हूं। माननीय मंत्री जी एक दिन प्रेस कान्फरेंस में यह फर्माते हैं कि लगभग २ लाख कर्घे और ११ हजार लूम हमारे सूबे में बन्द पड़े हुए हैं पर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं हमारे यहां ८ लाख स्पिंडिल और १३,३०० लूम काम कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं किस रिपोर्ट को सही मानूं। माननीय मंत्री जी के इस वक्तव्य को या इस रिपोर्ट को। मेरी अपनी जो सूचना है उस सूचना के आधार पर मैं कह सकता हूं कि माननीय मंत्री जी ने बहुत सही आंकड़े दिये और उन्होंने ठीक ही

[श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी]

बताया कि करीब-करीब २ लाख स्पिंडिल और ११ हजार लूम हमारे सूबे में बेकार पड़े हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने या उनके विभाग ने उनको चालू करने के लिये क्या प्रबन्ध किया है।

दूसरी चीज एक और माननीय मंत्री जी अपने भाषण में कहते हैं कि हमने बजट का परिमाण बढ़ा दिया। हर वर्ष हम बजट बढ़ाते चले जा रहे हैं उद्योग धंधों के कार्यों के लिये, लेकिन दूसरी तरफ माननीय मंत्री जी यह भी तो बतलाएं कि बेकारी का क्या हाल होता चला जा रहा है। हो सकता है कि यह आम बेकारी का हाल जानने के लिये आपके पास कोई प्रबन्ध नहीं है। अगर कोई है तो यह माननीय मंत्री जी के विभाग से सम्बन्ध नहीं रखता। लेकिन मैं उनका ध्यान इस ओर जरूर आकर्षित करना चाहता हूं और वह है एम्पलायमेंट एक्सचेंज। अपने प्रान्त में जहां तक मुझे याद पड़ता है ५२ जिले हैं और केवल २१ जिलों में एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के आफिसेज हैं। उनके आधार पर मैं कुछ आंकड़े उनके सामने रखना चाहता हूं। चूंकि माननीय मंत्री जी सन् ५३ से बजट बढ़ाते चले जा रहे हैं तो सन् ५३ में ३ लाख १० हजार आदमियों ने अपने नाम रजिस्टर कराये और सन् ५४ में बढ़ कर वह तादाद ३ लाख १९ हजार हो गयी और सन् ५४ के दिसम्बर में जो फीगर्स निकले हैं उनको अगर तफसील के साथ बतलाऊं तो अधिक समय लगेगा इसलिये केवल दो तीन चीजों को बतलाऊंगा। क्लेरिकल जाब्स के लिये २९,४२१ आदमियों ने नाम रजिस्टर कराये, कारीगर (स्किल्ड लेबर) ने ११,३२६ नाम रजिस्टर कराये, टीचर्स ने १७४९ और मजदूरों ने ५८ हजार नाम रजिस्टर कराये। यह दशा है केवल दिसम्बर सन् ५४ की। एक तरफ आपका बजट बढ़ रहा है और दूसरी तरफ आपके प्रदेश को बेकारी बढ़ रही है।

तब प्रश्न उठता है कि क्या किया जाय और हो कैसे। मैं चाहता हूं कि इस पर गम्भीरता-पूर्वक विचार किया जाय। जहां तक बड़े उद्योगों का सम्बन्ध है प्रान्तीय सरकार का कोई ताल्लुक उनसे नहीं है। भले ही प्रान्त के मंत्री जी उस पर थोड़ा बहुत अधिकार रखते हों लेकिन वास्तव में उनकी पालिसी, नीति, उनके तौर तरीके और उन पर काम करने का जो कुछ अधिकार है वह है केन्द्रीय सरकार के अधीन। केन्द्रीय सरकार के कारण प्रान्तीय सरकार उस मामले में अपने को असफल पाती है और यही कारण है कि हाथरस, आगरा, इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ और अलीगढ़ के कारखाने बन्द पड़े हुए हैं। और यही नहीं कानपुर के कारखाने भी बन्द पड़े हुए हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिये आप शीघ्र से शीघ्र इस तरफ ध्यान दें और इन कारखानों की हालत संभालें। आप यह कह सकते हैं कि ये कारखाने खत्म हो चुके लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपने अभी-अभी दो तीन दिन हुए एक भाषण में यह कहा कि एक सूती कारखाना आप खोलने जा रहे हैं, इसलिये कि सूत सस्ता मिले। पर जहां तक इस रिपोर्ट की बात है, इस रिपोर्ट में तो यह है कि एक सूती कारखाना खोलने का विचार किया जा रहा है। तो मालूम होता है कि आपने निश्चय कर लिया है कि खोला जायगा। मैं फिर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उन मजदूरों की तरफ और उन कारखानों की तरफ कि आप उनको रिआर्गनाइज करें। उनको आप देखें और उन्हीं कारखानों में आप सूत बनाने की कोशिश करें और दूसरी नयी इंडस्ट्री न लगावें क्योंकि यह मेरा विश्वास है कि जो नया कारखाना आप खोलेंगे उसमें मजदूर सुखी नहीं रह सकेंगे। मैं इसका आपको एक प्रमाण देता हूं। मिर्जापुर में चुर्क की सीमेंट फैक्ट्री आपके सामने है जिसे हमारी सरकार ने चलाया है। अभी तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, कोई लेबर अफसर वहां पर नहीं रखा गया है और कोई लेबर बाई लाज वहां पर लागू नहीं है। रजिस्ट्रेशन का तो नाम भी नहीं आया। मुझे उम्मीद है कि उससे मजदूरों को कोई लाभ न होगा जो नये कारखाने खुलेंगे। मुझे 'केसा' के बारे में पता है लेकिन मैं उन तमाम सब चीजों को आपके सामने नहीं लाना चाहता हूं।

अब दूसरी तरफ आइये। आप चाहते हैं कि छोटे-छोटे उद्योग-धंधे खुलें, आप पढ़े लिखें नौजवानों को ग्रान्ट देते हैं और ग्रान्ट देकर के चाहते हैं कि वह छोटी छोटी इंडस्ट्रीज खोले और उसमें काम करें। बात बड़ी अच्छी है। मैं इस ओर नहीं जाना चाहता कि उनको कितना धन मिले, किन्तु इस तरह से जो धन बरबाद होता है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह जो धन ले जाते हैं, क्या वास्तव में वह कार्य रूप में परिणत होता है? होता है तो क्या आपके यहां से उसका कुछ हिसाब रखना उचित नहीं है? जब आप इस तरह की शिकायतों से ज्यादा परेशान हुए तो आपने इसके लिये एक कमेटी बैठाई कि वह यह जांचे कि उनको क्या क्या दिक्कतें होती हैं। आप उस रिपोर्ट में कहते हैं कि उस कमेटी को हमने बैठाया लेकिन उसके चेयरमैन को फुरसत नहीं रही, इसलिये साल भर तक उसकी कोई मीटिंग न हो सकी, अगले साल वह विचार करेगी। ताज्जुब की बात है कि इस तरह की कमेटियां, जहां एक तरफ बेकारी बढ़ रही है, जहां आपके कहने के अनुसार बेरोजगारी बढ़ रही है, जूते का रोजगार खराब हो रहा है, तालों का रोजगार खराब हो रहा है, कांच का रोजगार खराब हो रहा है, उसके बाद भी आप बैठे हैं, वह कुछ नहीं करतीं, उनके चैयरमैन को साल भर तक फुरसत नहीं मिलती और वह कमेटियां बैठी नहीं। यह कहां तक उचित है?

इसके बाद दूसरी इंडस्ट्री जो आपके पास है वह है करघा उद्योग। इसमें कोई शक नहीं कि केन्द्रीय सरकार ने एक पैसे का टैक्स लगा कर के कारखानों पर आपको एक अच्छी रकम दी है। अगर आप इसकी तीन वर्षों की रिपोर्ट को देखें तो यह फिगर्स हैं कि हमारे यहां २ लाख ५० हजार करघे काम कर रहे हैं। मेरा ऐसा विश्वास है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब तक कोई जांच इस तरह की आपके यहां से नहीं होती है कि कितने करघे चल रहे हैं और उनका क्या प्रोडेक्शन है, उनके प्रोडेक्शन पर कितना सूत खर्च होता है। अगर हम मान लें कि यह २ लाख ५० हजार करघे काम कर रहे हैं तो उनके लिये सूत कहां से आया। आप विश्वास रखिये कि उनके लिये सूत बाहर से आता है। तब तक आपको बाहर से सूत मंगाना पड़ेगा जब तक कि आप इस प्रदेश की मिलों की ओर ध्यान नहीं देते। आप इसकी कोशिश करें कि उनको सूत बुनने के लिये प्रान्त से ही दें।

तीसरी बात जो मुझे आपके सामने रखनी है वह है कि आपको मैं फिर कानपुर की तरफ ले जाना चाहता हूं। वहां पर अभिनवीकरण की बाबत आप कहेंगे कि लोग हमारे साथ सहयोग नहीं करते। लेकिन वास्तव में यह बात नहीं है। इंडस्ट्री के साथ मजदूर चला करते हैं और इस समय जब कि माननीय गुप्ता जी इस विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं और मैं समझता हूं कि वह इतने शक्तिशाली हैं कि अगर वह चाहेंगे तो इसके बीच में पड़ कर वह इस समस्या को हल कर सकते हैं। वहां पर रेशनालाइजेशन की जो शक्ल दी गई है यदि वह सच है तो मैं फिर कहना चाहता हूं और उसी जोर से कहना चाहता हूं कि चाहे वह आई० एन० टी० यू० सी० का वर्कर हो या एक साधारण आदमी हो, कोई भी आदमी इस चीज में गवर्नमेंट की सफलता नहीं चाहेगा। आज वहां के मजदूर बेकार हैं, उनका स्वास्थ्य गिर रहा है और उनकी वेतन की वृद्धि रोकी जा रही है। जब तक हम उनके एम्प्लायमेंट का प्रबन्ध नहीं करते तब तक मेरी समझ में नहीं आता कि आप कैसे इस रेशनालाइजेशन को सफल कर सकेंगे। हम देख रहे हैं कि उनमें असन्तोष बढ़ रहा है। इन चन्द शब्दों के साथ मैं फिर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं

[श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी]

कि छोटी इंडस्ट्रीज की तरफ, बड़ी इंडस्ट्रीज की तरफ जितना रुपया भी आप खर्च करते हैं उसका ठीक से उपयोग हो रहा है या नहीं, यह देखने की आवश्यकता है। और आपने यह कहा कि हमने पंचवर्षीय योजना में इसका काफी विचार किया है। मैं नहीं समझता कि यह योजना कब लागू की जा रही है। क्या उसके लिये आपने कुछ तैयारियां की हैं? क्या आपने प्रान्त भर के इस तरह के आंकड़े इकट्ठा किये हैं कि कितने बेकार हैं, क्या आपने इस तरह के आंकड़े इकट्ठा किये हैं कि किस शहर में, किस जिले में किस तरह की इंडस्ट्री बढ़ सकती है, आपके प्रान्त में किस तरह की चीजों की आवश्यकता है, उनको आप यहां पैदा कर सकते हैं या नहीं? आपने इसके लिये कोई फिगर्स तैयार नहीं किये। तो पंचवर्षीय योजना में हमारे तीन वर्ष तो बिता दिये गये आंकड़े इकट्ठा करने में और दो वर्ष अब जो बाकी रह गये हैं उनमें क्या होगा। मैं इन शब्दों के साथ एक बार मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि वह इन चीजों पर विचार करेंगे।

*महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)--उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के बहुत से विभागों के खिलाफ हमारी यह शिकायत हो सकती है कि ये पहाड़ी जिलों की उन्नति और यहां के रहने वाले लोगों की भलाई के लिये काफी नहीं कर रहे हैं; किन्तु उद्योग विभाग के सम्बन्ध में, जिस विभाग का मुख्य लक्ष्य यह है कि बेरोजगारी को दूर करके जनता की जीविका के साधन देकर बेरोजगारी दूर करे, इस विभाग का पहाड़ी जिलों की उन्नति न करना मैं समझता हूं देश और प्रदेश को खतरे में डालना होगा। उपाध्यक्ष महोदय, पूछा जायगा कि आखिर पहाड़ी जिलों में क्या खराबी है? इसका और इसके सम्बन्ध में पक्षपात नहीं किया जा सकता है। उत्तर स्पष्ट है--यह कलयुग है, इसमें पड़ोसी की चीज के ऊपर बनिस्बत अपनी चीज के अधिक आंखें डाली जाती हैं। आखिर उन पहाड़ी जिलों का कौन पड़ोसी है जो इस देश को प्रदेश को खतरे में डाल सकता है और श्री झारखंडे राय जी शीघ्र ही उत्तर देंगे कि उत्तर में तिब्बत है। उपाध्यक्ष महोदय, यह मानी हुई बात है कि Comparisons are odious मित्र झारखंडे राय के वर्णन के अनुसार उनकी जानकारी कहां तक सही है मैं नहीं जानता। किन्तु उनके वर्णन के अनुसार इन पहाड़ों का निकट पड़ोसी उत्तर में जो है यहां एक प्रकार का रामराज्य स्थापित हो चुका है। अगर यह सही है तो हमको इस सम्बन्ध में कुछ करना पड़ेगा। यदि यह गलत है तो मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि केवल मात्र इस सदन में माननीय झारखंडे राय जी के विचार का खंडन करने से काम नहीं चलेगा और मैं यह जानता हूं और मुझे खुशी होती है कि यहां श्री झारखंडे राय के विचार खंडन करने के बावजूद और उसके आगे मंत्री महोदय ने कार्य किया है और पहाड़ी जिलों में कार्य हो रहे हैं। कहां तक कार्य सफल रहा, कहां तक वहां की बेरोजगारी दूर हुई, यह मैं मंत्री महोदय से पूछूंगा। मैं मंत्री महोदय को पहाड़ी जिलों की तरफ से धन्यवाद देने के लिये तैयार हूं। मैं यह कहता हूं कि ऊन के सम्बन्ध में बहुत कार्य हुआ है, मैं जानता हूं कि फ्रूट डेवलपमेंट के सम्बन्ध में बहुत कार्य हुआ है और ऐसे ही और इसी प्रकार के और भी क्षेत्रों में और कार्यों में उन्नति करने की कोशिश की जा रही है। किन्तु उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि वास्तव में आज यह कार्य समाप्त नहीं हुआ और इसका फल भविष्य में पड़ेगा। किन्तु जब कि पैसा आज से खर्च होना शुरू हो चुका है कुछ न कुछ इसका लाभ और जनता के ऊपर कुछ असर तो इसका आज ही से पड़ना चाहिये। क्या मंत्री महोदय और उनके अधिकारी यह कह सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में इस तुलना से जो कि असन्तोष पैदा हो रहा है चाहे उत्तर से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तुलना हो, चाहे दक्षिण से, चाहे पूर्व से, चाहे पश्चिम से किन्तु एक प्रकार से जो वहां तुलना हो रही है कि पहाड़ी क्षेत्र पीछे छूट गये हैं क्या इन तुलना से जो असन्तोष हुआ है, क्या उसमें कोई कमी दिखाई देती है ?

दुर्भाग्यवश ऐसा विचार गलत होगा और आज भी बावजूद सरकार के इतना करने के पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा असन्तोष फैला हुआ है वह एक भयंकर रूप धारण कर चुका है। इसका एक मुख्य और मूल कारण यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि जहां तक पहाड़ों में उन्नति का सम्बन्ध है हर एक सरकारी विभाग और प्रत्येक मंत्री अपनी लाचारी प्रकट करता है कि पहाड़ों को उन्नति करना एक बहुत अनइकोनामिक प्रोपोजीशन बन जाता है। इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही कहूंगा कि यदि प्राफिट एंड लास पर ही खाली ख्याल किया जाय तो सम्भवतः एजूकेशन डिपार्टमेंट तो बन्द कर दिया जाना चाहिये। आखिर उसमें तो कोई मेटिरियल प्वाइंट आफ व्यू से कोई प्राफिट होता नहीं है, किन्तु चूंकि सरकार के बहुत से कर्तव्य हैं जो कि प्राफिट न होने के बावजूद भी सरकार को अपने हाथ में लेने पड़ते हैं, मैं यह कहूंगा कि पहाड़ों में उन्नति लाना महंगा होने के बावजूद भी सरकार इस पर ध्यान दे और जो बेरोजगारी वहां आज फैली हुई है, जो कि मैदानी जिलों से एक बहुत ही अधिक भयानक रूप में है, उसको दूर करे। क्योंकि मैदानी जिलों में तो केवल एक मांग मुख्य है और वह यह कि कृषि के लिए कृषि योग्य भूमि दे दी जाय तो काफी हद तक जो यहां पर आवाज उठती है वह कम हो जायगी। दुर्भाग्यवश पहाड़ों में रहने वालों की यह मांग है कि कृषि योग्य भूमि जनता को दी जाय, किन्तु कोई ऐसी भूमि ही नहीं है। जनता की इस कृषि योग्य भूमि की मांग का उत्तर केवल यह कह कर दिया जाता है कि कृषि योग्य भूमि ही नहीं, या जैसा कि वन विभाग के मंत्री कहते हैं कि कृषि में इतना जोर न लगाया जाय बल्कि फलदार पेड़ और दरख्त लगाकर उसके स्थान पर फल खाना सीखा जाय। कुछ हद तक सही है श्रीमन्, लेकिन यह पूरा उत्तर नहीं है। यदि जनता को कृषि से अलग करना ही है तो यह आवश्यक है कि जनता के सामने एक आल्टरनेट मीन्स आफ एम्प्लायमेंट हम रखें। अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर हम उसी विशस सर्किल के द्वारा उनको वहीं का वहीं रख देते हैं। अगर आल्टरनेट मीन्स आफ एम्पलायमेंट उनको देना है तो उसके लिये अगर प्रोपोर्शन और ऐवरेज लगाया जाय तो जो जनता पहाड़ में रहती है वह कम बैठेगी।

इसलिये अन्त में वही नतीजा निकलता है कि शुरू में तो गुड इंटेंशंस द्वारा एस्टीमेट्स में हमारे लिए और पहाड़ों के लिए मदें आ जाती हैं और अन्त में खर्च न होने के कारण कट पिट जाती हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इसी ओर आकर्षित करूंगा कि वह इन पहाड़ी जिलों की जो विशेष समस्या है कि कृषि के लिए भूमि न होने के कारण और साथ ही साथ कोई आल्टरनेट मीन्स आफ एम्पलायमेंट उनके पास न होने के कारण, सरकार का फर्ज हो जाता है कि वह उनके लिये कुछ ऐसे साधन उत्पन्न करे जिससे वह अपनी बेरोजगारी दूर कर सकें। जो पहाड़ों में स्माल स्केल में काटेज इंडस्ट्रीज हो रही हैं, जिनके लिए सरकार प्रोत्साहन भी दे रही है, उसके सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि जो कुछ प्रोत्साहन वह दे रहे हैं वह दुर्भाग्यवश असफल होगा, क्योंकि उनके मार्केटिंग की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। विशेषकर टेहरी गढ़वाल में जो उन्नति का काम होता है वह एक उच्च स्टैंडर्ड का होता है। किन्तु जितना किसानों को अपने काम के लिए चाहिये वे उतना ही कातेंगे, ऊन का उतना ही कपड़ा बनाएंगे और अगर हम खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल आर्डर देना पड़ता है।

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

इससे यह नतीजा निकलता है कि आज तक उनको कोई रेडी डिमांड वाला मार्केट न मिले तब तक उनमें कोई प्रोत्साहन नहीं फैल पावेगा। मेरा सुझाव यह है कि यह जो फाइनेंशल कार्पोरेशन बनाया है इसका एक मुख्य कार्य यह होना चाहिये कि ऐसे बैकवर्ड एरियाज में जो कि अपना पैसा लाकअप करने के लिए तैयार नहीं हो, या जो कर भी नहीं सकते हैं अपनी आर्थिक दुर्दशा के कारण, तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए, ताकि उनका पैसा किसी भी रूप से फंसा न रहे, फाइनेंशल कार्पोरेशन को यह कार्य करना पड़ेगा कि वह उसके लिए बाइयर बन जाय और फिर जिस प्रकार उचित समझा जाय, जो कि फाइनेंशल कार्पोरेशन या कोई दूसरी संस्था खरीदे उसको रिटेल मार्केट में लाया जाय।

*श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग-धंधों के विकास के ऊपर बोलते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि आज हमें अवसर मिला है कि हम अपने प्रान्त के ग्रामों और शहरों में जो उद्योग-धंधे पनप सकते हैं तथा सफल हो सकते हैं उस पर विचार कर सकें।

माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में सदन को बतलाते हुए यह कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में लगभग ३ करोड़ रुपये छोटे-छोटे उद्योग-धंधों के लिये रखा है। किन्तु दुःख की बात यह है कि जहां पर उद्योगों के विकास की बात आती है वहां पर एक तरफ तो बड़े उद्योगों को लेते हैं दूसरी तरफ छोटे उद्योगों को लेते हैं और कुटीर उद्योगों को लेते हैं। निश्चय ही यह जो रुपया रखा गया है वह छोटे उद्योगों के लिये है और कुटीर उद्योगों के विकास के लिये रखा गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के चार वर्ष समाप्त हो चुके हैं और अगला वर्ष अंतिम वर्ष होगा। लेकिन देहातों की तरफ जब हम देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि जहां तक छोटे उद्योगों की बात है, कुटीर उद्योगों की बात है, अभी तक उसकी कोई रूप रेखा ही निर्दिष्ट नहीं की गई है। हरएक जिले की समस्या अलग अलग होती है। किसी भी जिले को देखिये कि किसी जिले के अन्दर कोई कुटीर उद्योग या छोटा उद्योग कामयाब हो सकता है वह दूसरे जिले में नहीं हो सकता है। इसलिये अभी तक यह रूपरेखा निश्चित नहीं की गई है कहां-कहां और कौन-कौन से कुटीर उद्योग विकसित किये जायेंगे, कहां-कहां कौन-कौन से छोटे उद्योग-धंधे विकसित किये जायंगे और किस तरह से उनको खेती के साथ मिलायेंगे, जैसे खेती का ढांचा आज हमारे सामने मौजूद है।

हमारे किसानों की माली हालत जितनी पहले खराब थी वह आज नहीं है। लेकिन फिर भी गिरे हुए भावों के कारण यह सम्भावना है कि उनकी हालत बिगड़ सकती है और साथ ही साथ बेकारी फैली हुई है। जो नवयुवक हमारे यहां की यूनिवर्सिटी और कालेज से निकल कर गांवों में जाता है, उसको किसी भी प्रकार का कोई उद्योग नहीं मिलता है और खेती वह कर नहीं सकता है और उद्योगों का कोई नक्शा नहीं है या कोई रूपरेखा नहीं है जिससे वह कोई उद्योग कर नहीं सकता है। इसलिये वह बेकार घूमता है। किसी भी जिले में किस प्रकार से छोटे-छोटे तथा कुटीर उद्योगों का खेती के साथ मिलान करें इस प्रकार का प्रयत्न नहीं किया गया है।

अगली द्वितीय पंचवर्षीय योजना हम रखने जा रहे हैं और इसके विषय में कहा गया है कि हम अपनी आमदनी को दूनी बढ़ायेंगे। लेकिन मैं नहीं समझ पाता हूं कि खेती के साधनों से हम अपनी आमदनी दूनी कैसे कर सकते हैं। जैसे-जैसे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे ही वैसे हमारी भूमि पर भार बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे कि हमारे देश में ७२.४ जनसंख्या खेती पर ही आश्रित है और जनसंख्या की वृद्धि दिन ब दिन होती जा रही है और खेती पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। अगर गांवों के अंदर कुटीर उद्योगों तथा छोटे-छोटे उद्योगों का विकास नहीं हुआ तो अगले पांच वर्षों में हम कैसे अपने कल्याणकारी राज्य में आमदनी को दूना कर देंगे ? कैसे करेंगे यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है जब कि हमारे उद्योगों में कोई विकास नहीं हो पा रहा है।

खेती के संबंध में आप देखेंगे कि इसके अंदर गन्ने की फसल, कपास की फसल और जूट की फसल ऐसी हैं जिनको किसान कैश क्राप्स कहता था और इनके द्वारा रुपया हासिल करता था। जहां तक गन्ने की फसल का सवाल है पिछले कई वर्षों से कोमतें निर्धारित की जा रही है लेकिन पैदावार के अनुपात के साथ-साथ-बराबर कोशिश करने पर भी नहीं हो सकी हैं।

जहां तक जूट का संबंध है यह एक छोटा सा कृषि उद्योग है। इसमें लाखों रुपया खर्च करने के बाद जब कि जूट की हमारे यहां बहुत कमी थी इस स्कीम को वैसे ही छोड़ दिया गया और हमारी जूट वैसी ही पड़ी रह गई। इस प्रकार से आप देखेंगे की हमारे प्रदेश में कृषि के साथ साथ और अन्य उद्योग भी पनप सकते थे उनको नहीं रखा गया है। आप देखेंगे कि ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स से तेल वगैरा का काम, चमड़े का काम किया जा सकता था, टेक्सटाइल का काम चलाया जा सकता था, टेलरिंग का काम किया जा सकता था, इसी तरह से धान को साफ करने के छोटे-छोटे उद्योग चलाये जा सकते थे, मोजे तथा गलीचा बनाने का काम किया जा सकता था, इस प्रकार से खेती के साथ-साथ बहुत से काम चलाये जा सकते थे, यह ऐसे छोटे-छोटे काम थे जो गांवों में आसानी से चलाये जा सकते थे। यह सब ऐसे कार्य थे जो गांवों में चालू किये जा सकते थे किन्तु समझ में नहीं आता है कि तीन करोड़ रुपया समाप्त करने के बाद भी सरकार ने इस दिशा में क्यों नहीं प्रगति की है।

जहां तक बड़े उद्योगधन्धों का सम्बन्ध है उसमें आप यह देखेंगे कि जहां तक चीनी मिलों का, सीने की मशीनों का जो बिजली से चलने वाली हैं, बिजली के पंखे इत्यादि इस प्रकार की चीजें हैं जो बड़े बड़े शहरों में पनप सकती हैं लेकिन उनको भी हमने आज तक कैपिटलिस्ट के हाथ में ही छोड़ रखा है और उनको उनके हाथ से लेकर सामाजिक कार्यक्रम के रास्ते पर नहीं चलाया जा रहा है। बिजनौर में हमारे यहां चार मिलें हैं जो इस समय वहां पर काम कर रही है। तीन मिलें तो खुद बिजनौर की हैं और एक मिल बाहर की है। अब एक और मिल के लिये वहां पर कोशिश की जा रही है कि वहां पर स्थापित की जाय। लेकिन जहां तक सरकारी सहयोग का सम्बन्ध है तब उनके सामने यह प्रश्न आता है कि इन मिलों को सहकारी रास्ते पर चलायें तो किस प्रकार से चलाया जाय। उनको यह नहीं समझाया जाता है कि उनके फाइनेंस और उनके मैनेजमेंट को सहकारी आधार पर हम चला सकते हैं या नहीं और वह इस वजह से है कि जितने भी आपके कानून सहकारी आधार पर सोसाइटीज को चलाने के हैं वह इतने अधूरे और डिफेक्टिव हैं और उनके अन्दर इतनी खामी है कि उनको किसी प्रकार से अपने सामने रखकर कोई भी सोसाइटी सहकारी आधार पर काम करके सफल नहीं हो सकती हैं। जहां जहां भी इस प्रकार से जिलों में काम चलाया गया वह सब फेल हो गये। इसके बाद बिसवां में एक फैक्टरी थीं जो इस तरीके से चलायी गयी और दूसरे इन्टरप्राइज थे और बहुत से शुगर फैक्टरीज थे किन्तु जो इस तरह से सहकारिता के आधार पर चलायी गयीं वह सब फेल हो गयी, क्योंकि कोआपरेटिव के आधार पर चलायी गयी कोआपरेटिव सोसायटीज वह सब फेल हो गयी और वह सब नाकामयाब हो गयीं। इस कारण यह बात निश्चित हो गयी कि

[श्री शिवकुमार शर्मा]

सहकारिता के आधार पर चलायी गयी कोई भी सोसायटी फेल होगी। उन लोगों का विश्वास है कि सहकारिता के आधार पर यह ढांचा चलाया जा रहा है लेकिन बावजूद उस ढांचा के उन लोगों का सहकारिता में कोई विश्वास नहीं है । आप यह देखेंगे कि पन्त जी ने स्वयं कहा था कि इनमें कमी हैं। आप देखेंगे कि हजारों सहकारी सोसायटीज जितनी आज काम कर रही है उनकी क्या दशा है। यहां पर बहुत बड़े बड़े सेठ हमारे समाज के अन्दर पड़े हुए हैं जो कि पूंजी का प्रबन्ध अच्छी तरह से कर सकते हैं। बहुत से ब्रेन भी हैं जो इस काम में बहुत सहायता कर सकते हैं किन्तु इस प्रकार का आइडिया हमारे सामने नहीं है कि किस प्रकार से सोसाइटीज से काम लिया जा सकता है और किस प्रकार से उसको चलाया जा सकता है । अब हम अपने यहां सोशलिस्टिक पैटर्न पर अपने समाज को ले जाना चाहते हैं किन्तु यह बात गलत है कि सोशलिस्टिक पैटर्न के रास्ते पर हम एकदम कूद कर पहुंच जायेंगे। इसके लिये हमको इसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा कि उस समाज को कायम करने के लिये हमको पहले किस प्रकार की पृष्ठभूमि की आवश्यकता है । इस कारण मेरा यह विश्वास है कि उस सामाजिक वातावरण को कायम करने के पहले, जिसको हम चाहते हैं हमको सहकारिता के आधार को यहां पर स्थापित करना पड़ेगा और सहकारिता के आधार पर जितने छोटे छोटे उद्योगधन्धे हैं उनको हमें अपने यहां स्थापित करना पड़ेगा और उनके अनुसार ही हमको काम करना पड़ेगा । सहकारिता के आधार पर जो लोग काम करने वाले हैं उनका यह विश्वास हो कि सहकारिता के आधार पर किया गया कार्य सफल होगा । यदि उनका विश्वास इस काम में न हुआ तो यह चल नहीं सकता है और फेल होगा । यदि वह खुद नहीं समझेंगे और उनका विश्वास न होगा तो वह इस काम को चला नहीं सकते हैं । अगर उनसे बात की जाय तो वह यह कहें कि इसको कामयाब बनाया जा सकता है। जैसा कि मैंने बतलाया कि महज कांग्रेस के कह देने मात्र से सोशलिस्टिक पैटर्न की स्थापना नहीं हो सकती है। मैं नहीं समझता कि किस प्रकार से समाजवादी पैटर्न को यहां पर लाया जायगा जबकि उसका पता नहीं है और हम जानते नहीं हैं कि किस पृष्ठभूमि पर सहकारिता को चलाना चाहिये । इसलिये उसके विषय में यह समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि समाजवाद को बढ़ाने के पहले आप यह सोच लें और साथ ही हमारे मस्तिष्क भी साफ कर दें, अपने सरकारी अधिकारियों के मस्तिष्क भी उसके बारे में साफ कर दें । समाजवाद के बढ़ाने के पूर्व यह समझने की आवश्यकता है कि हम अपने प्रान्त के अन्दर बड़ी मिलों को किस प्रकार से सहकारिता के आधार पर चला सकते हैं। तभी हमारे प्रान्त का भला होगा ।

श्री कालीचरण टंडन (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस बार हमारे प्रदेश में दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगधंधों को प्रोत्साहित करने और बढ़ाने में विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इस सिलसिले में आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय के सामने, कन्नौज के उद्योग की स्थिति को और उससे क्या हमारे प्रदेश के इस उद्योगधन्धे में लगे हुए व्यक्तियों की स्थिति में सुधार हो सकता है, इस बात को रखना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में इत्र के व्यवसाय का मुख्य स्थान कन्नौज है और जो इत्र बाहर भेजा जाता है उससे करोड़ों की संख्या में रुपया बाहर से हमें मिलता है। लेकिन उनके लिये बहुत से सुगंधित पदार्थ हमें विदेशों से मंगाने पड़ते हैं जो सेंटों आदि के रूप में होते है अथवा कच्चे माल के रूप में होते हैं जिनसे हम सुगंधित चीजों को तैयार करते हैं । इस कारण से विदेशों के मुकाबले में बाजार में हमारा सामान ठहर नहीं पाता है। जब सरकार इन उद्योगधंधों को बढ़ावा देने की बात कहती है तो उसका यह कर्तव्य हो जाता है कि जो चीजें बाहर से आती हैं उनके ऊपर इस तरह से ड्यूटी लगायी जाय जिससे हमारा माल बाजार में उनका मुकाबला कर सके। इसलिये आवश्यक है कि हमारी सरकार भारत सरकार के जरिये से ड्यूटी लगाने की बात करे ।

इस के सिलसिले में एक बात और है वह यह कि इस विशेष उद्योग की शिक्षा के लिये योग्य विद्यार्थी फ्रान्स और स्विटजरलैन्ड आदि स्थानों में भेजे जायं, जहां कि सेंट आदि का विशेष

रूप से व्यवसाय होता है । वहां उनको ट्रेनिंग देने के लिये भेजा जाय ताकि आज के वक्त की जो जरूरी चीजें हैं उनको नये ढंग से तैयार कर सकें । यह खुशी की बात है कि पिछले ४-५ सालों से हरकोर्ट बटलर टैक्नोलोजीकल इंस्टीट्यूट कानपुर इस उद्योग को बढ़ावा देने में प्रयत्नशील है, नये नये फूलों का सेंट बनाने तथा नये नये सुगंधित पौधों को पैदा कराने की खोज वहां की जा रही है । मैं इस संबंध में इतना निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि कन्नौज ही इसका केन्द्र रहा है इसलिये वहां अन्वेषणशाला की एक शाखा खोल दी जाय तो अच्छा होगा उससे वहां के लोगों का बहुत हित होगा । इस वक्त हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या यह भी है कि हमारा उद्योग विदेशों की प्रतियोगिता में नहीं ठहर पा रहा है । विदेशों से जो चीजें हमें मंगानी पड़ती हैं उनके निर्मित करने के साधन यहीं होने चाहिये । मुझे ज्ञात हुआ है कि इसके संबंध में एक योजना इंडस्ट्री विभाग मे विचाराधीन है उसमें बड़ी-बड़ी मशीनों के द्वारा केमिकल्स तैयार कराये जायेंगे । मैं चाहता हूं कि उस विषय में निकट भविष्य में ही कोई विशेष प्रगति हो ताकि जो करोड़ों रुपया हमारे प्रदेश को मिलता है उसमें वृद्धि हो सके और जो रुपया बाहर जाता है वह भी न जाय । स्थिति तभी संभल सकती है जब कि इस व्यवसाय में लगे हुए लोगों को उन सब अनुभवों को जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में हो रहे हैं उनसे अवगत कराया जाय । पिछले दिनों टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एक कान्फ्रेन्स हुई थी, माननीय पंत जी भी वहां पधारे थे, उस समय वहां पर एक पत्रिका बांटी गयी थी जिसमें बताया गया था कि प्रदेश में किन किन व्यवसायों संबंधित काम हो रहे हैं । अब आवश्यकता इस बात की है कि इन सब चीजों को ज्यादा अच्छे पैमाने पर, व्यापारिक ढंग से संचालित करने के लिये, सरकार प्रयत्न करे । श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इन उद्योगधंधों को विशेष रूप से संचालित करने का प्रयत्न करे ।

मुझे एक बात जान कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे प्रदेश में जो चंदन की लकड़ी की बहुत कमी थी उसको पूरा करने के लिये सरकार बुन्देलखंड के जंगलों में मैसूर की चंदन की लकड़ी को पैदा करने की सोच रही है । हमारे प्रदेश में चंदन की लकड़ी मद्रास आदि बाहर के प्रदेशों से हजारों टन की तदाद में मंगाई जाती है जिससे हम मैसूर और मद्रास के मुकाबले में प्रतियोगिता में नहीं ठहर पाते हैं । लेकिन जैसा कि सरकार की ओर से बन विभाग कर रहा है अगर उसमें सफलता मिली तो हमें आशा है कि इस उद्योग धंधे से सम्बन्धित काफी साधन मुहैया हो जायेंगे । मैं एक बार फिर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को इन सब प्रयत्न के लिये जो वह इन उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिये कर रही है, हृदय से धन्यवाद देते हुए इस बात की आशा करता हूं कि कन्नौज के अन्दर उस व्यवसाय संबंधी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला जायगा ताकि वहां के व्यवसायी उससे अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें ।

*श्री उमाशंकर मिश्र (जिला बाराबंकी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और माननीय उद्योग मंत्री जी को कोटिशः बधाई देता हूं । आज हमारा भारतवर्ष स्वतंत्र हो गया है, उस को राजनीतिक आजादी मिल गयी है किन्तु आर्थिक और सामाजिक प्रश्न अभी तक हल नहीं हुआ है । कहा है "नहिं दरिद्र सम दुःख जग माहीं, संत मिलन सम सुख जग नाहीं" । अर्थात् दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है । आज हमारा देश गरीब है और इस गरीबी को दूर करने के लिये हम कृषि के द्वारा और इन उद्योगों के द्वारा ही यह मसला हल कर सकते हैं । हम को वह सब याद आता है जब कि देवताओं और असुरों के ने समुद्र मंथन कर के १४ रत्न निकाले । "श्री को उद्यम के बिना कोऊ पावत नाहिं, लियो रतन इमि यतन सो, सुर असुरन दधि माहिं ।" जिस तरह से देवताओं और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री उमाशंकर मिश्र]

असुरों ने समुद्र मंथन करके १४ रत्न निकाले। उसी तरह से मेरा विश्वास है कि अगर इन उद्योगों को शिक्षा के लिये एवं चलाने के लिये भी प्रयत्न किया जाय तो हम अपने देश की गरीबी को दूर कर सकते हैं। हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार इस काम में संलग्न है और इस दिशा में वह काफी प्रयास कर रही है। जैसा कि आंकड़ों से पता चलता है कि बड़े बड़े उद्योग, छोटे-छोटे उद्योग और घरेलू उद्योग को बढ़ाने के लिये वह अनेक प्रकार के उद्योग कर रही है। मैं उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र सदन के सामने कर देना चाहता हूं। सब से पहले मैं कपड़े के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि यहां कपड़े की १७ सूती मिलें हैं, ५ स्पिनिंग की मिलें हैं और ३ वीविंग की मिलें हैं। सन् १९५४ के अर्ध वर्ष में १,७३,५७३ गज कपड़ा बना और ५५९९४ हजार पौंड सूत उत्पादन हुआ। इसी तरह से ऊनी उद्योग की ५ रजिस्टर्ड फैक्ट्रियां हैं, जूट उद्योग जो गोरखपुर में है वहां उसका उत्पादन ८७९४ टन हुआ।

माचिस उद्योग जो बरेली में है वहां १६० लाख की माचिस बनती है। शक्कर उद्योग की यहां ६६ मिलें हैं जहां ४९ हजार आदमी काम करते हैं। शीशे के उद्योग की २८ फैक्टरियां हैं जहां ५० करोड़ रुपये का उत्पादन है। इसी तरह से बनिस्पति घी के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि इसकी हमारे यहां ४ फैक्ट्रियां हैं। सरकार बहुत दिनों से बनस्पति घी में रंग मिलाने की बात कहती आ रही है लेकिन अभी तक उसका कोई हल नहीं निकल सका है। जब पूर्व की बातें मैं याद करता हूं तो हमें बड़ा दुख होता है कि यहां कभी दूध और दही की नदियां बहा करती थीं। आज भी बृन्दावन के चौबे लोग मक्खन और मलाई तथा रबड़ी खाते हैं लेकिन आज हमारे यहां के देहातों तक की यह हालत है कि वहां शुद्ध दूध और घी का मिलना मुश्किल हो रहा है। मैं तो सरकार से यही कहता हूं कि बनस्पति घी से स्वास्थ्य बिलकुल बिगड़ जाता है इसलिये इसके उत्पादन पर बिल्कुल रोक ही लगा देनी चाहिये। जब हम उन चारो फैक्टरीज की ओर ध्यान देते हैं तो हमें वह याद आ जाती है कि मानों यह चारों फैक्ट्री हमारे प्रदेश में चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को देने वाली हैं। मैं तो सरकार से और माननीय मंत्री जी से इस विषय में प्रार्थना करूंगा कि वह यहां इस घी का इस्तेमाल कतई बन्द करा दें। मुझे विश्वास है कि अब उद्योग विभाग हमारे योग्य स्वास्थ्य मंत्री जी के हाथ में है और चूंकि वह स्वास्थ्य मंत्री है इसलिये वह अवश्य इस पर विचार करेंगे ऐसी हमें उनसे आशा है और उसके लिये उचित निर्णय देंगे।

इसके अलावा जो छोटे छोटे रोजगार हैं जैसे कागज दफ्ती आदि के उद्योग हैं उनको भी उन्नति देने का प्रयत्न किया गया है। एक कारखाना मिर्जापुर में सीमेंट का खोला गया है और उसके आंकड़ों को देखने से मालूम होता है कि वहां ७०० टन सीमेंट प्रति दिन बनता है और दिसम्बर के आखिर तक वहां ३१ हजार टन सीमेंट तैयार हो चुका है। कर्घा उद्योग के सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि हमारे प्रदेश में कुल २ लाख ५० हजार कर्घे हैं और ८ लाख कारीगर हैं जो कर्घों पर काम करते हैं, २७ करोड़ सालाना उत्पादन है, ३० रंगाई गृह हैं और ६ बिक्री गृह है और इसके अलावा ७५ उत्पादन केन्द्र हैं। मैं अपने जिले बाराबंकी के विषय में एक सुझाव देना चाहता हूं और वह यह है कि वहां पर काफी संख्या जुलाहों की है, वहां पर ३ कस्बे हैं नवाबगंज, जैदपुर और रामसनेहीगंज जहां पर हजारों की संख्या में जुलाहे हैं और कुछ कोरी लोग हैं जो हिन्दू होते हैं और कपड़ा बुनने का काम करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि बाराबंकी में इन जुलाहों और कोरियों की बहुत खराब दशा है और वह बहुत मुसीबत में हैं। उनका बुना हुआ कपड़ा बाजार में पड़ा रहता है, मुझे बचपन की याद आती है जब कोरियों का बुना हुआ कपड़ा हम पहनते थे। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इन जुलाहों की करुण दशा पर विचार करें और उनको प्रोत्साहन

देने की कृपा करें। मैं चाहता हूं कि राजधानी के निकट के जिले बाराबंकी में कपड़े बुनने के उद्योग को ले कर एक केन्द्र स्थापित करने की कृपा करें।

दूसरी एक विशेष बात की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान खास तौर से दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि सरकार का जो एक कपड़ा मिल खोलने का विचार है वह बाराबंकी में जो लखनऊ की राजधानी के करीब है, खोलने की व्यवस्था करें। एक बात मैं और कहना चाहता हूं और मुझे पुरानी बात याद आती है :

"आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना,
वह झाड़ियां चमन की वह मेरा आशियाना।"

जिन राजनीतिक पीड़ितों ने आजादी के लिये अपने हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां पहनीं आज वही लोग दुःखी हैं और किसी तरह से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। मेरा सुझाव है कि सरकार की ओर से उनको और अधिक सहायता दी जाय और उनको विशेष रूप से उद्योग धंधों में लगाया जाय और उनको हर तरह की सुविधायें दी जायं। जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में जेल जा कर चक्कर की रोटी खाई वह आज डबल चक्कर में पड़ गये हैं। एक चक्कर तो यह है और दूसरा चक्कर उन पर पुलिस का है। वह लोग जो राजनीतिक पीड़ित हैं वह कभी भी अन्याय को बरदाश्त नहीं कर सकते लेकिन फिर भी वह सरकारी कर्मचारियों की और पुलिस की "धररगड़" में आ जाते हैं। जिस तरह से हाथी पर बैठ कर फीलवान हाथी को अंकुश से "धररगड़' करता है उसी तरह से इन लोगों को यह लोग चक्कर में डालते हैं और परेशान करते हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह राजनीतिक पीड़ितों को हर तरह से प्रोत्साहन दें और उनको उद्योग आदि में लगाकर उन की दयनीय दशा पर करुणा की जाय।

*श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)––उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी देश के विकास के लिये यह लाजिमी है कि वहां के उद्योग का विकास हो और जब तक वहां के उद्योग की उन्नति नहीं होती तब तक वहां की आर्थिक अवस्था भी नहीं सुधर सकती। उद्योग के बिना वहां की बेरोजगारी ही दूर नहीं हो सकती है तथा देश की आर्थिक स्वतंत्रता के लिये यह आवश्यक है कि वहां के उद्योगों की वृद्धि हो। जहां तक हमारी सरकार की औद्योगिक नीति का प्रश्न है इस सम्बन्ध में मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि केवल यह कह कर कि विभाग ने कितना रुपया इन कार्यों पर खर्च किया इससे हम इसकी सफलता को नहीं नाप सकते। इस औद्योगिक नीति की सफलता को नापने का केवल एक ही तरीका है और वह यह है कि लोगों की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार हुआ है या नहीं। अगर हम उसको ऊंचा नहीं उठा सके हैं और वहां के लोगों की क्रयशक्ति को बढ़ाने में कामयाब नहीं हुए हैं तो हमें यह मानना पड़ेगा कि हमारी औद्योगिक नीति में कोई न कोई खामी अवश्य है। जहां तक विभाग का संबंध है माननीय मंत्री जी को पता है कि कोई साल ऐसा नहीं जाता जब हमारी सरकार लाखों रुपया वहां खर्च न करती हो और टेस्टवर्क्स न चलाती हो। माननीय मंत्री जी यह भी जानते हैं कि काफी बड़ी तादाद में अन्न के लिये रुपया दिया जाता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोवर्धन तिवारी]

लेकिन वहां की आर्थिक स्थिति ऐसी खराब है जिससे वहां के लोगों पर लाखों रुपयों का खर्च केवल इस बात पर वह करती है कि लोग मजदूरी करके और टेस्टवर्क्स पर काम करके उस अन्न को खरीद सकें। इसलिये इस सम्बन्ध में मैं अधिक न कह कर केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक जनसाधारण की आर्थिक स्थिति का प्रश्न है उसमें हमारी औद्योगिक नीति सफल नहीं हुई है।

अब मैं दो एक शब्द सुझाव के तौर पर रखना चाहता हूं। पहाड़ों में केन्द्रीय सरकार की ओर से अभी खरैल में कुछ खानों की खुदाई हुई है जिसमें वहां शीशा काफी मात्रा में पाया गया है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि वहां पेंसिल बनाने का काम आसानी से चलाया जा सकता है क्योंकि शीशे के बारे में जो खनिज के विशेषज्ञ हैं उनकी रिपोर्ट है कि वहां काफी मात्रा में शीशा है और वहां लकड़ी भी काफी मिल सकती है जिससे पेंसिल का काम आसानी से चलाया जा सकता है।

दूसरी बात अभी वहां उद्योग विभाग की ओर से चीड़ के पेड़ों के पत्तों को तागे के रूप में परिवर्तित किया गया है। अगर इन तागों से चटाइयां बनाई जायं तो मैं समझता हूं कि इस उद्योग में काफी तरक्की हो सकती है। वहां चीड़ के जंगल बहुत बड़े बड़े हैं। उसके पत्तों की कमी नहीं है और अगर उसके पत्तों से बारीक तागों को निकाल कर उससे चटाइयां या दूसरी चीजें बनाई जायं तो इससे वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है।

इसी तरह से वहां कागज भी बनाया जा सकता है। कागज बनाने के लिये अगर वहां एक छोटा सा कारखाना खोला जाय तो जहां तक रा मैटीरियल्स का संबंध है वह वहां काफी बड़ी तादाद में मिल सकता है और उससे वहां के लोगों के लिये आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सकता है।

मैं एक निवेदन और करूं। केन्द्रीय सरकार की ओर से वहां खरैल में खानों की खुदाई एक दो सालों से चल रही है लेकिन आर्थिक कमी के कारण कहीं कहीं पर खानों की खुदाई का काम अधूरा पड़ा हुआ है। वहां तांबे की खानों की खुदाई का काम हो रहा था उन खानों में वहां के किसानों ने काफी काम किया लेकिन वहां आर्थिक कठिनाइयां होने के कारण खुदाई का काम अधूरा पड़ा हुआ है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि उन खानों की जो अधूरी खुदाई हुई है उसको पूरा करें ताकि जो तांबा वहां से निकले उससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है।

अब जहां तक उनके व्यवसाय की बात है सरकार, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि, वहां काफी प्रयास कर रही है लेकिन जो वहां नमूने की चीजें तैयार करती है उससे वहां की जनता की आर्थिक स्थिति न ऊंची हो सकती है और न काफी कार्य उनको मिल सकता है। उसके लिये मैं यह सुझाव दूंगा कि जहां एक तरफ पशुपालन विभाग भेड़ों की नस्ल को सुधारने का प्रयास करती है वहां साथ ही साथ ऊन के उद्योग को इस तरह से बनाया जाय जिससे जनसाधारण की जरूरत का जो कपड़ा हो वह तैयार हो। इससे वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर सके और इस तरह की चीजें पैदा हो सकें जो आम जनता के इस्तेमाल में आती हैं। किन्तु बहुत सी सोसाइटियां जो ऊन का काम कर रही हैं वह इसलिये आज सफल नहीं हो पा रही हैं क्योंकि उनके माल की खपत नहीं हो पाती। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो लोग ऊन का व्यवसाय करते हैं उनको सहायता दी जाय जिससे कि उनका व्यवसाय ठीक तरह से चले और ऐसी भी व्यवस्था की जाय जिससे उनके माल की खपत हो सके। जो ऊन पैदा करने वाले हैं उनको जरूर प्रोत्साहन मिलना चाहिये क्योंकि प्रोत्साहन मिलने से उनकी हालत ठीक हो सकती है। ऐसा ही प्रश्न अल्मोड़ा नगर का है। मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि आज अल्मोड़ा नगर के लोगों की हालत बहुत खराब है। इसका एक कारण यह है कि पहले वहां पर मिलिटरी रहा करती थी

जिससे व्यापारी लोगों की गुजर हो जाती थी और जो माल गांवों से आता था उसकी भी खपत हो जाती थी लेकिन अब मिलिटरी न होने के कारण नगर के लोगों का व्यापार कम हो गया है और इस तरह से जो लोग व्यापार पर निर्भर रहते थे उनकी हालत खराब हो गई है और साथ ही गांवों के लोगों पर भी इसका असर पड़ा है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर इस प्रकार की दस्तकारी कायम की जाय जिससे अल्मोड़ा जिला और नगर के लोगों की हालत सुधर सके। मैं अन्त में इस बात के लिये आप को धन्यवाद देता हूं जो कि आपने इस बजट में खनिज पदार्थों के लिये रकम रखी है। इससे जो काम आरम्भ हुआ है वह पूरा होगा और देश की प्रगति होगी। इतना ही मुझे कहना था।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख हुआ जब कि माननीय नियोजन मंत्री ने अपने राज्य में चलने वाली शुगर इन्डस्ट्री का नाम तक नहीं लिया। मैं उम्मीद में बैठा हुआ था कि माननीय उद्योग मंत्री शुगर इंडस्ट्री के बारे में जरूर कुछ न कुछ कहेंगे। हमारे राज्य में अगर यह कहा जाय कि सबसे बड़ी इन्डस्ट्री चीनी है तो यह अत्युक्ति नहीं होगी। सबसे अधिक लोग इसमें लगे हुये हैं चाहे वे मजदूर की शकल में हों और चाहे वे गन्ना उत्पादन करने की शकल में हों। यह भी नहीं है कि कोई समस्या हमारे सामने न हो, सब से बड़ी समस्या हमारे सामने यह खड़ी हुई है कि सारे भारतवर्ष को ५४ प्रतिशत चीनी हम देते हैं तो फिर ५४ प्रतिशत चीनी का प्रोड्यूसर होने के नाते हम अपना बाजार खो न दें। अगर हमारा बाजार खो गया तो मुश्किल हो जायेगा। मैं मानता हूं कि यह सारा मामला उत्तर प्रदेश की सरकार के हाथ में नहीं है लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को बतलाना चाहता हूं कि जो नीति केन्द्रीय सरकार इस चीनी उद्योग के साथ बरत रही है उससे मैं समझता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के व्यापार पर बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है जिसको करोड़ों रुपये खर्च करने पर भी पूरा नहीं कर सकते हैं। आज केन्द्रीय सरकार इस बात पर तुली हुई है कि बाहर से शुगर मंगा कर कमी को पूरा किया जाय। मैं समझता हूं कि यह नीति बड़ी खतरनाक है। जब हम अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं तो फिर बाहर से मंगाने की क्या जरूरत है। हमने सन् ५१-५२ में ८ लाख टन गन्ना पैदा किया और फिर १०, ११ लाख टन भी पैदा कर चुके हैं तो कोई वजह नहीं है कि हमको जो २२ लाख टन की आवश्यकता है उस की कमी को पूरा करने की स्थिति में न हो सकें। हम यह भी कहना चाहते हैं कि आज जो शुगर फैक्टरीज हैं उनका जो इलाका बांटा गया है वह भी उतना अवैज्ञानिक ढंग से है जिससे पैदा करने वालों को धक्का पहुंचा है। यह भी एक बात है कि मिल मालिकों को अपने इलाके में जो तरक्की करनी चाहिये थी उस के लिये वे ऐसी कोशिश नहीं करते हैं कि पैदा करने में कुछ खर्च किया जाय बल्कि उनका मुख्य ध्येय मुनाफाखोरी करना है और इस तरह से मुनाफाखोरी करके वे हमारे उत्तर प्रदेश को सारे भारतवर्ष में बदनाम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि मिल मालिकों की इस प्रवृत्ति को रोका जाय इसको भी माननीय नियोजन मंत्री को सोचना है। मैं तो सोचता हूं कि इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं रह गया है कि शुगर इंडस्ट्री के सम्बन्ध में जिस तरह की बातें पं० जवाहर लाल जी और जय प्रकाश जी के बीच में हुई, उस में उन्होंने किसी एक इंडस्ट्री का खास तौर से नाम तो नहीं लिया लेकिन इतना अवश्य कहा गया है कि शुगर इंडस्ट्री के सम्बन्ध में कोई उपयोगिता नहीं रह गयी है। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि सहयोगी तरीके पर इन इन्डस्ट्रियों का संचालन हो सकता है। इसमें सारा हाथ होता है मजदूरों का और केन ग्रोअर्स का, और मिल मालिक सारा मुनाफा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदा सिंह]

का उपभोग करते हैं। इसलिये जितना मुनाफा मिल मालिकों को होता है उसको देखते हुये सरकार के हाथ अब मजबूत हैं कि वह किसी भी क्षण इनको नेशनलाइज कर सकती है और जब वह नेशनलाइज किया जाय तो उस के बाद में उस की उपयोगिता ठीक तरह से हो सकती है। सन् ५१-५२ और ५३-५४ में जितना मुनाफा मिल मालिकों को हुआ है उसका यदि ठीक तरह से हिसाब लगाया जाय और वह यदि मिल मालिकों से वसूल किया जाय, तो एक बड़ी भारी रकम सरकार के पास आ सकती है और जो कम्पेनसेशन देने में अभी तक सरकार को दिक्कत मालूम हो रही है, वह सारे का सारा कम्पेनसेशन इस मुनाफे से दे सकती है।

अब मैं गुड़ के बारे में माननीय नियोजन मंत्री जी से यह कहूंगा कि इसके उत्पादन में १२ लाख आदमी समूचे लगे हुये हैं और इसका उत्पादन ६ करोड़ मन प्रति वर्ष होता है और इससे प्रति वर्ष ८० करोड़ की तिजारत होती है उस के सम्बन्ध में जो कुछ भी बजट में हिसाब लगाया गया है तो उस की तरक्की के लिये मैं समझता हूं कि वह दाल में नमक के बराबर भी है या नहीं, यह भी नहीं कहा जा सकता है। जो सेन्टर में हमारा कमीशन बैठा था, जिसने सिफारिश की कि अगली पंचवर्षीय योजना में, जो कि ५६ में पूरी होने जा रही है, दो लाख कोल्हू का बटवारा करना है। अगर इस तरह से एक करोड़ मन पर एक करोड़ का भी मुनाफा होता है तो ६ करोड़ मन पर ६ करोड़ का मुनाफा किसानों को या गुड़ उत्पादकों को हो सकता है। इसके साथ ही मैं समझता हूं कि अगर गवर्नमेंट ने मार्केटिंग का भी बन्दोबस्त कर दिया और एक करोड़ रुपया भी उनको ज्यादा मिल गया तो काफी उनका फायदा हो सकता है और इस प्रकार इस को प्रोत्साहन भी मिल सकता है। माननीय मंत्री जी यह भी कह सकते हैं कि इस विभाग से हमारा कोई मतलब नहीं है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह भी काटेज इन्डस्ट्री में आता है। काटेज इंडस्ट्री में गुड़ का उद्योग, कपड़े का उद्योग आता है जिसमें कि सूबे के २० लाख और २५ लाख के बीच में आदमी लगे हुये हैं और जो सूबे के सारे गांवों में फैले हुये हैं और यही उनका व्यवसाय है, उस के विषय में मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि अगले वर्ष गुड़ की तरक्की को बिल्कुल उसी दृष्टि से न देखा जाय जिस दृष्टि से इस समय देखा जा रहा है। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से से ज्यादा कोल्हू का प्रचार किया जाय और उसके लिये सरकार ग्रान्ट दे, तथा उसको ज्यादा से ज्यादा तरक्की देने के लिये ज्यादा से ज्यादा आदमी लगाये जायं और उसको इम्प्रूव कर के वह मार्केटिंग का भी बन्दोबस्त करे। मैं समझता हूं कि गुड़ की खपत इस सूबे में और दूसरे सूबों में बड़ी भारी है। खपत का बन्दोबस्त जिस वक्त सेन्टर से होता है, उस समय मिल मालिक और दूसरे रेट वगैरह का इस तरह से बन्दोबस्त करते हैं कि वह गुड़ हमारा दूसरी जगहों में नहीं जा पाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उसमें कुछ हमारे उत्तर प्रदेश की भी खामी है। उत्तर प्रदेश ने यह तै कर दिया जिस वक्त गुड़ का भाव १० रुपये मन हो जायेगा उस समय इसको बेचा जायेगा लेकिन मैं सरकार से यह कहूंगा कि उसने अभी तक कितना गुड़ खरीदा है। अगर आप १० रुपये मन भी देने वाले हैं, तो ८० करोड़ जो १२ रुपये या १३ रुपये मन के हिसाब से होता है मुमकिन है कि उससे कम होता और उससे ज्यादा पैदा न होता लेकिन आज हमारे प्रदेश में ऐसी व्यवस्था है जिसकी वजह से कुछ फैक्टरियां आज तक अपने आप बन्द हो गयी हैं।

पश्चिमी जिलों की फैक्टरियों के लिये हमको खतरा मालूम होता है। यह फैक्टरियां सन् ५१-५२ में जून के महीने तक चलीं और बाद को गन्ना खत्म हो गया, यही खतरा मुझे इस समय भी मालूम होता है। एक या दो दिन के बाद असेम्बली उठ जायेगी इसलिये हम यह जानने की चेष्टा करते हैं कि हम फैक्टरियों को किस तरह से चलायेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अदब से इस बात को कहना चाहता हूं कि कल माननीय नियोजन मंत्री जी से मिल मालिक कहेंगे कि साहब गन्ने की कीमत को कम करो क्योंकि रिकवरी कम हो गयी है जब रिकवरी

कम होती है तो गन्ने की कीमत कम हो जाती है और जब ज्यादा होती है तो गन्ने की कीमत ज्यादा हो जाती है । मैं समझता हूं कि खतरा जरूर पैदा होगा, इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वे इस की एक, दो दिन में व्यवस्था कर लें । जितनी फैक्टरियां चल रही हैं उन के लिये गारंटी कर ली जाय कि गन्ना खत्म नहीं होगा और गन्ने की कीमत कम नहीं होने पायेगी । इन सब बातों की व्यवस्था माननीय मंत्री जी को कर लेनी चाहिए ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह जिस समय अनुदान के संबंध में समय निर्धारित हुआ था तो मैंने यह सोचा था कि मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से उस समय निवेदन करूंगा कि लेखन सामग्री तथा छापा खाना विभाग की गतिविधि के ऊपर विचार करने के लिये भी अपना समय दें और अपने विचार प्रस्तुत करें । माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने इस अनुदान का कट मोशन मूव किया मैं समझता हुं कि उस अनुदान का सौभाग्य है कि इस अनुदान की मांग पर वह अपनी तिरछी नजर न डाल सके । मैं तो देखता हूं कि इस अनुदान को पिछले तीन वर्षों से बराबर बढ़ाया जा रहा है । माननीय नारायण दत्त जी को और उनके साथियों की नजर इस अनुदान से परे रही है । बहुत से काम ऐसे हैं जिन पर आपको घमंड है और आप इस पर गर्व करते हैं, लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि साल डेढ़ साल से मजदूरों के संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार द्वारा बनाई हुयी यूनियन का कार्य करना इस विभाग में अधिकारियों के विरोध के कारण बहुत ही मुश्किल हो गया है । सामूहिक बात के संबंध में मैं बाद को निवेदन करूंगा लेकिन शुरू में मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि ३२७ पोस्टों को परमानेन्ट करने के संबंध में जहां वित्त सचिव ने अपने मेमोरण्डम में प्रस्तावना की है, वहां पर यह भी लिखा गया है कि छापेखाने में बहुत से लोग टेम्परोरी इसके बाद भी रहेंगे । इसलिये उसके कार्य को ठीक से चलाने के लिये यह पोस्ट परमानेन्ट कर रहे हैं । यह बात साफ नहीं हुई है कि केवल ३२७ पोस्ट को ही परमानेन्ट करने का क्या खास मतलब है । जबकि सरकार को चाहिये था कि सभी टेम्पोररी लोगों को परमानेन्ट कर दें । माननीय उपाध्यषक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि भले काम करने में देरी नहीं होनी चाहिये और उसमें कोताही नहीं करना चाहिए । पर सरकार भला काम करने में देरी करती है इसलिये जो उस भले काम करने से श्रेय मिलना चाहिये वह सरकार नहीं ले पाती है । तो मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि इन ३२७ पोस्ट को परमानेन्ट करने के बजाय सरकार यदि यह कहती कि तीन वर्ष से ज्यादा जितनी भी पोस्टों को हो गया है उन सभी को परमानेन्ट कर रहे हैं तो ठीक था । मैं तो यह देखता हूं कि सरकार अशरफियों को लुटाती है और कोयलों पर मुहर लगाती है । मैं तो समझता हूं कि मजदूरों के इस तरह परमानेन्ट हो जाने से बजट पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा । श्रीमन, मुझे आशा है कि शीघ्र इस प्रेस के अन्दर के काम चलाने व संचालन की गतिविधि को माननीय मंत्री जी देखेंगे । मुझे खुशी है कि यह विभाग मजबूत हाथ में, हमारे एक अच्छे नेता के हाथ में आगया है और बहुत दिनों से जो जरूरत थी, इसके अन्दर सख्ती के साथ, सख्ती की निगाह से इस विभाग के अन्दर कोई तब्दीली आये, वह शायद अब पूरी हो जाय । पर मेरा दिल घबड़ाता भी है कि शायद यह महकमा बदले । क्योंकि वहां के इन्तेजाम का भार मुनासिब हाथों में नहीं है । फिर मेरा जितना अनुभव अब तक हुआ है उसके सम्बन्ध में मैं सरकार को लिखते-लिखते थक गया और मुझे भय है कि इतनी मोटी फाइल माननीय मंत्री जी की टेबिल पर आ चुकी होगी कि उसको देखना भी शायद उनको दुश्वार हो जायगा । लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि वहां इन्तजाम की खराबी है । वहां मजदूरों को ओवरटाइम रखने वालों की काबलियत यह है कि ६ दिन का ओवरटाइम ६ घंटा दिया जाता है ? अगर आप चाहें तो मैं नाम ही ले लूं । कल्लन वाइंडर को ६ रोज का ओवरटाइम ६ घंटे दिया गया । और सफी मेशीन मैन का ओवरटाइम राम औतार को दे दिया गया

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

और शफी मशीन मैन को बिलकुल मिला ही नहीं ऐसा क्यों हुआ क्योंकि ये लोग युनियन के अगुवा हैं । उनसे कहा गया कि जाओ यूनियन से अपनी दिक्कतें ठीक करवाओ । सिर्फ इसलिये कि दो चार महीने अब इस पैसे को सप्लीमेंटरी द्वारा लेने में लगें और इन गरीब मजदूरों की पैसे की मार से अक्ल ठीक हो जायगी। पिछले दो सालों में मजदूरों को जितनी परेशानी हुई है इस विभागीय अधीक्षक के कारण मैं इन बातों का जिक्र माननीय मंत्री जी के सामने तफसील में रख देना चाहता था । लेकिन वक्त नहीं है फिर भी दो चार बातें जरूर कहूंगा । एक तो यह कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बहुत खराबी है । उसको इन्तजाम करना आता नहीं है । उसको शायद पता ही नहीं है कि प्रेस इंडस्ट्री में क्या खर्चा पड़ रहा है । अगर यह इंडस्ट्री आपकी न होती तो जो आप ९४ लाख रुपये खर्च कर रहे हैं इससे कम खर्च में आप बाहर से दूसरी एजेंसी से काम करा लेते । बावजूद इसके कि यहां का मजदूर बाहरी लोगों से कम फायदा पाता है। इसके अन्दर काम करने वाले मजदूरों पर फैक्टरी ऐक्ट लागू होता है पर उसको सच्चाई से लगाया नहीं जाता । श्रीमन्, आपको मालूम नहीं है शायद कि बजट आपका कैसे छप कर आया है । २४ घंटे काम हुआ है । एक एक मजदूर ने १८, १८ घंटे काम किया । उसे अपने घर लौटने तक नहीं दिया गया । लेकिन ओवरटाइम इसका कैसे लगाया गया । झूठे रजिस्टर भरे गये । १२ दिन में उसके किये एक दिन एक रातके ओवरटाइम को २,२ घंटे का ओवरटाइम दिखा दिया । अगर कोई प्राइवेट कारखाने का मालिक ऐसा करता होता तो फौरन उसे बंधवा दिया जाता और जो जेलें आपने बनाई हैं उनमें उसको भिजवा दिया जाता पर हमारी दुश्वारी यह है कि यहां तो हमारा ही सीना, और हमारी ही कटारी है । चलायें तो किस पर चलायें, और कहां पर चलायें । सारे इन्तजाम में गड़बड़ी है । अगर हम कुछ कहते हैं तो कहा यह जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में दखल देते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से यह निश्चयपूर्वक कहना चाहता हूं कि लखनऊ के सेक्रेटेरियट लेविल से समझदार और जिम्मेदार लोगों की नजर अगर इस डिपार्टमेंट पर न होती तो हेड आफ दी डिपार्टमेंट ने इस विभाग में पिछले दो सालों से जो स्थिति पैदा कर दी थी उसमें एक मर्तबा हरताल नहीं होती, दो मर्तबा होती, तीन मर्तबा होती और इस तरह गलत रास्ते पर मजदूर चले जाते । बार बार कहा गया कि इन बातों का फैसला हो लेकिन आज तक कोई फैसला नहीं हो सका । हमारे साथी मजदूरों को इस बात पर चार्जशीट दे दी जाती है कि तुम फलां वक्त अपनी जगह पर काम करते हुये मुंह खोल कर क्यों बोल रहे थे । लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के चहेते जहां चाहे घूमें उन्हें शाबाशी मिलती है । मजदूर जब गलत ओवरटाइम मिलने पर यह शिकायत करने जाते हैं कि उनके ६ दिन के ओवरटाइम का क्या हुआ तो जबाब दे दिया जाता है कि गल्ती हो गई । जो काम करता है उससे गलती होती ही है । तुम घर चले जाओ । आज यूनियन के अन्दर जो मजदूर इस विभाग के काम कर रहे हैं उनके साथ हर सूरत और हर आलम यह कोशिश की जा रही है कि उनको तोड़ा जाय । उनकी हिम्मत, उनकी ईमानदारी और उनकी शराफत को नाजायज तौरसे तोड़ मरोड़ कर गलत रास्ते पर उनको डाल देने की कोशिश की जा रही है । लेकिन जहां तक उन सहूलियतों का सम्बन्ध है जो इस बजट द्वारा आप मजदूरों को दे रहे हैं उसके लिये आप कूलर बनायेंगे इसके लिये मैं आपको धन्यवाद तथा सरकार को धन्यवाद देता हूं । मुझे याद है कि लेबर वेलफेयर ऐडवाइजरी कमेटी में पिछले साल रानीखेत में आपके सचिव ने यह वादा किया था और एक ही साल के अन्दर वह वादा पूरा कर रहे हैं । उनको मैं आपके द्वारा धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी आवश्यकता के औचित्य को समझा पर आशा यही करता हूं कि वह लग जायगा और ग्रांट सरंडर नहीं होगी ।

हिन्दी के दो रीडर्स की पोस्ट और बढ़ाई । पहले से मालूम होता तो बहुत लम्बी शिकायत करता लेकिन अब तो वह हो चुका । लेकिन कहना यह कि काबलियत का जरा अन्दाजा लगाया जाय कि दो रीडर्स एप्वाइंट किये जायेंगे जब कि राष्ट्रभाषा हिन्दी है । जरा पता लगाया जाय कि कितने रीडर अंग्रेजी के हैं और कितने हिन्दी के और फिर हिन्दी में काम ज्यादा बढ़ रहा है । सीनियर रीडर्स का काम जूनियर रीडर्स से ले लिया जाता है और अगर कुछ कहा जाता है तो जबाब मिलता है कि तुमको रिवर्ट कर दिया जायगा, तुम नामाकुल हो, तुम्हें प्रोमोशन नहीं

मिलेगा ऐसे ही एक दफा सेक्रेटरी ने देखा कि एक आदमी जब वह एक्चुअल काम नहीं कर सका तो उसको सहारा देने के लिये एक आदमी नियुक्त किया । खड़ा भी न हो सके, कुछ समझता भी न था अतः एक आदमी और उसके साथ ए० डी० सी० रखा गया जो उसे सीधा खड़ा रखे । तो क्लर्क साहब का काम नहीं चलता, एक और क्लर्क के बिना यदि उनसे कुछ पूछना है तो उनके ए० डी० सी० से पूछिये पर देखा वहां यह जाता है कि यूनियन में कौन कौन लोग हैं, उनको किस तरह से तंग किया जाय, कैसे उनको परेशान किया जाय । यह दुश्वारियां हैं कि जो वहां पर मजदूरों को बहुत हद तक परेशान कर रही हैं । मजदूर यूनियन को तोड़ने की, बरबाद करने की बराबर कोशिश की जाती है । उनमें आपस में झगड़ा पैदा करने की कोशिश की जाती है । कोशिश की जाती है इस बात की कि वहां एक पोस कमेटी के नाम पर समानान्तर यूनियन बने । एक पागल सा मजदूर है और गवर्नमेंट प्रेस में बहुत सा ऐसा काम होता है कि जहां पागलों की आपके अधिकारियों को जरूरत रहती है वशर्ते कि वह यूनियन के खिलाफ हो । उसको छोड़ दिया गया कि वह एक पोस कमेटी बनाये । मैं कहता हूं कि कोआपारेशन हमसे लीजिये, वह कहते हैं मजदूरों से यूनियन छोड़िये पोस कमेटी बनाइये । पोस किसके साथ ? वार किसके साथ है ? हमारी अपनी सरकार है और हम ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहते हैं और इसी की राय मजदूरों को देते हैं लेकिन काम आपका यदि हम हलका भी करना चाहें तो ऐडमिनिस्ट्रेशन हमें नहीं करने देता । साथ ही इसके, आपके यहां के ऐडमिनिस्ट्रेशन में इतनी काबिलियत है कि मशीनें मंगा ली जाती हैं नयी । ए० सी० लाइन का इंतजाम नहीं है लेकिन मशीनें मंगा ली जाती हैं ए० सी० करेंट की और पुरानी डी० सी० मशीनों को उखाड़ने का आर्डर हो जाता है । अगर ए० सी० मशीनों को मंगायें तो ए० सी० लाइनों का इंतजाम कर लें, लेकिन वहां तो नाक के नीचे भी लोगों को दिखाई ही नहीं देता । अक्ल कम है ऐडमिनिस्ट्रेशन में, हां, मजदूरों के साथ गलत -सही बात करने की अक्ल जरूर ज्यादा है । साथ ही मैं सरकार से यह अवश्य कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट प्रेस के मजदूर बड़े सब्र से सरकार से पे कमेटी की गल्तियों को ठीक कराने की बात कई सालों से कहते आ रहे हैं । साथ ही, प्रेस के मजदूरों का जो तनख्वाहों का ढांचा है उसमें स्टंडर्डाइजेशन की मांग भी है । छोटी तनख्वाहों को बढ़ाने की मांग भी सरकार के सामने है टास्क वरकर की छुट्टी का सवाल लटका है । २० वर्कर्स को आपने रिवर्ट कर दिया, उसकी फाइल १८ महीने फाइनेन्स विभाग में रही उसके बाद फाइनेन्स के एक असिस्टेंट सेक्रेटरी तक साहब ने फिर डिपार्टमेंट को लौटा दी, फिर विभाग ने फाइनेन्स विभाग को भेजी और फिर उसे विभाग को लौटा दिया गया, तो इस प्रकार २४, २५ महीने उसे हो गये लेकिन आज तक रूल नहीं बन पाते । गवर्नमेंट प्रेस के मजदूरों की मांगों के संबंध में ऐडमिनिस्ट्रेशन और सरकार कुछ निश्चय , इतना समय बीत जाने के बाद भी , नहीं कर पा रही है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस दहकते हुए ज्वालामुखी पर मैं जबरदस्ती बैठा हुआ हूं । मेरा हृदय जानता है कि क्या-क्या हम पर बीत रही है

मैं आज इस सदन में श्रीमन, आपके द्वारा माननीय मंत्री से अन्त में दो निवेदन करना चाहता हूं । एक तो यह कि जहांतक इस ऐडमिनिस्ट्रेशन का हमारे साथ बर्ताव की बात है, उस के लिये आप फिर मेहरबानी करके या तो अपने सेक्रेटरी की रिपोर्ट के सिलसिले में कुछ फैसला करें और हमको लिख कर भेजें कि आपने क्या फैसला किया है या आप खुद बैठकर ऐडमिनिस्ट्रेशन को और हमको सुनिये और अगर हमारी गलती हो तो मैं यहां कहने के लिये तैयार हूं कि मैं अपनी गलती के लिये पब्लिकली माफी मांगने के लिये तैयार हूं, यूनियन माफी मांगने के लिये तैयार है, लेकिन अगर ऐडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है तो उसको भी

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

आप देखिये कि वह ठीक हो और यूनियन से माफी मांगे । दूसरी मांग मजदूरों के वेतन क्रमों के स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिये एक कमीशन बैठाना है । इसके लिये आप फाइनेन्स डिपार्टमेंट का एक आदमी ले लीजिये, एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का और एक आदमी हम अपनी यूनियन से नामिनेट करेंगे और वह कमीशन जो कुछ फैसला करेगा उसको हम मंजूर करेंगे, सरकार भी मंजूर करे । मुझे आशा है माननीय मंत्री जी मेरे दिये हुए सुझावों पर गौर करेंगे और उस प्रेस में कुछ उन्नति कर सकेंगे और वहां जो अशान्ति मजदूरों में फैली हुयी है उसे दूर कर सकेंगे ।

श्री शिवराम राय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को इस अनुदान के लिये बधाई देता हूं । मैं सोच रहा था कि माननीय मंत्री जी की रहनुमाई में आने के बाद विभाग के कुछ कर्मचारी, आधिकार कम से कम आपके सामने इस तरह का आंकड़ा रखते कि जिससे मालुम होता कि यह विभाग अब कुछ पहले से नये ढंग पर कदम उठायेगा । परन्तु मैं समझता हूं कि बजट भाषण सुनने के बाद किंचितमात्र भी यह आशा नहीं हुई कि यह विभाग आगे कुछ कदम उठा रहा है । मैं देख रहा हूं कि यह विभाग बड़े २ औद्योगिक नगरों और शहरों के चकाचौंध मे विलीन हो गया है । इंडस्ट्रीज विभाग उतना काम नहीं कर रहा जितनी आवश्यता है गृह उद्योगों की आज बड़ी नाजुक हालत होती जा रही है ।

अभी माननीय गुप्ता जी जब भाषण दे रहे थे उसमें चुर्क फ़ैक्ट्री की चर्चा आयी, पहाड़ी इलाकों की चर्चा आयी, कानपुर आदि औद्योगिक नगरों की चर्चा की परन्तु मैं देख रहा था कि हमारे जिले आजमगढ़ की तरफ़ ध्यान जा रहा है या नहीं । मुझे दुख हुआ कि आजमगढ़, बलिया आदि का कोई जिक्र न आया । मैं आजमगढ़ जिले की बात बताना चाहता हूं । इस ७५ मील लम्बे और ७० मील चौड़े जिले में एक भी बड़ी फैक्ट्री नहीं है, हां मऊ में कुछ करघा उद्योग है । फिर भी वहां की हालत इतनी नाजुक है हम यह महसूस करते हैं कि बिना औद्योगीकरण के हमारा देश तथा प्रदेश आत्म निर्भर नही हो सकता है । परन्तु हम देखते हैं कि इस ओर किंचित मात्र भी ध्यान नहीं जा रहा है । आज हमारे जिले की हालत यह है कि १५ फीसदी लोग जीविकार्थ गुलामों की तरह से प्रदेश के बाहर जीवन यापन कर रहे हैं, यहीं नही बल्कि हालत यह है कि हमारे जिले की ८० फीसदी जनता बरेली तथा पश्चिमी जिलों के छोआ (चौं J) से अपना जीवन निर्वाह करती है । आज जरूरत इस बात की है कि आने वाली पंच वर्षीय योजना का नक्शा इस विभाग के अधिकारी माननीय मंत्री जी के सामने ऐसा पेश करते जिसमें इस अनुदान के बारे में क्या करना है और भविष्य में आगे चल करके देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये क्या क्या हमें करना होगा । परन्तु कोई ऐसी चीज नहीं आयी । सही बात यह है कि अभी तक जिस तरह से यह विभाग चलता रहा है इसके अन्तर तल के काले कारनामे छिपे नहीं है । जिन लोगों का इस विभाग के सम्पर्क में आने का अवसर मिला है इस विभाग से सहायता प्राप्त करने के सम्बन्ध में उनको पता लगा है कि उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । अभी अभी हमारे एक मित्र ने चुर्क फैकट्री का जिक्र किया और उन्होंने यह भी कहा कि वहां की हालत यह है कि मजदुरों को बड़ी परेशानी है, उनके साथ न्याय नहीं किया जाता, बुरी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं । उनके कहने पर मुझे दुख हुआ क्यों कि मैं जानता हूं कि जबसे चुर्क फैक्ट्री की नीव पड़ी मजदूरों की सुविधा का खयाल रखा गया, उन के रहने के निवास बनाये गये और डेढ़ रुपया मजदूरी मिलती है । यही नहीं उस स्थान पर जहां से पत्थर आता है वहां लगभग ५०० मजदूर काम करते हैं, वहां मजदूरों की रहनुमाई में खाने पीने की व्यवस्था होती है बारी बारी से मजदूर खाना पकाते हैं, चारों समय का नाश्ता १४ आने पैसे और कपड़ा मिलता है । मेरी समझ में यह कम नहीं है क्योंकि फैक्ट्री अभी प्रारंभिक अवस्था में चल रही है । फिर भी जो कुछ काम हो रहा है उसको देख कर कि हम लोगों को बड़ा संतोष हुआ, क्योंकि अभी ७०० टन रोजाना सीमेंट तय्यार हो रहा है । वहां के अधिकारियों का ऐसा कहना है कि थोड़े ही दिनके बाद थोड़ा और पैसा खर्च करने पर १४०० टन सीमेंट नित्य तय्यार

करेंगे। सीमेंट क्वालिटी में बहुत अच्छा है और हम उम्मीद करते हैं कि और प्रोडक्शन फर्स्ट कलास का होगा। यही नहीं विंध्याचल जिले के पहाड़ों में और भी बहुत से उद्योग खोले जा सक्ते है लेकिन मैं इतना कहूंगा कि जहां आज जरूरत है जैसे आजमगढ के बारे में कह रहा था कि अच्छी तरह से देख लेना चाहिये कि कौन कौन उद्योग खोले जासक्ते हैं। क्योंकि अब लाजमी है कि बगैर उद्योंगों के चलाये खेती के बल पर काम नहीं चल सकता है भले ही सिचाई की सुविधायें हो जायं। अब आने वाली पंचवर्षीय योजना में वहां भी थोड़े उद्योग खोल कर सफलता के साथ आगे बढ़ने का कार्य नहीं करेगें तो यह कहना पड़ेगा कि इस विभाग के उच्च अधिकारियों का आने वाली पीढ़ी की तरफ जरा भी ध्यान नहीं है। मैं इस बात को चाहता हूं कि आप लगन के साथ सारे संसार की प्रगति को देख कर कि संसार में क्या हो रहा है, किस तेजी से लोग काम कर रहे हैं, अपना कदम बढ़ायें। मैं इस विभाग के अधिकारियों से अपील करूंगा कि वे इस कार्य में परिश्रम के साथ अपनी जान लगा दें ताकि प्रदेश का औद्योगीकरण हो सके, वगैर इसके हमारा भविष्य सुधरने वाला नहीं है, प्रदेश आगे बढ़ने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार सेंन्ट्रल गवर्नमेंट ने कर्घा उद्योग को जीवित रखने के लिये पैसा खर्च किया, लेकिन कमीशन एजेंट और सोसाइटी के प्रमुख अधिकारी उसका फायदा उठा लेते हैं और बुनकरों को कोई फायदा नहीं होता है। आजमगढ़ जिले में कंकड़ बहुत ज्यादा निकलता है। जैसे पत्थर से सीमेंट बन जाता है उसी तरह से कंकड़ से चूना बनाया जाता। चूने की इमारत बहुत पुख्ता होती है। मंत्री जी इस कंकड़ की तरफ भी ध्यान देंगे।

हमारे यहां बहुत मात्रा में सन पैदा होता है और सब विदेशों में चला जाता है। यह कोई न कोई नये कारोबार और उद्योग में काम आ सकता है। बांस भी बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा होता है। कोई इस तरह का सामंजस्य इन गृहोद्योगों और फैक्टरियों के बीच में पैदा होना चाहिये ताकि देहात में रहने वाले लोगों के रोजगार और बचत का अवसर पैदा हो। निजामाबाद में मिट्टी के बर्तन बनाये जाते हैं। उस उद्योग को ऊपर उठाने की जरूरत है, क्योंकि वहां के बर्तन ऐसे हैं जो दूर देशों तक जाते हैं। अभी ऐसा मालूम हुआ कि आजमगढ़ के एक किनारे पर जो दूसरे किनारे से ७५ मील पड़ेगा, शुगर फैक्टरी स्थापित होने वाली है उससे जो फायदा होगा वह तो होगा ही, लेकिन हमारे यहां छोटे-छोटे गृह उद्योग धंधे स्थापित किये जायं, गन्ने के या और तरह के, ताकि अधिक लोगों को काम करने का अवसर मिले और साथ ही यह भी निवेदन है कि हमको बड़े नगरों की चकाचौंध से हटकर ऐसी जगह जाना चाहिये जहां सस्ते मजदूर आसानी से मिले और बेकारों को रोजी मिले। ऐसी जगह मिल स्थापित होने चाहिये। हमारे जिले में ५ तहसीलें ऊसर हैं, वहां शोरा और शीशे का उद्योग चलाया जा सकता है। खादी उद्योग के लिये भी हमारा जिला बहुत अच्छा है। दो हजार चर्खा बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के लिये गत वर्ष मिले थे परन्तु बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों की अकर्मण्यता के कारण चर्खे नहीं बांटे जा सके। वहां खादी उद्योग को भी बहुत सफलता मिल सकती है क्योंकि वहां की खादी अच्छी होती है। वहां गांधी जी की प्रेरणा से स्वामी सत्यानन्द जी ने आश्रम स्थापित किया है। वहां काफी मात्रा में खादी का उत्पादन होता है। आजमगढ़ जिला गरीब है। मैं उसकी तरफ स्मरण दिलाता हूं मेरी प्रार्थना है कि अवश्य ही ध्यान देना चाहिये कि किस तरह से वहां के लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें यह बहुत जरूरी है।

नियोजन उप-मंत्री (श्री फूलसिंह)—उपाध्यक्ष महोदय, आज जब इस अनुदान पर बहस हो रही थी तो कुछ माननीय सदस्यों ने गुड़ और गन्ने की समस्याओं की चर्चा की। माननीय गेंदासिंह जी ने इस पर खास तौर से जोर दिया। यह सही है कि यह दो समस्यायें बहुत बड़ी समस्यायें हैं और शायद अब जबकि खाद्य पदार्थों के भाव सस्ते होने जा रहे हैं, इन समस्याओं

[श्री फूलसिंह]

का हल ठीक तरह से करना इन बड़ी समस्याओं के हल की भी कुन्जी देगा। गन्ने की समस्या ऐसी है जैसा कि अभी कहा गया है कि पिछले सालों में गन्ना मिलों ने बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया। गन्ने के दाम मुकर्रर थे और मिल वालों ने चीनी ज्यादा दामों पर बेचकर काफी मुनाफा कमाया, इस मुनाफे में से हमारे काश्तकार हिस्सा मांगते हैं। माननीय सदस्य सरकार की राय जानते हैं कि सरकार इस पक्ष में है कि काश्तकारों को इस मुनाफे का एक अच्छा हिस्सा मिलना चाहिये। लेकिन जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि यह विषय केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है और जब जब मौका मिलता है प्रांतीय सरकार इस मामले में एक अच्छा खासा इसका समर्थन करती है।

दूसरी बात यह है कि अगर मिले ज्यादा दिन चलें तो गन्ने का भाव गिरेगा, यह शंका भी सही है। अभी भी जबकि मार्च का महीना खत्म नहीं हुआ और गन्ने की रिकवरी में कमी नहीं आयी, दो मिलों ने वहां भाव गिराने शुरू कर दिये हैं। गन्ना जो मिलों में क्रश होता है वह इस साल और सालों से ज्यादा, क्रश हुआ है। पिछले साल १५ करोड़ मन के करीब गन्ना खर्च हुआ और इससे पिछले साल १९/२० करोड़ के लगभग लगा था। हमें इस बात का अनुमान था कि १८ करोड़ मन के करीब गन्ना इस साल खर्च होगा। लेकिन इतना अभी तक वह क्रश हो चुका है और अभी पश्चिम के सभी मिल मई तक चलेंगे। पूर्व के कुछ मिल बंद हो गये हैं और बाकी मिलें अप्रैल में बंद होंगी। हमारी इत्तिला यह है कि अप्रैल तक यह मिलें बंद हो जायंगी, मुमकिन है कि कुछ दिन और चल जायं।

गन्ने की पैदावार का रकबा इतना ज्यादा नहीं था लेकिन गुड़ का भाव गिरने के कारण मिलों पर ज्यादा जोर पड़ा। हर साल जनवरी और फरवरी में गुड़ का भाव कम होता था और मार्च में बढ़ता था लेकिन दुर्भाग्यवश मार्च में इस साल और भाव गिरा। चुनांचे अभी भी कई जिलों में गुड़ का भाव १० रुपये मन से भी कम हो गया है। सरकार ने इस तरफ कदम उठाया है और गुड़ की खरीदारी शुरु कर दी है। अभी एक घंटा हुआ एक जिले से हमारे कर्मचारी आये, वहां खरीदारी शुरू नहीं की गयी बल्कि केवल गुड़ का नमूना मांगा था। केवल नमूने लेने से ही ४ आने मन गुड़ का भाव बढ़ गया है। इससे यह खयाल होता है कि सरकार की खरीदारी के फलस्वरूप हम भाव को दस रुपये तक ले जायेंगे। लेकिन अब अगर गुड़ का भाव मंहगा हो जाय तो भी गन्ने से गुड़ बनने वाला नहीं है क्योंकि अब फसल कटने लगी है और गर्मी पड़ने लगी है और किसानों के लिये अब गुड़ बनाना सम्भव नहीं होगा और जो गन्ना बचा है वह फैक्टरी में ही जायगा।

एक कठिनाई और हुयी कि कुछ जगह ओले पड़े, पाला पड़ा और यह जरूरत महसूस की गयी कि इस गन्ने को जल्दी से जल्दी पेरा जाय। तराई में जो मिल थी वह बुलन्दशहर चली गयी इससे गन्ने की समस्या और बढ़ी और इन कारणों से भी समस्या कुछ जटिल हो गयी है और आशा यह की जाती है कि हम गुड़ के भाव ऊंचे ला सकेंगे मगर यह समस्या आर्थिक तौर पर हल होने वाली नहीं है जब तक कि गुड़ के रखरखाव के लिये और उसकी खपत के लिये कोई इन्तजाम हमारे प्रांत में नहीं हो सकता है तब तक यह समस्या हर साल यहां लौट लौट कर आया करेगी। अभी जो इत्तिला आ रही है उनसे पता चलता है कि अगले साल गन्ने का रकबा इस साल से ज्यादा होने वाला है और जो सौदा जेठ के महीने का अब हो रहा है उसकी दर ८ रुपये ९ आना है। यह दोनों बातें ऐसी हैं जिनसे यह मालूम होता है कि शायद अगले साल गुड़ का भाव मंदा हो। इसलिये इस समस्या की तरफ सरकार उचित ध्यान दे रही है। अभी जो बजट आपके सामने है उसमें जो नये नये आइटम हैं उनमें माननीय सदस्य देखेंगे उसमें यह चर्चा की गयी है कि गुड़ को सुरक्षित रख सकते हैं। मगर कठिनाई यह है कि हर जगह गुड़ को बहुत दिनों तक नहीं रखा जा सकता है। अभी जो खबर सरकार के पास आयी है उससे मालूम हुआ कि आगरे के आस पास के इलाके में गुड़ का भाव ८ रुपये ८ आना से नीचे हो गया है। लेकिन वह गुड़ ऐसा नहीं है कि जिसको खरीद कर बहुत दिनों तक रखा जा

सके। इसलिये इन दोनों दिशा की तरफ कदम उठाया गया है और सरकार इस पर दूर तक ध्यान देना चाहती है। एक तो यह तरीका अख्तयार करना चाहते हैं कि जिससे गुड़ जो खरीद कर रखा जा सके और इन ड्रम के अलावा सरकार वीयर हाउसेज की योजना पर विचार कर रही है ताकि ऐसे वीयर हाउसेज बनाये जायं जहां पर गुड़ को कुछ दिनों तक रखा जा सके। साथ ही जो गन्ने की स्थिति है और अगले साल होने जा रही है यह अनुमान किया जाता है कि शायद केन्द्रीय सरकार को बाहर से शुगर मांगने की आवश्यकता न रहे और अगर यह सम्भव हुआ तो यह भी कोशिश की जायगी कि जितना गुड़ खरीदा जा सके उससे और गुड़ से रीफाइन वे में शुगर बनाई जाय ताकि जो शुगर बाहर से आने वाली हो उसमें कमी की जाय। इस तरफ ध्यान दिया जा रहा है कि कुछ गुड़ बाहर के मुल्कों में भेजा जाय। आसाम और ईराक यह ऐसी जगहें हैं जहां पर गुड़ की खपत हो सकती है। अखबारों में जो पिछले दिनों कुछ चर्चा हुयी उससे यह अन्दाज लग सकता है कि बम्बई गवर्नमेंट कुछ रिफायनरीज बनाने जा रही और ऐसा अनुमान है कि रिफायन्ड शुगर बाहर से नहीं आयेगी। यहां पर शुगर बनायी जाय यह कोशिश की जायगी। अगर यह मुमकिन हुआ तो देश में गुड़ से ही शुगर बनायी जायगी। यह सही है कि हमारी बड़ी इंडस्ट्री के होते हुये भी कारखानदार अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं और वे किसानों की दिक्कतों को मिटाने की कोशिश नहीं करते और अपने कारखानों को सुधारने की भी कोशिश नहीं करते। पिछले साल पूज्य पंत जी ने २,३ मर्तबा ऐसी कांफ्रेंस की जिसमें उन्होंने चाहा कि शुगर फैक्टरीज के अन्दर कुछ डेवलपमेंट हो सके और अच्छा गन्ना मिल सके। उस वक्त जो कांफ्रेंस हुयीं उसका मेरे ऊपर यह असर हुआ कि फैक्टरी वाले शायद कुछ दिलचस्पी नहीं लेना चाहते हैं। उसका कारण पहला तो मैं यह समझता था कि कुछ फैक्टरी ऐसी हैं जिनके पास इतने इलाके हैं कि बिला डेवलपमेंट के काफी गन्ना उनको मिल जाता है और कुछ फैक्टरीज कम्युनिटी प्रोजेक्ट के अन्दर आगयी हैं उनका ऐसा खयाल हो गया है कि खुद गांव वाले कुयें बनायेंगे और सड़कें बनायेंगे। मेरा निवेदन यह है कि अच्छा यह हो कि अगर यह इलाके बांट दिये जायं।

(इस समय ४ बजकर ४० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

ताकि फिर सब को यह मालूम रहे कि हमें गन्ना यहीं से लेना है। उस वक्त पंत जी ने यह कहा था कि उस एरिया को रीजोनिंग किया जायगा। इसके बारे में सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि एक कमेटी बैठायी जाय जो इस तमाम इलाके को फिर से तकसीम करे। इसी तरह से उस योजना पर भी कार्य होने वाला है कि किन मिल एरियाज में डेवलपमेंट होना है। चाहे कुयें लगाने हों, चाहे सड़क बनानी हों, उसके लिये २५ प्रतिशत फैक्टरी देगी, २५ प्रतिशत केन सोसायटी देगी, और ५० प्रतिशत सरकार देगी। चुनांचे बजट में आप देखेंगे कि उसके लिये रुपया रक्खा गया है।

कुछ यह चर्चा भी यहां हुयी कि उन सब फैक्टरीज को ले लिया जाय और साथ ही किसी माननीय सदस्य ने यह भी चर्चा की कि सहकारिता के आधार पर शायद इन फैक्टरीज को चलाना खतरनाक होगा। मैं इस विषय में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अब जो नयी फैक्टरी लगेंगी उनमें सहकारिता के आधार पर फैक्टरी लगा कर देखा जाय कि उसका क्या परिणाम होता है। कभी एक फैक्टरी लगी थी और वह फेल हो गयी लेकिन उसकी बिना पर यह तय कर लेना कि अब किसी फैक्टरी को सहकारिता के आधार पर चलाने का विचार ही नहीं किया जा सकता, उचित नहीं है। उस वक्त का वातावरण भी कुछ और था अब कुछ और ही है। अब तो हजारों की संख्या में कोआपरेटिव किल्न और सीड स्टोर्स चल रहे हैं। इसलिये मेरा खयाल है कि इधर भी ध्यान देना चाहिये।

श्री गेंदासिंह—जो फैक्टरीज अथोराइज्ड कन्ट्रोलर के अधीन रखी जाती हैं उनको क्यों नहीं कोआपरेटिव बेसिस पर चलाया जाय ।

श्री फूलसिंह—ठीक तो नहीं कह सकता लेकिन एक इस तरह की बात उस समय आयी थी जबकि देहरादून की फैक्टरी का नीलाम होना था और उस समय केशवदेव मालवीय जी मिनिस्टर थे । उस समय मैंने एक ऐतराज किया था कि जो फैक्टरी प्राइवेट ओनरशिप में नहीं चल सकी उसको कोआपरेटिव के सिर नहीं मढ़ना चाहिये । कोआपरेटिव के ढंग से वहां चलाना चाहिये, जहां कामयाबी की कुछ उम्मीद हो । जब एक व्यक्ति और १०० तरीकों से मुनाफा कमा सकता, है, वह लाभ न उठा सका तो उसको सहकारिता के ढंग से चलाना खतरनाक होगा । अगर कोई अच्छी फैक्टरी हो और उसकी हालत अच्छी हो तो उसको लेना भी ठीक होगा और उसके साथ सरकार की हमदर्दी होगी ।

मैं केवल इतना ही और निवेदन करना चाहता हूं कि शुगर कंट्रोल बोर्ड में चर्चा हुयी थी । बहुत आभारी हूं सरकार का कि मैं इस विषय में वहां अपनी राय रख सका । इस दफा जब चर्चा हुयी तो यह बात कही गयी कि जो तरीका गन्ना मिल को कन्ट्रोल करने का अब तक रहा है वह फेल हो गया है । उसकी पालिसी तो सेंटर से गवर्न होती है और किसानों से भिड़ना पड़ता है प्रदेशीय सरकार को । केन्द्रीय सरकार या जिसके हाथ में ही आखिरी "से" हो अगर उसी को किसानों से भी भिड़ना पड़े तो वह चीज आसान हो जायगी । मेरे खयाल में सरकार भी इस बात में सहमत है । अतः इस मामले में जो भी प्रान्तीय सरकार कर सकेगी वह करती रहेगी ।

इन चन्द शब्दों को मैंने इसलिये रक्खा ताकि मेम्बर साहबान यह जान जायं कि सरकार इस मामले में अपरिचित नहीं है और वह किसानों की दिक्कत को दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करना चाहती है ।

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसीदास)—अध्यक्ष महोदय, उद्योग के संबंध में इस सदन के बहुत से सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं और साथ ही साथ इस प्रदेश की बेरोजगारी दूर करने के लिये उद्योग का विकास किस प्रकार से किया जाय, इस पर सरकार की आलोचनायें की हैं और साथ ही साथ अपने सुझाव भी दिये हैं । इससे इंकार नहीं किया जा सकता है कि प्रदेश की बेरोजगारी को दूर करने का एकमात्र साधन हमारे इस प्रदेश के उद्योग धंधों का विकास करना है । उद्योग धंधों के सम्बन्ध में अब तक हमारे प्रदेश में और देश में बड़ा कंफ्यूजन मालूम होता था । गृह उद्योग जो छोटे साइज के हैं और जो बड़े उद्योग हैं उनमें क्या भेद हो, उनके बीच में कहां तक रेखा खींची जाय, आया बड़े उद्योग धंधे कायम किये जायं, वे समाजीकरण के अन्दर हों या प्राइवेट इंडस्ट्रीज के अन्दर हों, इनके बारे में काफी कंफ्यूजन था लेकिन कुछ समय से इसमें प्रकाश नजर आता है और सब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारे देश में जहां बड़े उद्योग धंधों की जरूरत है वहां बेरोजगारी की समस्या को सहायक धंधों का विकास करके ही हल करना होगा । अभी हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने एक योजना बनायी है जिसके द्वारा आगामी १० वर्ष में वह १ करोड़ २० लाख आदमियों को रोजगार देना चाहती है और इसकी शुरुआत हमारे प्रदेश के अन्दर भी की गयी है। लेकिन मुझे आश्चर्य तब हुआ जब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य श्री गजेन्द्रसिंह जी ने इस बात को कहने का प्रयत्न किया कि उद्योग विभाग के बजट में समाजीकरण का कोई जिक्र नहीं किया गया है । समाजीकरण का क्या अर्थ है, वे किस डिक्शनरी से लेते हैं, मैं इसको नहीं समझ पाया हूं । एक तरफ तो फैक्टरियों के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार को आदर्श इम्पलायर बनना चाहिये और दूसरी ओर प्राइवेट इंटरप्राइजेज से मुकाबला करने की बात कहते हैं । मैं नहीं समझ पाया कि समाजवाद की किस किताब में है कि प्राइवेट इन्टरप्राइज के मुकाबले में सरकारी उत्पादन की कीमत कम की जाय । यह बिलकुल परस्पर विरोधी चीज है । समाजीकरण का एक ही अर्थ है कि समस्त साधनों का उपयोग समाज की उपयोगिता को दृष्टि में रख कर किया जाय, उत्पादित वस्तु के भाव उसकी लागत देखकर निश्चित किये जावे, न कि पूंजीवादी प्रथा के अनुसार बड़े उद्योग केन्द्रीय सरकार

का क्षेत्र है, परन्तु फिर भी हमने कुछ बड़े उद्योग कायम किये हैं जैसे मिर्जापुर की चुर्क सीमेंट फैक्टरी और यहां की प्रेसिजंश इंस्ट्रूमेन्ट्स फैक्टरी इसकी यहां पर बड़ी आलोचना की गयी कि इसमें कितना खर्च हुआ और कितना मुनाफा हुआ इसका कोई भी जिक्र बजट में नहीं है लेकिन उद्योग विभाग की तरफ से जो साहित्य दिया गया है उसे सदस्य गौर से देखेंगे तो मालूम होगा कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी को हमने पहली सितम्बर, ५४ से चालू किया है और प्रकट होता है कि जिस तरह से वहां उत्पादन हो रहा है उसको देखते हुये जल्दी से उसमें लाभ भी होने लगेगा। इसी प्रकार से प्रैसिजन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी की बात है। यह हमारे देश में अपने ढंग की अकेली ही ऐसी फैक्टरी है जिसका मारकेट निश्चित है और सन् १९५३, ५४, तथा ५५ में उसने जैसी प्रगति की है उससे हम आशा करते हैं कि इस वित्तीय वर्ष में यह फैक्टरी भी इस प्रदेश के लिये लाभ देने योग्य हो जायगी। इसलिये यह कहना कि लखनऊ की प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी बिलकुल बेकार है ठीक नहीं है। यह अपने ढंग का एक उद्योग है जिसके बारे में न हमको पहले से कोई अनुभव ही था और न हमारे पास उसके प्रबंध के लिये नये-नये साधन और टेकनिकल हैन्ड्स ही थे। लेकिन आज जिस तरीके से काम हो रहा है उसी तरीके से होता रहा तो जिस प्रकार से शुगर इंडस्ट्री हमारे प्रदेश की मुख्य इंडस्ट्री है उसी तरह से एक दिन यह भी यहां की मुख्य इंडस्ट्री हो जायगी। लेकिन जिस तरह से शुगर इंडस्ट्री को संरक्षण दिया गया था, क्योंकि बिना संरक्षण के वह हमारे प्रदेश का मुख्य उद्योग नहीं हो सकता था उसी तरह से मैं कहता हूं कि इसको भी संरक्षण देना होगा। इसी तरह से मिर्जापुर की चुर्क फैक्टरी के सम्बन्ध में यह कहा गया कि वहां के सीमेंट की कीमत बहुत ज्यादा है लेकिन मैं आप से निवेदन करूंगा कि हमें यह गौर करना चाहिये कि एक पिछड़े हुये क्षेत्र में जहां यातायात के साधन नहीं थे और न कच्चे माल को लाने ले जाने के साधन थे, न कोई रेलवे फैसिलिटी वहां थी, वहां पर हमने उस फैक्टरी को इसलिये नहीं लगाया कि उसमें हमारा कोई कार्मशियल दृष्टिकोण था बल्कि हमारा दृष्टिकोण यह भी था कि किसी तरह से उस पिछड़े हुये इलाके का विकास किया जाय। वहां से जो सीमेंट तैयार होता है, विशेषज्ञों की यह राय है कि वह मार्केट में सबसे अच्छा है, उस की अगर थोड़ी कीमत ज्यादा है तो उसके बोरे का जो वजन होता है वह बाजार में मिलने वाले दूसरे सीमेंटों की कीमत के हिसाब से भी वजन ज्यादा होने के कारण बिलकुल ठीक गिरता है और कन्ज्यूमर्स भी उस को पसन्द करते हैं। हमें यह भी आशा है कि जब उस फैक्टरी का उत्पादन दुगुना हो जायगा तो उसकी कीमत गिर जायगी और आगे चल कर वह हमारे प्रांत का एक लाभ देने वाला उद्योग बन जायगा।

माननीय मदनमोहन उपाध्याय जी को परेशानी हुयी जब उन्होंने देखा कि इसमें २५ लाख रुपया अदर पर्पेजेज के लिये दिखाया गया है। यह रुपया स्पेयर पार्ट्स के लिये मजदूरों को कम्पेनसेशन आदि दूसरे कामों के लिये और अन्य आवश्यकताओं के लिये रखा गया है जिन का अनुमान उस वक्त नहीं हो सकता था। हमें पूर्ण विश्वास है कि उद्योगों की उन्नति के लिये जो पहला कदम हमारे सूबे ने उठाया है वह उस का पहला प्रयास है और हम आशा करते हैं कि वह बहुत जल्द सफल होने जा रहा है।

जहां तक हैन्डलूम के उद्योग का सवाल है उसके सम्बन्ध में माननीय नारायणदत्त जी ने आपत्ति की कि उत्पादन गिर रहा है और केन्द्रीय सरकार की ओर से जो सहायता मिली थी उसका उपयोग नहीं हुआ है लेकिन अगर वह गौर से देखें तो जितना टार्गेट हैन्डलूम इंडस्ट्री का था न केवल वही पूरा किया है बल्कि हम उससे भी आगे बढ़े हैं। हमारा टार्गेट १ करोड़ २९ लाख रुपये के उत्पादन का था और हमारा उत्पादन उससे आगे बढ़ा है। हम हैन्डलूम की इंडस्ट्री को हर तरह का प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाना चाहते हैं। नए किस्म के औजार

[श्री बनारसीदास]

और नये किस्म के यंत्रों द्वारा जो उद्योग चलाये जाते हैं उन उद्योगों को केवल गरीबों के लिये ही नहीं छोड़ा जा सकता, अगर हमें उन्हें बाजार में खड़ा रखना है। उन औजारों में सुधार करने के लिये एक प्रयोगशाला भी कायम की गयी है उसका भी बड़ा महत्व है। इस हैन्डलूम उद्योग को बड़े उद्योग के कम्पटीशन से बचाया जाय, इस सम्बन्ध में भी बहुत कुछ किया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने ४० प्रतिशत कोटा हैन्डलूम के लिये मुकर्रर किया है और सेस लगाया गया है, जिसका १ आना ६ पाई रिटेल पर, होलसेल पर एक आना रिबेट दिया जाता है और रफ झाडन, चैक, बेड कवर और दूसरे कपड़ों को हैन्डलूम के लिये रिजर्व कर दिया गया है। इसके अलावा और भी सिफारिशें की गयी हैं जो अभी सरकार के विचाराधीन हैं। इससे आशा की जाती है कि हैन्डलूम का भविष्य बहुत उज्जवल है और काफी सफलता उसके विकास में होना सम्भव है। आपने देखा होगा कि यह उद्योग न केवल यहां का एक बड़ा उद्योग है बल्कि लाखों आदमी इसके सहारे अपनी रोजी कमाते हैं। इसके अलावा अब इस बात की भी कोशिश की जा रही है जिससे शिक्षित लोगों को भी रोजगार दिया जाय। इसके लिए टेक्नीकल एजूकेशन की विशेष रूप से व्यवस्था की गयी है, अलग से बोर्ड कायम किया जा रहा है और जगह जगह पालीटेक्नीक्स कायम किये जा रहे हैं। यह सही चीज है कि हमारे प्रदेश में किस जिले में किस जगह पर कौन सही इंडस्ट्री होनी चाहिये, इसकी वैज्ञानिक ढंग से कोई सर्वे नहीं की गयी थी। अब इस कमी को पूरा किया जा रहा है और तमाम प्रदेश में, प्रत्येक जिले में किस किस इंडस्ट्री को प्रोत्साहन दिया जा सकता है, कहां क्या काम किया जा सकता है इसके लिये पूरी तरह से कोशिश की जा रही है और अगले वर्ष में मैं समझता हूं कि इसमें हमें सफलता मिलेगी और उसके बाद प्रत्येक जिले में उद्योगों को मदद करने में, उनके कायम करने में हमें आसानी हो जायगी।

बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)-- अध्यक्ष महोदय, मैं जो अभी बजट माननीय मन्त्री जी ने पेश किया है उसका समर्थन करता हूं। अभी माननीय बहुगुणा जी ने प्रेस के सम्बन्ध में कुछ बातें बतलाई और मैं यह समझता हूं कि वह बातें बहुत कुछ सही हैं। उनकी ओर भी माननीय मन्त्री जी का ध्यान विशेषतया जाना चाहिये। अगर ऐसी गति उस प्रेस की इंडस्ट्री की है जो स्वयं सरकार द्वारा संचालित हैं, तो हम और दूसरे प्रेसों की तरफ कैसे ध्यान दे सकते हैं जब कि सरकार की नाक के नीचे खराबियां हैं।

अब कुछ बातें मैं माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं जिसको मैं प्रदेश के लिये आवश्यक समझता हूं। अभी माननीय बनारसीदास जी ने इस ओर हमारा ध्यान दिलाया है कि वह अपने प्रदेश का सर्वे कराना चाहते हैं, जिससे इस सर्वे के जरिये से यह मालूम हो सके कि किस-किस जिले में और किस-किस इलाके में कौन-कौन सी चीजें हो सकती हैं। यह बहुत ही आवश्यक चीज है। जब तक कि पूरे प्रदेश का सर्वे न हो तो हमें इस बात का पता लगना कठिन है कि हम कहां किस चीज की उन्नति कर सकते हैं। जिन सज्जनों ने अभी बहुत सी बातें यहां पर रखी हैं उनसे यह जरूर ज्ञात होता है कि हमारे प्रदेश में यदि हम उसको ठीक प्रकार से देखें और उसको उन्नत करना चाहें तो हमें प्रदेश के अन्दर ऐसी चीजें करीब-करीब सभी जगह प्राप्त हो सकती हैं जिनके द्वारा हम अपने प्रदेश को उन्नतिशील बना सकते हैं। छोटी से छोटी ले कर बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री तक चल सकती है। बड़ी-बड़ी खानें हमारे यहां मिल सकती है और छोटे-छोटे कपड़े लत्ते जैसी मामूली चीजें भी हमको इस प्रान्त में काफी मात्रा में मिल सकती हैं लेकिन जो सबसे बड़ी कमी दीख रही है वह यह है कि आज हमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट से इस बात का भी सहयोग लेना चाहिये कि जहां रेलों की आवश्यकता है वहां हमारे प्रान्त में रेलों की बहुत बड़ी कमी है। जब तक कि यहां रेलें पर्याप्त मात्रा में नहीं होंगी तब तक हमारे प्रदेश का औद्योगीकरण ठीक प्रकार से नहीं हो सकता। रेल की आवश्यकता हमारे राज्य में सामान लाने और ले जाने के लिये और जो बड़ी बड़ी मशीनें है उनको लाने के लिये आवश्यक होती है और सबसे बड़ी आवश्यकता रेलों की इसलिये भी है कि जो सामान हमारे यहां बन रहा है उस सामान को हम दूसरी जगह पहुंचा

सकें । मैं ऐसी बहुत सी चीजों को जानता हूं कि जहां चीजें बनाई जाती हैं और उन चीजों को हम कहीं भी इधर से उधर नहीं ले जाने पाते तो उसका नतीजा यह होता है कि उन चीजों की कीमत जितनी हमारे प्रोड्यूस करनेवाले को मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पाती । तो इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर अवश्य दिलाऊंगा कि वह रेलवे विभाग से खास तौर से बातचीत करें और यह प्रयत्न करें कि अपने प्रान्त का सर्वे करावें कि कहां-कहां किस-किस इलाके में रेलों की आवश्यकता है, जिससे हमारें प्रान्त के अन्दर अधिक मात्रा में रेलवे हो जाय और हमारे जो आने-जाने की असुविधायें हैं और सामान के पहुंचाये जाने की दिक्कत हैं वे दूर हो जायं।

दूसरी बात की ओर मुझे खास तौर से माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना है, वह मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय फूलसिंह जी ने भी इस बात की ओर संकेत किया है वह है ट्रेन्ड परसनल की कमी है । अगर हमारे यहां जानकार लोग न हों तो चाहे हमारे पास कच्चा माल भी हो और दूसरे साधन भी हों लेकिन समझदार और पढ़े लिखे लोग न हों तो इन्डस्ट्री नहीं चल सकती है । इसके लिये चूंकि ट्रेण्ड आदमियों की जरूरत है, मजदूर भी ट्रेण्ड होने चाहिए और इसी के साथ प्रबन्ध करने वाले भी ट्रेण्ड होने चाहिए । अभी माननीय फूलसिंह जी ने ध्यान दिलाया कि हमने कोआपरेटिव बेसिस पर एक शुगर फैक्टरी को चलाया लेकिन वह फेल हो गयी । तो मेरा कहना है कि हमारे प्रबन्धक भी ट्रेन्ड न हों तो वह इन्डस्ट्री कामयाब नहीं हो सकती है । तो सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि मजदूरों को भी ट्रेन्ड करें और जो प्रबन्ध करने वाले हैं उनको भी ट्रेन्ड करें, तब हम ठीक तरह से अपने यहां अच्छी इन्डस्ट्री को चला सकते हैं । अभी माननीय फूलसिंह जी ने शुगर इन्डस्ट्री की तरफ हमारा ध्यान दिलाया है । मैं कहूंगा कि हमारी जो शुगर की मिलें हैं वे इस तरह से हैं कि जहां पर गन्ना नहीं होता है या कम होता है, वहां पर मिलें बहुत हैं और जहां पर गन्ना बहुत होता है वहां पर मिलें नहीं हैं । हमारें पूर्वी जिलों में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर ५०, ६० दिन ही शुगर मिल चल सकती है और बाद में वह बन्द हो जाती हैं । इसलिये मैं कहूंगा कि कम से कम एक मिल १२० दिन तो चलनी चाहिए । जहां ऐसी मिलें हैं जो ज्यादा नहीं चल पाती हैं अगर उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है तो इसमें हमारे भाइयों को कोई खयाल नहीं करना चाहिए कि हमारे यहां से मिल जा रही है । अगर अच्छी जगह पर कोई शुगर मिल है तो उससे काफी फायदा होगा । अब सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत सी मिलों को खोलने की मंजूरी दे दी है तो मेरा कहना यह है कि उनको इस ढंग से लगाया जाय जिस से हमारे यहां यह इन्डस्ट्री, चूंकि बड़ी अच्छी इन्डस्ट्री है और हमारे यहां के लोगों को बहुत मुनाफा देती है, फले फूले और कामयाब हो । इन शब्दों के साथ मैं मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देता हूं ।

श्री रमनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)— माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की औद्योगिक नीति के बारे में मैं एक जुमला कहना चाहता हूं । वह यह है कि हमारी सरकार की औद्योगिक नीति इस प्रकार है कि जैसे कोई व्यक्ति रास्ता भूल गया हो, लेकिन इस यकीन के साथ चला जा रहा हो कि वह सही रास्ते पर है, तो ऐसी नीति हमारी सरकार की है । ऐसी ही बात बनारसी दास जी ने कही है कि ९ साल के बाद अब सरकार सर्वे, जांच पड़ताल करने जा रही है । तो ९ साल तक छोटे उद्योग धंधों पर जो रुपया बरबाद किया गया है उसका जिम्मेदार कौन है ? अध्यक्ष महोदय, असल में आज हमारे देश में महात्मा गांधी का बहुत नाम लिया जाता है और आज जब कि कांग्रेस की सरकार केन्द्र में और प्रदेश में है, वे महात्मा गांधी का नाम तो ले लेते हैं पर महात्मा गान्धी का रास्ता क्या है, कहां जाना है नहीं जानते रूस और अमेरिका जैसे देश हैं जहां कि इन्डस्ट्री सेन्ट्रलाइजेशन की तरफ जा रही है और ऐसे मुल्क बहुत कम हैं जो कि डिसेन्ट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं । हमारी सरकार महात्मा गांधी का नाम बहुत लेती है, लेकिन उनके कहने के अनुसार इन्डस्ट्री के विकेन्द्रीयकरण की तरफ की बात जो हम कहते हैं उसकी तरफ वह ध्यान ही नहीं देती है ।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

उसकी नीति भी उद्योगधंधों के केन्द्रीयकरण की है । मिसाल के तौर पर मैं बतलाना चाहता हूं कि करघा और कपड़े का सवाल आप लीजिये । इस पर ८, ९ साल से विचार किया जा रहा है । जो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि धोती का ४० फीसदी मिल मालिकों के लिये रिजर्व कर दिया है और शेष कर्घा बनावेंगे, अब आप ही बतलाइये कि इसकी जांच कैसे हो सकती है । अगर सरकार सही रास्ते पर चलना चाहती है तो उसके लिये एक ही तरीका है कि अगर उसमें हिम्मत है तो वह यह कर दे कि सूत का जो भी माल बन रहा है, चाहे तौलिया हो, चाहे गमछा हो और चाहे जो कुछ भी हो, उसमें इतने इतने नम्बर का सूत करघे में प्रयोग किया जायगा और जो महीन किस्म का सूत हो उसका कपड़ा मिल से बनेगा, तब तो यह समस्या हल हो सकती है । मिलों और करघों के लिये निश्चित नम्बर के सूत निर्धारित होना चाहिये । मैं तो यह कह सकता हूं कि सरकार उस जमाने को भूल गयी है जबकि हम विदेशी कपड़े का बायकाट करने की बात करते थे और ऐसे आत्म निर्भर गांवों की कल्पना करते थे जो कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों के आधार पर हों । यह बड़े ही दुख की बात है और बड़े शर्म की बात है कि आज हम अपने उन सिद्धांतों को भूल गये हैं । आज विदेशी कपड़ा भी हमारे देश में आ रहा है जिसको कि किसी जमाने में हम बुरा कहा करते थे, उसी को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं । अंग्रेजी में एक कहावत है कि यू कान्ट हैव दि केक ऐंड ईट टू । यह पालिसी इस समय सरकार की चल रही है "दुइ न होहि इक संग भुआलू, हंसब ठठाई फुलाइब गालू" । सरकार एक साथ ही करघा के रोजगार में लगे हुये और मिलमालिकों दोनों को एक साथ खुश नहीं कर सकती । यह असल में सरकार ने समस्या का एक नया सहल तरीका निकाला है । सरकारी रिपोर्ट में यह छपा है कि हमारे घरेलू धंधों में चरखा चांद हैं और अन्य उद्योग सितारे हैं । अब सरकार एक नये आसमान का निर्माण करने जा रही है ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक आप हिम्मत के साथ इस काम को नहीं करते हैं तब तक इसमें किसी प्रकार सुधार होना नामुमकिन है । सरकार की यह नीति है कि वह पूंजीपतियों को खुश रखने के लिये साधारण जनता की खुशी को नहीं देखती है । जब पूंजीपतियों के काम की बात आती है तो उनको प्रोत्साहन दिया जाता है लेकिन जो पब्लिक सेक्टर की बात है उसको बिलकुल भुला दिया गया है । अभी माननीय बलवन्त सिंह जी ने जो बात कही है वह सही है और मैं उसका समर्थन करता हूं । एक तरफ तो मिलों को भी प्रोत्साहन देती है और दूसरी तरफ करघा और चर्खा के कपड़ों को रिबेट दे कर प्रोत्साहन का नया तरीका निकालती है । यह भी कोई पालिसी है ? मिल मालिकों के ऊपर कोई पाबन्दी न लगा करके लाखों रुपया जनता के खजाने से रिबेट देना पड़े, मेरी समझ में असफलता का द्योतक है । जो सही रास्ता है उसको सरकार भूल गयी है । इसका एक ही तरीका है कि अगर हम में हिम्मत है तो पूंजीपतियों को इसके लिये मजबूर करें कि इस कुछ खास नम्बर के सूत के अलावा वह और कोई सूत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं । इसलिये मेरी सरकार से यह मांग है कि अगर वह उद्योग धंधों को ठीक तरह से चलाना चाहती है तो वह नयी प्रकार की मैनेजेरियल (managerial) सर्विस जारी करें ।

अध्यक्ष महोदय, कभी तो सरकार देश के पूंजीपतियों को प्रोत्साहन देती है और यह कहती है कि वह उद्योग धंधों का समाजीकरण नहीं करेगी । दूसरी तरफ समाजवादी नमूने के समाज की नीति की घोषणा करती है । इस कारण पूंजीपति भी दिल से देश के निर्माण में रुपया नहीं लगा पाते । यही कारण है कि हमारे देश के प्रधान मंत्री की देश की तथा अमरीकी पूंजी को खुश करने के बाद भी इस दिशा में सरकार असफल रही है ।

मैं यही जानना चाहता हूं कि देश में इस सरकार ने कितने नये लोगों को प्राइवेट सेक्टर में प्रोत्साहन दिया है ।

देश में थोड़े से ही पूंजीपति बिड़ला, टाटा, डालमियां, जैन, हर एक उद्योग-धंधे पर कब्जा किये हुये हैं । एक एक के पास बीसियों प्रकार के उद्योग-धंधों के कल-कारखानें हैं । देश की सारी पूंजी चन्द लोगों के हाथ में है ।

आज सरकार अनाज का भाव, स्वयं अनाज खरीदकर मिल कारखानों की पैदावार के मूल्य से संतुलन करने का विचित्र हल निकाल रही है। वास्तविक हल तो यह है कि कल कारखानों की पैदावार और अनाज के भाव के बढ़ने और घटने में एक निश्चित अनुपात का फारमूला होना चाहिये, दोनों के भाव एक अनुपात के साथ ही गिरना या बढ़ना चाहिये। सरकार को वह संतुलन कायम करना चाहिये, सरकार के पास जनता का रुपया है वह जैसे चाहती है खर्च करती है, लाखों रुपये का बजट बन जाता है और उसके साथ ही साथ में यह भी देखता हूं कि हमारे प्रांत का और केन्द्रीय सरकार का बजट हर साल बढ़ता चला जा रहा है। पांच साल तक इसको कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता का रुपया इस तरह से बरबाद न किया जाय। सरकार की जो नीति है उस को देखते हुये मैं यह समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी का नाम लेना बन्द कर दे, क्योंकि अब तो यह केवल एक वोट लेने का सहारा रह गया है। पुस्तकों में यह लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी ने क्या कहा है उसको तो सब लोग पढ़ ही लेते हैं, महात्मा गांधी ने सत्ता और उद्योग को विकेन्द्रीयकरण के आधार पर नये भारतवर्ष की ही कल्पना नहीं की थी, बल्कि सारी दुनियां की कल्पना की थी। मैं समझता हूं कि सरकार को पूंजीपतियों की थैलियों और गरीबों के वोट लेने की पालिसी को खत्म करना चाहिये।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज उद्योग का अनुदान पेश है। इस वर्ष जिस योग्यता के साथ माननीय मंत्री जी ने आंकड़ों को पेश किया है वह जरूर प्रोत्साहन देने वाले हैं। परन्तु मुझे कुछ बातें विशेष रूप से कहनी हैं, वह यह हैं कि जिन उद्योगों के संचालन के लिये आप ने डायरेक्टरेट बनाया है और विभागों की जिन योजनाओं को चलाया जा रहा है उन सारे उद्योगों को चलाने के लिये प्लानिंग के आधार पर निर्धारित होनी चाहिये। शासन की ओर से अभी तक यह निर्णय नहीं हो पाया है कि किन किन उद्योगों को प्राथमिकता देनी चाहिये। उनके लिये सबसे पहले जनता किन उद्योगों को अपनी तरफ से शुरू कर दे, उनके लिये किन छोटी-छोटी मशीनों की जरूरत है उनसे कितना उत्पादन होगा तथा ये मशीनें कहां से मिल सकेंगी और उनका मूल्य कितना होगा तथा इनके लिये कितनी विद्युत् शक्ति आवश्यक होगी अथवा शारीरिक कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिये प्लान बनाना पड़ेगा और इस तरफ काफी ध्यान देने की जरूरत भी है। हमको छोटे-छोटे उद्योग-धंधों के कार्य को काफी बढ़ाना चाहिये, इस कार्य को प्रोत्साहन देने के लिये अब बिजली भी बढ़ गयी है। इस समय शासन को जनता के घरेलू उद्योग-धंधों के लिये काफी बिजली देनी चाहिये। २० हार्स पावर की बिजली छोटे-छोटे कस्बों में देनी चाहिये और जिन ट्यूबवेल एरिया में बिजली के साधन मिल सकते हैं और छोटे-छोटे गांवों में उद्योग को प्रोत्साहन मिल सकता है।

प्रत्येक देश की माली हालत को सुधारने के लिये जिस प्रकार बड़े-बड़े उद्योगों द्वारा उत्पादन आवश्यक है, उसी प्रकार बढ़ती हुई जन संख्या के लिये बेरोजगारी दूर करने के लिये छोटे-छोटे तथा कुटीर उद्योगों का प्रसार भी आवश्यक है। भूमिहीन तथा छोटे किसानों को उद्योगों में लगा कर उनकी हालत को अच्छा बनाने के लिये वहां की बेरोजगारी को दूर करना चाहिये। आज अपने देश में मजदूरों के बीच जो बेरोजगारी है उसको भी दूर करना है, पढ़े लिखे लोगों के बीच में जो बेरोजगारी है उसको भी दूर करना है। खेती करने के बाद जिस समय किसान बेकार रहता है उस समय को काम में लगाना है। छोटे-छोटे उद्योग धंधों के जरिये इन लोगों को काम और रोटी मिल सकती है। हमको इसके लिये नई योजनायें बना कर कार्य को आरम्भ करना चाहिये। माननीय बनारसीदास जी ने यह बतलाया कि वे उद्योगों का सर्वे करा रहे हैं, इस तरह से जिलों की प्राचीनता और

[श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ]

विशेषता को समझ कर छोटे उद्योग धंधों को काफी फैला सकते हैं। मैं समझता हूं कि शासन का यह एक अच्छा कदम है। शासन को चाहिये कि वह प्रत्येक जिले की प्राचीन कला तथा उद्योग के प्रकारों की जांच करावे तथा अपने विभाग द्वारा भी इस संबंध में सुझाव लिये जायं। विधान सभा के सदस्यों द्वारा उनके क्षेत्रों में सर्वे करायें जायं। जनता तथा व्यापारी-वर्ग भी इस सर्वे में सहायता प्रदान करें और सर्वे करके रिपोर्ट दें और आप भी उसकी जांच करवायें और कोशिश इस बात की हो कि जहां-जहां ये इंडस्ट्रीज बढ़ सकें उन्हें बढ़ाने की कोशिश की जाय। एक बात और निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि बलवन्तसिंह जी ने भी कहा कि इसके संचालकों के लिये एक खास प्रकार की ट्रेनिंग का इन्तजाम होना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उद्योग विभाग संचालन के लिये एक स्पेशलाइज्ड कैडर की आवश्यकता है, इसके लिये एक अलग से ट्रेनिंग सेन्टर खोला जाना चाहिये। उद्योग धंधों का जो डायरेक्टोरेट हो तथा जो मुख्य संचालक बनाया जाने वाला व्यक्ति हो, उसके लिये एक विशेष कैडर तैयार किया जाय और उसकी खास ट्रेनिंग हो। जो आई० सी० एस० कैडर के लोग होते हैं उनकी इंडस्ट्रियल मनोवृत्ति नहीं होती और वे इसका व्यापारिक तरीके से संचालन नहीं कर सकते। जो हमारे रोजबरोज काम बढ़ते चले जा रहे हैं और पिछले वर्ष से जिस तरह की प्रगति होती चली जा रही है उसमें अच्छे इन्तजाम की आवश्यकता है। कृषि प्रधान देश के होने पर भी हमारे प्रदेश में उद्योगों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हम इन कामों को प्रोत्साहन दे सकते हैं।

मैं हाथरस के संबंध में कुछ जिक्र करना चाहता हूं। हाथरस एक ऐसा स्थान है जहां कपड़े की मिलें हैं और एक सूती मिल भी है। दो मिल्स बन्द पड़े हैं। करीब-करीब ढाई हजार मजदूर बेकार पड़े हुये हैं। वहां पर कई बार कोशिश हुई लेकिन सफलता नहीं मिली। प्रदेश में नई मिलों के खोलने की कोशिश हो रही है। मैं चाहता हूं कि जब मिल के मालिक सेल्सटैक्स तथा इनकम टैक्स नहीं दे पाते और कई-कई लाख कर्जा चढ़ाये हुये हैं, मैं समझता हूं कि उन मिलों को नीलाम करा कर गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ले और अगर अपने हाथ में गवर्नमेंट नहीं ले सकती है तो कोई कंट्रोलिंग कमेटी मुकर्रर करे या कोआपरेटिव बेसिस पर चलाने की कोशिश करे और आर्थिक सहायता दे कर उन्हें चलवाया जाय। वहां पर कटलरी की ट्यूशन क्लासेज की व्यवस्था की गई है और स्टूडेंट्स को वजीफे भी दिये जाते हैं लेकिन उनका संचालन ठीक से नहीं होता है। वास्तव में स्टूडेंट तो रहते ही नहीं। नौकर पेशा आदमियों को और मजदूरों को पकड़ लिया जाता है। मैं समझता हूं कि उसे स्पेशलाइज किया जाय और ठीक पैमाने पर चलाया जाय।

चाकू का काम वहां इतना अच्छा होता था कि वहां से विदेशों को सामान जाता था लेकिन अब वह नहीं बिक पाता। इसका कारण यह नहीं कि माल अच्छा नहीं होता बल्कि उसको प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है। मैं समझता हूं कि इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये। और कोशिश यह होनी चाहिये कि यह उद्योग अच्छी तरह से बढ़ सके।

श्री गजेन्द्रसिंह (जिला इटावा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जब सबसे पहले यह पढ़ा था कि रोम जल रहा था और न्यूरो बांसरी बजा रहा था तो मुझे ताज्जुब हुआ कि न्यूरो कैसे बांसरी बजा रहा था। अध्यक्ष महोदय, मुझे आज उपमंत्री फूलसिंह का भाषण सुनने के बाद यह पता चला कि न्यूरो जरूर बांसरी बजा रहा होगा और रोम जल रहा होगा क्योंकि माननीय मंत्री ने बतलाया कि अभी किसी जिले से एक साहब आये हैं और आध घंटा हुये उनको सूचना दी है कि गुड़ का जो बाजार में भाव गिरा हुआ था सरकार की ओर से उसकी बानगी ली गई तो ४ आने फी मन के हिसाब से गुड़ के दाम बढ़ गये। करीब महीने डेढ़ महीने से गुड़ के भाव गिर रहे हैं और ६,७ रुपये मन के हिसाब से गुड़ बिक रहा है लेकिन सरकार का उस ओर कोई ध्यान नहीं गया। अब किसी आफिसर ने जब बानगी ली है तो गुड़ के चार आने

मन के हिसाब से दाम बढ़ गये हैं। यह मार्च का महीना है। अप्रैल और मई तक ५२ जिलों में बानगी दी जायगी तो कहीं जाकर हर जिले में ४ आने मन गुड़ के दाम बढ़ेंगे। तब तक किसानों का गुड़ निकल जायगा और सरकार गुड़ का भाव उठाता ही रह जायगा। रोम तब तक जल जायगा और किसानों का गुड़ सस्ते दामों पर बिक चुका होगा।

दूसरी बात माननीय बनारसीदास जी ने यह कही कि गवर्नमेंट सीमेंट फैक्ट्री जो है उसका सीमेंट भाव से कुछ तेज है, लेकिन वजन थोड़ा ज्यादा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर जिन दामों में और जितने वजन का सीमेंट देता है उसी तरह से अगर सरकार करे तो उसमें उनको कोई परेशानी नहीं हो सकती। माननीय बनारसी दास जी ने हमारी सरकारी करण और समाजीकरण की परिभाषा की खिल्लियां उड़ाई लेकिन साथ ही साथ उन्होंने समाजीकरण की कोई भी परिभाषा देने की चेष्टा नहीं की। साथ ही साथ उन्हें इस बात का ताज्जुब हुआ कि समाजीकरण के साथ साथ चीजों के भाव किस तरह से सस्ते किये जा सकते हैं ताकि उपभोक्ताओं को सस्ती चीजें मिलें। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर गुस्ताखी माफ की जाय तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर कोई वेश्या किसी सती स्त्री को सतीत्व की शिक्षा देना शुरू करती है तो उसी तरह से माननीय बनारसी दास जो समाजीकरण की शिक्षा हमें दे रहे हैं। आज जुम्मा जुम्मा ३,४ दिन नहीं होने पाये कि उन्होंने अपने समाज को सोशलिस्ट पैटर्न पर ढालने की बात की है। ३५ साल से बराबर हम कांग्रेस के अन्दर उनको सोशलिस्ट पार्टी और पी०एस०पी० के नाम से सोशलिज्म की शिक्षा दे रहे हैं, उसकी परिभाषा बता रहे हैं और आज बनारसी दास जी हमें उसी सोशलिज्म की परिभाषा बताने आये हैं, और वह कहते हैं कि किसी तरह समाजीकरण में चीजों को सस्ता करने की बात हम नहीं कर सकते। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि समाजवाद पर बोलने के लिये पहले वह जा कर ट्रेनिंग ले आयें, तब यहां आकर समाजवाद पर बोला करें।

अध्यक्ष--आप बजट पर बोलिये।

श्री गजेन्द्रसिंह--मैं यह कहना चाहता हूं कि समाजीकरण के बाद भी चीजें सस्ती की जा सकती हैं ताकि उपभोक्ताओं को चीजें सस्ती मिलें। वह इस तरह से कि आज जो पूंजीवाद है उसमें मिल मालिक मुनाफा करने के लिये उत्पादन करता है। वह मजदूरों को कम मजदूरी देता है और चीजों के भाव ज्यादा रखता है ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके। लेकिन जब किसी भी कंपनी का या कारखाने का समाजीकरण हो जाता है तो वह बात नहीं रहती है। जो भी मुनाफा होता है वह काम करने वालों में बंट जाता है और उसके साथ ही साथ चीजों के भाव भी सस्ते किये जा सकते हैं।

इसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ ध्यान यू० पी० हैंडीक्रैफ्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं। वहां पर एम्प्लाईज को दूकान की गजेटेड हालीडे नहीं मिलती है। सेल्स डिपो के इम्प्लाईज को किसी भी तरह का ए सट्रा एलाउन्स नहीं मिलता है। एक जी० ओ० है जिसमें गवर्नमेंट ने निर्धारित सीमा के ऊपर बिक्री होने पर २ परसेंट का कमीशन वहां के कर्मचारियों को देने को कहा था। वह सीमा डी० आई० कानपुर निर्धारित करने वाले थे, लेकिन दो तीन साल हो गये आज तक कोई कमीशन वहां के कर्मचारियों को नहीं मिला है और वह कोटा जो डी० आई० कानपुर को साल के शुरू में निर्धारित करना चाहिये था वह बाद में तय करते हैं। इसके अलावा तीन साल से ज्यादा किसी भी गजटेड आफिसर को एक जगह नहीं रहना चाहिये लेकिन स्पेशल मैनेजर, यू० पी० हैंडीक्रैफ्ट को तीन साल से ज्यादा उसी जगह पर हो रहा है। इसके अतिरिक्त यह शाप्स लास में रन कर रही हैं। हैंडीक्रैफ्ट की चीजें बाजार की चीजों से ज्यादा मंहगी होती हैं क्योंकि चीजें खरीदते समय वह टेंडर से नहीं खरीदी जातीं बल्कि वह आफिसर्स की विशेष कृपा से खरीदी जाती

[श्री गजेन्द्रसिंह]

हैं। वहां के अ फिसर्स का टी० ए० बहुत ज्यादा बनता है और बेकार बहुत सा खर्च होता है। एकोनामी करने के लिये कम तनख्वाह वाले कर्मचारियों को निकाल दिया गया है, लेकिन बड़े अफसरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ! इसके अलावा बहुत सा रुपया नुमायशों में खर्च किया जा रहा है। मद्रास में अभी एक नुमाइश हुई कि जिसमें करीब २२ हजार रुपया खर्च हुआ है। यह वहां का हाल है, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जरा उस तरफ खुद ध्यान दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, जिस समय माननीय मित्र बनारसीदास जी और माननीय फूलसिंह जी सरकार की ओर से प्रत्युत्तर देने की कृपा कर रहे थे तो ऐसा लगा कि जैसे सरकार स्वयं अपने जाल में फंसी हो, और वह उत्तर देना चाहते थे तो जैसे एक व्यक्ति लड़खड़ाता हो वैसी ही चेष्टा उनकी हो रही थी। माननीय फूलसिंह को तो यह कहने पर विवश होना पड़ा कि यह बहस केन्द्रीय सरकार बनाम प्रांतीय सरकार हो गई है। मैं नहीं जानता कि इस केन्द्र और प्रांत के झगड़े में बेचारा गरीब हमारा गन्ने का काश्तकार, हमारे चीनी का उद्योग धंधा कहां तक लपेट में आ रहा है? मैं तो श्रीमन्, आज इतना ही कहूंगा कि कम से कम इस केन्द्र के और प्रांत के अधिकारियों के झगड़े से हमारे गुड़ और चीनी के उद्योग का आज विनाश होता हो, किसानों मजदूरों को राहत न पहुंचती हो, तो इस सरकार को कोई भी ऐसा प्रयत्न नहीं करना चाहिये।

श्री बनारसी दास—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने जो अपना कटमोशन प्रस्तुत किया है वह तो केवल प्रेस के बारे में है। इसका संबंध उद्योग से है, तो यह जवाब किसका दे रहे हैं? केवल अपने कटमोशन के बारे में दे।

श्री अध्यक्ष—आप अपने कटमोशन पर ही बोलें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैंने जब रूलिंग मांगी थी उस समय आप नहीं थे कि मैं सभी चीजों पर बोलूंगा। मैं केवल प्रेस पर नहीं बोला था।

श्री अध्यक्ष—सब विषयों पर आप पहिले बोलें हों जबकि जनरल डिस्कशन था, और जनरल डिस्कशन में तो हरएक आदमी बोल सकता है हर विषय पर। लेकिन जो कटमोशन के लिये जवाब देने वाला है उसे तो उस वक्त अपने विषय पर ही रेस्ट्रिक्ट करना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—आपकी आज्ञा मानने में मुझे कोई एतराज नहीं है। श्रीमन्, एक स्थान पर माननीय बनारसी दास जी ने मेरा नाम ले करके यह कहा कि माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने जो आंकड़े दिये हैन्डलूम प्रोडक्शन के बारे में, वे कुछ गलत हैं। श्रीमन्, मैं उनको दुबारा याद दिलाऊं कि मैंने हैन्डलूम प्रोडक्शन के आंकड़े नहीं दिये बल्कि मैंने ४,५ जो प्रोडक्शन सेंटर्स हैं उनके आंकड़े दिये जो पूर्वी जिलों में या अन्य स्थानों में सरकार स्वयं चलाती है। अगर माननीय मंत्री जी स्वयं इस साल की रिपोर्ट देखने की कृपा करेंगे तो देखेंगे कि मेरे द्वारा दिये हुये आंकड़े सत्य हैं और जो उन्होंने आंकड़े दिये सारे प्रोडक्शन सेंटर्स के उनसे तो सरकार का दावा अधिक असत्य सिद्ध होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो मंत्री महोदय ने बातें कहीं वे सरकार की रिपोर्ट से स्वयं असत्य साबित होती हैं। उन्होंने मेरी बात का उत्तर देते हुये बतलाया कि सरकार ने रिबेट दे दिया है, कुछ रिजरवेशन भी कर रखा है कपड़े का। लेकिन मैं मंत्री जी का ध्यान पिछले.....।

श्री अध्यक्ष—आप फिर उस अन्य विषय पर उसमें चले गये। आपने पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे दिया। आप अपने कटमोशन के जवाब में कुछ कहना चाहें तो कहिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी—अब मैं श्रीमन्, यहां पर इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं आपसे बंधना स्वीकार करना चाहता हूं। माननीय बनारसी दास जी तो असमर्थ रहे।

श्रीमन्, मैं माननीय बहुगुणा जी का आभारी हूं कि जो साढ़े तीन मिनट प्रेस के संबंध में लिये थे उसको पूरा करके प्रेस के संबंध में निवेदन किया। मेरा कार्य भार हल्का कर दिया। शायद मैं सब कुछ कह देता तो उनके कहने के लिये बाकी न रहता। उन्होंने यह समझा कि आज सरकार को चक्षुदान की आवश्यकता है, इसीलिये गवर्नमेंट प्रेस के जो मजदूरों की हालत है उसका उन्होंने स्पष्ट बयान किया और उनकी आत्मा बोल कर सदन के सामने खड़ी हो गई। मैं तो गुप्ता जी से कहूंगा कि वे केवल इतना ही ध्यान रखें कि यह बहुगुणा जी ने इसलिये नहीं कहा, जैसा वह गलती से कह गये कि वे आई० एन० टी० यू० सी० के अधिकार में हैं मजदूर, इसीलिये मजदूरों की हालत ऐसी है। बल्कि चाहे आई० एन० टी० यू० सी० के हाथ में हों या न हों आमतौर से मजदूरों की हालत बिल्कुल ठीक ऐसी है जैसी बहुगुणा जी ने बयान की, और मैं चाहूंगा कि माननीय गुप्ता जी केवल अपने डिपार्टमेंट के लिये जिम्मेदार नहीं हैं। मैं तो उन्हें केबिनेट के लिये भी जिम्मेदार समझता हूं, सारे क्षेत्रों के मजदूरों के बारे में अपना रवैया बदलेंगे। मैंने अखबार में पढ़ा था कि गवर्नमेंट एक माडल एम्प्लायर का काम करेगी सीमेंट फैक्ट्री चुर्क के सिलसिले में। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी अपनी घोषणा को सदन में दोहरायें और स्पष्ट करें कि इसका क्या मतलब है? और मैं अवश्य आपकी आज्ञा चाहूंगा कि माननीय सूर्यप्रसाद अवस्थी जी ने कानपुर के अभिनवीकरण, रेशनलाइजेशन की तरफ और आई० एन० टी० यू० सी० या मजदूर सभा के मजदूर हैं सब का एक प्रबल सहयोग इस रेशनलाइजेशन वाले मामले में दिखलाया है, उसके संबंध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और आज आपको स्वयं सूचना मिली होगी कि २,७०० मजदूर कानपुर के प्ले-आफ की स्कीम के शिकार हैं। तो मुझे आशा है कि सदन में इतने क्षोभ को देखते हुये माननीय मंत्री को हमारे कटौती के प्रस्ताव को तो स्वीकार कर ही लेना चाहिये, क्योंकि माननीय बहुगुणा जी की आत्मा इस संबंध में बोल गयी है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह मालूम था कि हमारे माननीय मंत्री जी ने पहले ही कह दिया कि दो ही महीने उनको इस विभाग में आये हुये हैं और भी कितने ही विभाग हैं। लेकिन शायद इधर माननीय बनारसीदास जी ने कम ध्यान दिया। वैसे तो वह बहुत दिनों से इसको पढ़ रहे हैं और उन्होंने इस इंडस्ट्रीज विभाग पर अध्ययन करने में काफी जोर दे रखा है। उन्होंने एक बात कही, जो मेरी समझ में नहीं आ सकी। शायद उन्होंने काटेज इंडस्ट्रीज के बारे में ज्यादा पढ़ा हो, उनका हैवी इंडस्ट्रीज के बारे में ज्ञान कम होगा। उन्होंने नहीं कहा कि मिर्जापुर सीमेंट फैक्ट्री में जो १९ लाख रुपया रखा गया वह किस अदर परपजेज के लिये है। मैं उनका ध्यान फिर ले जाना चाहता हूं पेज २१५ में ५ वीं नम्बर की कंटिंजेंसी के हैड के नीचे, जहां लिखा है—प्रोडक्शन में ४१,१७,००० मैनेजमेंट कमीशन में ३,१८,०००। पैकिंग में ३१ लाख और अदर परपजेज में १७,१९,०००। अगर "अदर परपजेज" की बजाय कंटिंजेंसी कर देते, तब तो मैं समझ सकता था। क्योंकि फिर आगे कंटिंजेंसी आ जाती है। अध्यक्ष महोदय, पेमेंट आफ वेजेज में मिस्लेनियस में। उसमें आफिस कांटिंजेंसीज में ४०,००० और अदर नानरेकरिंग कांटिंजेंसीज में ४८,५०० रुपया रखा गया है। तो यह सारी कांटिंजेंसी भी इसमें दे दी गयी, लेकिन फार अदर परपजेज के संबंध में मेरी राय बनारसीदास जी से यह है कि अगर और डिपार्डमेंट वालों को भी वह यही सलाह दे दें तो अच्छा है कि सब लिख दिया करें "फार अदर परपजेज"। क्योंकि वह तो कांटिंजेंसी से भी ज्यादा साफ है। उसमें फिर कोई एतराज कर ही नहीं सकता। तो मैं नहीं समझता कि मैंने जो एतराज उठाया था उसको वह समझ पा रहे हैं?

एक दो और चीजें हैं, अध्यक्ष महोदय, जिनकी तरफ मैंने ध्यान दिलाया था। डेवलपमेंट आफ ड्रग इंडस्ट्रीज के सिलसिले में इंडो-टिबेटन बोर्डर का जिक्र किया था कि मल्टीपरपज फार्म

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

हों। उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट ऑफ ड्रग, इस काम को रानीखेत ड्रग इन्डस्ट्रीज वाले करेंगे। क्या रानीखेत में यह काम होगा? यदि ऐसा है तो ज्यादा अच्छा हो कि वह २,६८,००० रु० गवर्नमेंट आफ इंडिया को वापस कर दिया जाय, पानी की तरह वह रुपया फेंक दिया जावेगा। हर्ब्स के प्लांटेशन का काम क्या ड्रग इंस्टीट्यूट वाले करेंगे? ज्यादा अच्छा हो अगर इस काम को हार्टिकल्चरल डिपार्टमेंट जो फ्रूट यूटिलाइजेशन का काम कर रहे हैं, जिन्होंने फ्रूट यूटिलाइजेशन का काम किया वह इस काम को कर सकते। या उसे फारेस्ट डिपार्टमेंट को सौंप दीजिये वह कर सकते हैं। लेकिन ड्रग इंडस्ट्रीज वाले जो कि पी० सी० एफ० के मातहत हैं, वह नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष—आपने जो कटमोशन दिया था उसी संबंध में कहें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—मैंने उद्योग पर दिया था, उसी पर बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—आपने शायद अनुदान ४५ पर दिया था। उसमें प्रिसिशन इंस्ट्रुमेंट फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सीमेंट फैक्ट्री, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आफ दि प्रांविश्यल बैंक, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन, यही चीजें हैं। तो इस सिलसिले में जो कुछ सदस्य बोले हों उसी पर जवाब दीजिये।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—सीमेंट फैक्ट्री पर तो काफी बोल चुका हूं। एक प्रोफार्मा ऐकाउन्ट की बात कही गयी कि मिर्जापुर सीमेंट फैक्ट्री का नहीं आया है। लेकिन उसका एकाउन्ट कैसे मिल सकता है? एक साल उसको शुरू हुये हुआ है। इस साल अकाउन्ट आयेंगे। जब आयेगा तो माननीय मंत्री जी उस पर गौर करेंगे। खैर जब वह आयेगा तब उस पर बात चीत होगी। सीमेंट के बारे में जो कुछ कहा गया अध्यक्ष महोदय, उसमें माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि वह सीमेंट बहुत अच्छा है। अब पता नहीं कैसा अच्छा सीमेंट है? सीमेंट तो सब एक सा ही होता है और उनका सीमेंट यहां किसी कोठी में लगा भी नहीं है। अब जो एक्सपर्ट्स कह दिया करते हैं वही ठीक होता है और जैसा कि माननीय बलवन्त सिंह जी को भी शिकायत है और मेरा विश्वास है कि प्रिसीजन फैक्टरी के विषय में उन्होंने ठीक कहा है। अध्यक्ष महोदय, इसका किस्सा मैंने पारसाल सुना दिया था वहां के लिये कहा जाता है कि वाटर मीटर अच्छे चल रहे हैं। म्युनिसिपैलिटी का सर्टीफिकेट भी ले आते हैं क्योंकि यह उनके ही हैं। लेकिन इनके मीटर्स ऐसे हैं कि सब जगह अनफिट करार दिये गये हैं और इनकी कास्ट आफ प्रोडक्शन इतनी ज्यादा है कि जितनी इनकी सेलिंग प्राइस भी नहीं है। इतने यह कीमती पड़ते हैं और इनको कम कीमत में बेंचना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं है, सरकार के पास रुपया है फूकने के लिये तो फूंके। कहना तो यह है कि हमारे यहां इसी तरह से काम हो रहा है जैसा कि स्विटजरलैंड में हो रहा है!

मेरा माननीय मंत्री जी के साथ सहयोग है। हमारा उत्तर प्रदेश सब से बड़ा प्रदेश है और हमारे यहां फैक्टरियां भी बड़ी-बड़ी हैं। लेकिन अगर सचमुच में आपको अपने प्रदेश का नाम करना है और माननीय मंत्री जी जिन्होंने तो बिजनेस कम्यूनिटी में जन्म लिया है, हम लोग उन्हें क्या समझा सकते हैं क्योंकि हम लोग तो बहुत कम जानते हैं। लेकिन फिर भी आज जैसा कि उन्होंने पहले कहा कि प्रायवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की बात की जाती है। हम लोग नेशनेलाइजेशन वाले हैं और चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर ज्यादा से ज्यादा चमके। लेकिन ऐसा काम किया जाय जैसा कि हैंडलूम में हो रहा है या बरेली टरपेंटाइन फैक्टरी में हो रहा है। अगर आपके पब्लिक सैक्टर का यही नमूना है तब तो लोग कहेंगे कि इनको तो पब्लिक सैक्टर के बजाय प्रायवेट सैक्टर में ही जाना चाहिये। लेकिन हम खिलाफ हैं और हम समझते हैं कि हमारे माननीय मंत्री जी की भी जिम्मेदारी है और सरकारी अफसरों की भी

जिम्मेदारी है । और अगर उनको फेसीलिटीज न भी मिलें तब भी प्राइवेट लोगों से उन्हें अच्छा काम करके दिखाना चाहिये और वह इनको अच्छी तरह से पनपा सकते हैं। अगर यह हमारे माननीय मंत्री जी या उनके अधिकारी करके दिखा सकें तब तो हमें पूर्ण आशा है कि उत्तर प्रदेश अपनी जगह से तरक्की करता जायगा । आज हमारे आई० सी० एस० व आई० ए० एस० वाले समझते हैं कि सारी बातें वे ही जानते हैं । बिजनेस की बात तो बिजनेस वाला ज्यादा जानता है, उनकी राय भी हम लोगों को लेनी चाहिये ।

†श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, मैं अपने समाजवादी विशेषज्ञ मित्रों का बड़ा ही अनुग्रहीत हूं जिन्होंने इन तीन अनुदानों के विषय में अपने विचार प्रकट किये, और साथ में उन्होंने इस नीति का मखौल भी उड़ाने की चेष्टा की जो नीति इस प्रदेश की सरकार द्वारा उद्योग धंधों के विषय में सम्पादित की जा रही है ।

हमें इस बात का भी उलाहना दिया गया कि हम समाजवादी प्रश्नों से परिचित नहीं हैं और यदि हममें से कोई साथी किसी समाजवाद के प्रश्न की व्याख्या का प्रश्न उनसे करता है तो उसे इस प्रकार का प्रश्न करने का अधिकार नहीं है क्योंकि वह समाजवाद के विशेषज्ञ हैं और उन्हें ही समाजवाद के प्रश्नों के उत्तर देने का अधिकार है। उन्होंने इस बात का भी उलाहना दिया कि जिस समय हम समाजवाद की चर्चा करते हैं तो समाजवाद उनकी डिक्शनरी में कोई जगह नहीं रखता है । तो मैं बड़ी नम्रता से और निहायत अदब के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि जहां तक हमारे समाजवाद का और उसकी व्याख्या का सम्बन्ध है तो उस समाजवाद में और उसकी व्याख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हां, शायद हमारे विशेषज्ञ मित्रों के समाजवाद व्यवस्था में समय-समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। मैं नहीं जानता कि हमारे साथी किस समाजवाद की रचना हमारे प्रदेश में करना चाहते हैं? क्या उस समाजवाद की रचना करना चाहते हैं जिसका कभी-कभी उनके नेता और मेरे सम्मानित मित्र आचार्य जी वर्णन करते हैं? या वह इस प्रकार के सुलभ समाजवाद की व्यवस्था हमारे बीच में लाना चाहते हैं जिसका वर्णन उनके नेता और मेरे मित्र माननीय जयप्रकाश नारायण जी करते हैं? तो जहां तक समाजवाद की व्याख्या का सम्बन्ध है और उसके ऊपर अमल करने का प्रश्न है, उसका निर्णय पहले हमारे इन समाजवाद के विशेषज्ञ साथियों को अपने बीच में ही तय कर लेना चाहिये। हमसे यदि वह समाजवाद की व्याख्या कराना चाहते हैं तो हमारे समाजवाद की व्याख्या का प्रश्न ही नहीं होना चाहिये। इस प्रश्न का यह प्रमाण है कि चन्द हमारे समाजवादी साथी, जो उस समय उनके साथ थे वह आज अपनी उसी जगह पर हैं जहां से जिस समाजवाद की व्याख्या का वर्णन किया जाता है, और जिसकी व्याख्या हमारे सभी साथी करते हैं, और जिस समाजवाद की विचारधारा का प्रतिपादन इस देश के महान् नेता पं० जवाहरलाल करते हैं। इसलिये मैं उनसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी समाजवादी व्यवस्था और हमारे समाजवादी विचार किसी चीज से कहीं पर बन्धे हुये नहीं हैं। वह ऐसे हैं जिनमें समय के अनुसार परिवर्तन होता है और समाज की व्यवस्था को देखते हुये और समाज के हित को देखते हुये और जन कल्याण को देखते हुये उनके परिवर्तन की हम चेष्टा करते हैं। इसलिये कोई भी योजना जो हम इस सदन के सामने उपस्थित करते हैं

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

तो उस योजना को इसी दृष्टिकोण को सामने रख कर हम पेश करने की चेष्टा करते हैं। यदि हमने इस प्रदेश में घरेलू उद्योग धन्धों तथा छोटे उद्योग धन्धों को पनपाने की नीति को अपनाया है तो उन तमाम नीतियों के विरुद्ध, जिनके तहत में बड़े उद्योग धन्धों की चर्चा की जाती है। तो आज वास्तविकता को सामने रखते हुये, इस देश की जनसंख्या को सामने रखते हुये, और देश के साधनों को सामने रखते हुये हमने अपनी उस नीति में जो कि समाजवाद की तरह से समय-समय पर विकसित की जाती है, परिवर्तन किया है। और आज हम उसी नीति को अपनाते हुये उस नीति को कार्य-रूप में परिणत करना चाहते हैं। यदि आज घरेलू उद्योग धंधों को अपनाने और उसके प्रश्न पर हम नयी व्याख्या कोई रखते हैं तो उसे ऐसा कहा जाता है कि नयी व्याख्या नहीं रखते हैं। हमने महात्मा गांधी के नेतृत्व में उस समय जब कि हमारे यह साथी कांग्रेस के अन्दर थे, तब भी घरेलू उद्योग धंधों के प्रश्न पर विचार किया था और उनको उठाने के लिये मेरे दोस्तों ने उस नीति को अपनाया था, और आज भी जब वास्तविकता और वस्तुस्थिति को सामने रखते हुये सब के फायदे की बात सोचते हैं तो उसी नीति को अपनाने की चेष्टा करते हैं। इसलिये घरेलू उद्योग धन्धों के सम्बन्ध में कोई मजाक उड़ाना और हमारी बड़े उद्योग धन्धों की नीति के सम्बन्ध में मजाक उड़ाना कोई मायने नहीं रखता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक इस सरकार का सम्बन्ध है, सरकार अलावा बड़े-बड़े उद्योग धंधों के जहां पर वह विकसित किये जा सकते हैं, जहां पर जन साधारण का हित उनसे सिद्ध किया जा सकता है वहां अधिक संख्या में, अधिक मात्रा में घरेलू उद्योग धन्धे पनपाना चाहती है और उनको चला कर देश के उस वातावरण में तब्दीली लाना चाहती है जो बेरोजगारी का वातावरण आज चारों तरफ घूमता फिरता दिखायी पड़ता है। हमारा यह विश्वास है और हमारी यह धारणा है कि अगर घरेलू उद्योग धन्धों को पनपाने और उठाने के सिलसिले में जो भी प्रयत्न कर सकें वह करना चाहिये। हो सकता है कि ऐसा प्रयत्न करने के सम्बन्ध में, जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा था कि हमसे कुछ गलती हो लेकिन मैं उन गलतियों से शर्मिन्दा नहीं होता हूं। वह व्यक्ति जो वास्तविकता का मुकाबला करता है वह नीति निर्धारित करने की चेष्टा करता है, भले ही वह गलती करता हो। इसलिये मुझे उन परेशानियों का, संघर्ष का और समय-समय पर वास्तविकता का सामना करना पड़ता है। मैं उससे घबड़ाता नहीं हूं। इसलिये उन्होंने हमसे हमारी नीति निर्धारित करने के सम्बन्ध में जो प्रश्न किया है उसके उत्तर में यह कहना चाहता हूं कि आज वास्तविकता का तक़ाज़ा है। अगर यहां की जनसंख्या को, इस प्रदेश की जनसंख्या को ही नहीं बल्कि सारे देश की जनसंख्या को रोजगार में लगाना है तो छोटे-छोटे उद्योग धंधों को अपनाना होगा। बड़े-बड़े उद्योग धन्धों के द्वारा हम उनको रोजगार में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा देश इतना बिखरा हुआ है, उसकी आबादी इतनी लम्बी चौड़ी है कि हम उन नीतियों का निर्धारण अपने यहां नहीं कर सकते जो कि छोटे-छोटे जन संख्या वाले देशों में अपनाई गई हैं। हमारा समाजवाद एक परिवर्तित वस्तु स्थिति पर आधारित है वह कोई स्टेटिक वस्तु नहीं है। और मैं इसी को समाजवाद मानता हूं क्योंकि समाजवादी व्यक्ति वस्तु स्थिति का मुकाबला करता हुआ, वस्तु स्थिति का सामना करता हुआ उसके अनुसार ही परिवर्तन करने के लिये तैयार रहता है तथा उस पर अमल करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। हमने जिस नियोजन को अपनाया है वह डेमोक्रेटिक प्लानिंग है और उस प्लानिंग के जरिये से हम नीचे से ऊंचा उठना चाहते हैं। हमारी ऐसी योजना है कि हमारे जो उद्योग धन्धे हैं, जो आज कल बिखरे हुए हैं, या जो विलीन हो गये हैं, जिनकी जानकारी हमारे गांव के रहने वालों को है, पंचायत के सदस्यों को है, प्लानिंग कमेटी को है, उनके द्वारा हम उस जानकारी को प्राप्त करके उनकी उन्नति करना चाहते हैं और

उनको उचित स्थान प्राप्त कराना चाहते हैं। जब हमारी यह डेमोक्रेटिक प्लानिंग है तो अवश्य ही किसी न किसी अनुपात में उसमें स्थिति के अनुसार परिवर्तन होता रहेगा।

हमें उलाहना दिया गया कि ९ बरस तक हम उसी नीति को अपनाये रहें और अब वोट प्राप्त करने के लिये यह निर्णय कर दिया कि समाजवाद की रचना करेंगे। मैं अपने माननीय मित्र विशेषज्ञों से कहता हूं कि उनका दृष्टिकोण बिल्कुल स्टेटिक है, वह वास्तविकता से बहुत दूर है। आपकी बातें हवाई बातें हैं, वह किसी को कहीं भी ले जाने में समर्थ नहीं है। मैं आपके उस दृष्टिकोण का विरोध करता हूं। आप वास्तविकता की ओर आने की चेष्टा कीजिये और अपनी नीतियों को दुहराने की चेष्टा कीजिये, जिस प्रकार स्थिति के अनुसार हम अपनी नीतियों को परिवर्तित कर रहे हैं।

हमारे विभागों की भी आलोचना कई साथियों ने की। मैंने यह प्रारंभ में कह दिया था कि अभी विभाग की सब बातों की पूरे तौर से मेरी जानकारी नहीं है, सब बातों का अभी मैं अध्ययन नहीं कर पाया हूं। जो बातें उन्होंने सदन के सामने उपस्थित कीं हैं, अगर उसमें कोई तथ्य होगा, तो उनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं पहला व्यक्ति हूंगा जो उन बातों का निराकरण करूंगा।

इस सदन के सामने गजेन्द्रसिंह जी ने चुर्क फैक्ट्री के सम्बन्ध में चर्चा की। कदाचित ऐसा व्यक्ति जो समाजवाद की नीति का पोषक हो और बड़े-बड़े उद्योग धन्धों का समाजीकरण करके फलते-फूलते देखना चाहता हो, उन्होंने जिस दृष्किोण से चुर्क फैक्ट्री की चर्चा की, उसके लिये मुझे अत्यन्त दुख है। अगर उसका उन्होंने स्वयं दिग्दर्शन किया होता तो शायद उनको संतोष हुआ होता। फिर चुर्क फैक्ट्री को चालू हुए भी कितने दिन हुए हैं? और वहां पर अधिकांश संख्या उन मजदूरों की है जो चुर्क फैक्ट्री के इरेक्शन के वक्त रखे गये थे। अभी यह भी पता ठीक से नहीं है कि इरेक्शन के वक्त जितने मजदूर रखे गये थे उनमें से कितने रखे जायंगे और कितने नहीं रक्खे जायंगे? जब फैक्ट्री पूरी तरह से चलने लगेगी उस समय ही इसके बारे में ठीक निर्णय किया जा सकेगा। यह सच है कि हम उन लोगों को सभी सुभीते जो दिये जाने चाहिये नहीं दे पाये हैं, लेकिन फैक्ट्री के जितने भी उसूल हैं, कायदे हैं वे वहां पर लागू हैं। अभी सभी सुभीते हो ही कैसे सकते थे? अभी तो वहां पर बहुत सी सुभीते की चीजों का हम निर्माण भी नहीं कर पाये हैं! हम ऐसी आशा करते हैं कि थोड़े समय में जब सारी चीजें बन जायंगीं तो उनको सभी सुभीते मिल जायंगे। डाक्टर अभी मौजूद है लेकिन अस्पताल थोड़े दिनों में बन जायगा, मेटरनिटी होम भी बनेंगे, उद्यान भी लगाया जायगा, बच्चों के खेलने कूदने का भी प्रबन्ध किया जायगा, जिनके लिये आदेश दे दिये गये हैं।

तब मैं इस बात का अवश्य दावा करता हूं कि जहां तक चुर्क फैक्ट्री के मजदूरों का संबंध है वे कदाचित् उन फैक्टरियों के मुकाबिले में कहीं अधिक सुविधायें प्राप्त करेंगे कि जो आज दूसरी जगह के पा रहे हैं। इसलिये उनका मखौल उड़ा देना मैं समझता हूं कि समाजवादी व्यक्ति के नाते, और उस व्यक्ति के नाते जो उस व्यवस्था का पोषक हो कुछ ठीक नहीं प्रतीत होता है। आखिर क्या आप इसको भूल जाते हैं कि हमारे यही सरकारी कर्मचारी गण, जिनको आप आई० सी० एस० या आई० ए० एस० के नाम से पुकारते हैं, अपने को अपनी इच्छा से ही परिवर्तित कर रहे हैं और परिवर्तित करके इन मजदूरों की सुविधा तथा सुख के लिये सारी बातें नहीं कर रहे हैं जिन सुविधाओं की बातों को हम समाजवादी

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

व्यवस्था के तहत में रखना चाहते हैं ? मैं यह कह देना चाहता हूं कि हमारे यही आई० सी० एस० और आई० एं० एस० हैं जिनको अपने देश से भी प्रेम है, जिनको समाजवादी व्यवस्था से भी प्रेम है और वे सरकारी नीति को सही तरीके से निर्धारित कर रहे हैं । यह कहना कि वे ठीक तरह से सरकारी नीति पर नहीं चल रहे हैं, मैं समझता हूं कि अपने प्रदेश के पढ़े लिखे व्यक्तियों और उन व्यक्तियों को, जो कि योग्य हैं, उनके साथ अन्याय करना है । आया अगर हमको कोई मैनेजेरिअल स्टेट कायम करनी हो, और यदि हमें ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करनी हो जो अच्छे तरीके से मजदूरों की सुख सुविधाओं का ध्यान रख सकें तो क्या हम उनका संचालन करने के लिये उन्हीं व्यक्तियों में से नहीं छांटेंगे ? अगर आप कहें कि ऐसे व्यक्ति को हम प्राइवेट सेक्टर में से छांटें तो इस समय उस पर राय देने के लिये मैं तैयार नहीं हूं कि उस प्रयत्न में हम कहां पर सफल होंगे । मैं आज यह कहता हूं कि जो लोग ला ऐंड आर्डर की व्यवस्था की रचना के लिये नौकरी में रखे गये हैं वे उत्तरोत्तर अपने को बदलते जा रहे हैं और उन कार्यों को सम्पादन करने में भी समर्थ होने जा रहे हैं । तो क्या हम उनके इस कार्य सम्पादन करने की सामर्थ्य को ? जोकि उनमें है उसको दूर करके उससे यह कार्य संचालन न करावें, इसलिये मैं नम्रता से यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने रोशनी और प्रकाश पहुंचाया है और मैं इस बात की घोषणा कर देना चाहता हूं कि जहां तक चुर्क मजदूरों का संबंध है उनको उसी तरह की सुविधायें और उन सुविधाओं से भी अधिक सुविधायें मिलेंगी जो किसी प्राइवेट सेक्टर के मजदूरों को प्राप्त हैं । यह इम्तहान का वक्त है और हम चाहते हैं कि समाजवादी व्यवस्था की रचना में हमें सफलता मिले । यह जो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं जिनको कि हम चला रहे हैं, उनके संचालन करने में तभी सफलता मिलेगी जब कि सहानुभूति पूर्वक हम संचालन करने वालों के साथ सहयोग प्रदान करने की चेष्टा करें । मुझे दुख है कि जितनी भी बातें यहां उपस्थित की गयी हैं, उनके पीछे एक ही दृष्टिकोण है और वह दृष्टिकोण यह है कि जो आलोचना की जाय वह गलत ढंग की हो। यह कहा गया है कि उद्योग के सिलसिले में सरकार जो कुछ भी कर रही है वह बिलकुल गलत ढंग से कर रही है, जनता का सारा रुपया बरबाद कर रही है और लोगों को उससे कोई मदद नहीं मिल रही है । यह रुपया जनता को उद्योग में लगाने के लिये और उनको रोजगार देने के लिये ही करोड़ों की संख्या में खर्च किया जा रहा है इस तरह की जो चीजें की जा रही हैं उसका मैं विरोधी हूं । अवश्य जो त्रुटियां हैं, जो खराबियां हैं, उनकी आलोचना कीजिये परन्तु अगर आप यह आलोचना इस प्रकार से करें कि अगर पहाड़ में उद्यान लगाया जाता है, और फलों का रोजगार बढ़ाया जाता है या लोगों को ऊन इंडस्ट्री के सिलसिले में शिक्षा प्रदान की जाती है और दूसरे उद्योगों को बढ़ाने के लिये सरकार पैसा खर्च करती है तो यह कहना कि यह सब रुपया बेकार खर्च हो रहा है बिलकुल गलत है । इस तरह की आलोचनाओं से मैं बिलकुल सहमत नहीं हूं । मैं समझता हूं कि यह आलोचना सिर्फ एक आलोचक के ही नाते इस सदन में उपस्थित की जाती है, उसकी मन्शा यह हरगिज नहीं होती कि रचनात्मक सुझाव दें और त्रुटियों को दूर कराने की कोशिश करें । मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैंने जो कुछ पहाड़ों में जाकर देखा है, यद्यपि मुझे वहां जाने का अधिक अवसर नहीं मिला है, लेकिन जो काम वहां किये गये हैं उनसे उत्तरोत्तर पहाड़ के लोगों के दिल में एक उत्साह, एक आशा उत्पन्न हो गई है और वह समझते हैं कि हमारी सरकार वहां से बेरोजगारी दूर करना चाहती है और वहां के लोगों को व्यवसाय में लगाना चाहती है, उन को उद्योग में लगाकर रोजगार देना चाहती है । मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जो हमने फलो का उद्योग पहाड़ों में चलाने का प्रबन्ध किया है उससे हम आशा करते हैं कि वह दिन दूर नहीं जब वह उद्योग हमारे प्लेन के आदमियों को स्वास्थ्य प्रदान करेगा और उनको सुन्दर फल आदि देकर उनके स्वास्थ्य की रक्षा करने में सहायक बनेगा जिस स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिये वह करोड़ों रुपया व्यय करते हैं और लाखों रुपया बाहर से दवा और सामान मंगाने में व्यय करते हैं ।

कई सदस्यों ने बहुत से सुझाव दिये मैं उनका बहुत ही अनुगृहीत हूं । उन्होंने हैन्ड लूम इंडस्ट्री के बारे में कहा कि उसको सेल टैक्स से मुक्त करना चाहिये, और इस पर सरकार को

विचार करना चाहिये। मैं सदन को बताना चाहता हूंकि सरकार ने यह नीति यार्न को सेल्स टैक्स से मुक्त करने और दूसरे विषयों के बारे में पहले से ही बना रखी है, और वह इन तमाम प्रश्नों पर विचार कर रही है। और हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही फाइनेंस कमेटी की सलाह से हम ऐसे निर्णय पर पहुंच सकेंगे जिससे यार्न के और हैन्डलूम के विषय पर और सेल्स टैक्स आदि के संबंध में ही कोई सही कदम उठा सकें। यह बात भी उन्होंने हैन्डलूम इंडस्ट्री के बारे में सुझाव के रूप में कही कि कुछ ऐसा कदम सरकार की तरफ से उठना चाहिये जिससे हैन्डलूम इंडस्ट्री को बराबर उन संघर्षों का मुकाबिला न करना पड़े जिनके कारण वह ऊपर नहीं उठ सकती, यानी यह कि हम किसी प्रकार के काउन्ट निर्धारित कर दें .....

श्री अध्यक्ष--समय समाप्त हो रहा है, इसका आप जरा ध्यान रख लें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--कि वह काउन्ट तो हैन्डलूम के व्यवसाय में उपयोग में लाये जायं और ऐसे काउन्ट का यार्न मिलों में लगेगा। इस प्रकार की भावना से सरकार को सहानुभूति है, लेकिन सरकार इस विषय पर कतई निर्णय स्वयं नहीं कर सकती है क्योंकि इसका संबंध बड़े उद्योगों से है जिन का संचालन केंद्रीय सरकार करती है। मुझे खेद है कि मैं सभी उठाये गये प्रश्नों का उत्तर समय कम होने के कारण नहीं दे सकता, ताहम मैं फिर उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जिन कमियों और त्रुटियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है वह कमियां और खामियां अगर हैं तो वह अवश्य इस उद्योग विभाग से दूर की जायेंगी और इस की बराबर चेष्टा की जायगी। हम चाहते हैं और सदन को विश्वास दिलाते हैं कि इस प्रदेश के रहने वालों को अधिक से अधिक रोजगार दे सकें और इस देश और प्रदेश के रहने वालों का जीवन स्तर हर दिशा में ऊंचा कर सकें। अन्त में फिर से एक बार माननीय सदस्यों को धन्यबाद देता हूं और अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २७ के अन्तर्गत एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७-उद्योग (लेखा शीर्शक ४३-उद्योग) के अन्तर्गत ४,२८,९३,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७ के अन्तर्गत एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७-लेखन सामग्री और छपाई (लेखा शीर्षक ५६-लेखन सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि-सरकारी छापाखाना) के अन्तर्गत ९२,४५,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५ के अधीन एक रुपये की कटौती स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५--औद्योगिक विकास (लेखा शीर्षक ७२--औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत) के अन्तर्गत ६७,०४,५०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन सायंकाल ६ बजकर ३ मिनट पर सोमवार, २८ मार्च, १९५५ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ ;
२५ मार्च, १९५५।

संसद टीवी

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७४ पर)

क्रम संख्या	स्कूल का नाम	प्राप्त की गयी भूमि।
१—	जूनियर हाई स्कूल, चिचारा	१० एकड़
२—	,, सुमेरपुर	१०·४९ एकड़
३—	,, कोरारा	१३·०३ एकड़
४—	,, रिवन	७ एकड़
५—	,, इगोहटा	९·७२ एकड़
६—	,, जैतपुर	१७ एकड़
७—	,, जरिया	१०·९४ एकड़
८—	,, पिपरामाफ	१० एकड़
९—	,, कनकुवा	१०·३५ एकड़
१०—	,, अजनरा	९ १/२ एकड़
११—	,, विदोखर	१०·१० एकड़
१२—	,, गहरोली	७ एकड़
१३—	,, जराखर	१२·४३ एकड़
१४—	,, सिसोलर	१२·६३ एकड़
१५—	,, वैरी	११,३/४ एकड़
१६—	,, जिगनी	११·४३ एकड़
१७—	,, इटैलिया	१०·५६ एकड़
१८—	,, पचुखुरा	९·२६ एकड़
१९—	,, सरौला	९·२५ एकड़
२०—जनतंत्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कुलपहाड़		४·१/२ एकड़

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८० पर)

फैजाबाद कमिश्नरी में सन् १९५४ के हाई स्कूल परीक्षा केंद्रों की सूची

तालिका (क)

फैजाबाद

१८ १—राजकीय इंटरमीडियेट कालेज, फैजाबाद
२—एम० एल० एम० एल० इंटरमीडियेट कालेज, फैजाबाद
३—फार्क्स हायर सेकेंड्री स्कूल, फैजाबाद
४—राजकीय महिला इंटरमीडियेट कालेज, फैजाबाद
५—विश्वेश्वर नाथ इंटरमीडियेट कालेज, अकबरपुर, फैजाबाद
६—महाराजा हायर सेकेंड्री स्कूल, अयोध्या, फैजाबाद
८—हॉबर्ट त्रिलोकीनाथ इंटरमीडियेट कालेज, टांडा, फैजाबाद
८—श्री अनन्त हायर सेकेंड्री स्कूल, खपड़ाडीह, फैजाबाद

गोंडा

१—राजकीय हायर सेकेंड्री स्कूल, गोंडा
२—टामसन हायर सेकेंड्री स्कूल, गोंडा
३—लायल कॉलिजिएट हायर सेकेंड्री स्कूल, बलरामपुर, गोंडा
४—डी० ए० वी० हायर सेकेंड्री स्कूल, बलरामपुर गोंडा
५—श्री गांधी विद्यालय हायर सेकेंड्री स्कूल, नबाबगंज, गोंडा
६—अम्बिकेश्वर प्रताप हायर सेकेंड्री स्कूल, मनकापुर, गोंडा

बहराइच

१—राजकीय हायर सेकेंड्री स्कूल, बहराइच
२—महाराज सिंह इंटरमीडियेट कॉलेज, बहराइच
३—तारा महिला हायर सेकेंड्री स्कूल, बहराइच
४—सादत हायर सेकेंड्री स्कूल, नानपारा, बहराइच

सुल्तानपुर

१—राजकीय हायर सेकेंड्री स्कूल, सुल्तानपुर
२—मधुसूदन विद्यालय इंटरमीडियेट कॉलेज, सुल्तानपुर
३—महात्मा गांधी स्मारक हायर सेकेंड्री स्कूल, सुल्तानपुर
४—केश कुमारी महिला हायर सेकेंड्री स्कूल, सुल्तानपुर
५—सी० एल० हायर सेकेंड्री स्कूल, चितापट्टी, सुल्तानपुर
६—श्री रणबीर हायर सेकेंड्री स्कूल, अमेठी, सुल्तानपुर

प्रतापगढ़

१—हायर सेकेंड्री स्कूल, कुंडा, प्रतापगढ़
२—हनुमत इंटर कॉलेज, कालाकांकर, प्रतापगढ़
३—हायर सेकेंड्री स्कूल, रानीगंज, प्रतापगढ़

बाराबंकी

१—सिटी हायर सेकेंड्री स्कूल, बाराबंकी
२—निबलेट इस्लामिया हायर सेकेंड्री स्कूल, बाराबंकी
३—राजकीय महिला हायर सेकेंड्री स्कूल, बाराबंकी
४—नैशनल इंटरमीडियेट कालेज, फतेहपुर, बाराबंकी
५—हिन्दू हायर सेकेंड्री स्कूल, रुदौली, बाराबंकी

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८० पर)

तालिका (ख)

केंद्र का नाम	केंद्र व्यवस्थापक की आख्या पर दंडित परीक्षार्थियों की संख्या
१६ १—फार्क्स हायर सेकेंड्री स्कूल, फैजाबाद	४
२—हार्बर्ट त्रिलोकीनाथ इंटरमीडियेट कालेज, टांडा, फैजाबाद	१
३—विश्वेश्वर नाथ इंटर कालेज, अकबरपुर, फैजाबाद	१
४—एम० एल० एम० एल० इंटर कालेज, फैजाबाद	१
५—श्री अनन्त हायर सेकेंड्री स्कूल, खपराडीह, फैजाबाद	१
६—टामसन हायर से० स्कूल, गोंडा	१
७—राजकीय हायर से० स्कूल गोंडा	१
८—लायल कालिजिएट हायर से० स्कूल, बलरामपुर, गोंडा	१
९—डी० ए० वी० हायर सेकेंड्री स्कूल, बलरामपुर, गोंडा	१
१०—सी० एल० हायर से० स्कूल, चितापट्टी, सुल्तानपुर	३
११—प्रताप बहादुर कालेज एन्ड एस० आई० स्कूल, प्रतापगढ़	२
१२—हायर सेकेंड्री स्कूल, पट्टी प्रतापगढ़	१
१३—नेशनल हायर सेकेंड्री स्कूल, फतेहपुर, बाराबंकी	४
१४—हिन्दू हायर सेकेंड्री स्कूल, रुदौली, बाराबंकी	१
१५—राजकीय हायर सेकेंड्री स्कूल, बहराइच	२
१६—महाराज सिंह इंटरमीडियेट कालेज, बहराइच	१

केंद्र का नाम	परीक्षक की आख्या पर दंडित परीक्षार्थियों की संख्या
१—बी० एन० इंटरमीडियेट कालेज, फैजाबाद	१
२—श्री रनबीर हायर से० स्कूल, अमेठी, सुल्तानपुर	२

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८० पर)

फैजाबाद कमिश्नरी में सन् १९५५ के हाई स्कूल परीक्षा केन्द्रों की सूची

फैजाबाद

२०—(१) एम० एल० एम० एल० इन्टर कालेज, फैजाबाद
(२) राजकीय महिला इन्टर कालेज, फैजाबाद।
(३) रामबली नेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल, गोसाईंगंज, फैजाबाद
(४) विश्वेश्वर नाथ इन्टर कालेज, अकबरपुर, फैजाबाद
(५) महाराजा हायर सेकेंडरी स्कूल, अयोध्या, फैजाबाद
(६) हाबर्ट त्रिलोकीनाथ इन्टर कालेज, टांडा, फैजाबाद
(७) श्री अनन्त हायर सेकेंडरी स्कूल, खपराडीह, फैजाबाद
(८) नरेन्द्रदेव हायर सेकेंडरी स्कूल, जलालपुर, फैजाबाद

गोंडा

(१) टामसन इन्टर कालेज, गोंडा
(२) श्री गांधी विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल, नवाबगंज, गोंडा

बहराइच

(१) राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, बहराइच
(२) राजकीय नार्मल स्कूल, बहराइच
(३) महाराज सिंह इन्टर कालेज, बहराइच
(४) तारा महिला इन्टर कालेज, बहराइच
(५) सादत हायर सेकेंडरी स्कूल, नानपारा, बहाराइच

सुल्तानपुर

(१) राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, सुल्तानपुर
(२) महात्मागांधी स्मारक हायर सेकेंडरी स्कूल, सुल्तानपुर
(३) केश कुमारी राजकीय महिला हायर सेकेंडरी स्कूल, सुल्तानपुर
(४) सी० एल० हायर सेकेंडरी स्कूल, चितापट्टी, सुल्तानपुर
(५) श्री रणवीर हायर सेकेंडरी स्कूल, अमेठी, सुल्तानपुर
(६) हनुमत हायर सेकेंडरी स्कूल, बिजयुआ, सूरापुर, सुल्तानपुर

प्रतापगढ़

(१) राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, प्रतापगढ़
(२) तिलक हायर सेकेंडरी स्कूल, प्रतापगढ़
(३) के० पी० हिन्दू हायर सेकेंडरी स्कूल, प्रतापगढ़
(४) राजकीय महिला हायर सेकेंडरी स्कूल, प्रतापगढ़
(५) हायर सेकेंडरी स्कूल, कोंहडौर, प्रतापगढ़।
(६) हायर सेकेंडरी स्कूल, पटी, प्रतापगढ़।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८१ पर)

सन् १९५३-५४ में जितने राजनैतिक पीड़ितों के छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में तथा पुस्तकों के हेतु सहायता प्रदान की गई थी उनकी जिलेवार संख्या :

	जिला	संख्या		जिला	संख्या
१	अलीगढ़	८	२७	झांसी	११
२	मथुरा	११	२८	जालौन	४
३	आगरा	१२	२९	बांदा	१
४	मैनपुरी	११	३०	हमीरपुर	३
५	एटा	—	३१	बनारस	७३
६	देहरादून	६	३२	मिर्जापुर	६
७	मुजफ्फरनगर	५	३३	जौनपुर	३४
८	मेरठ	१७	३४	गाजीपुर	१९
९	बुलन्दशहर	४	३५	बलिया	४०
१०	सहारनपुर	४	३६	गोरखपुर	४
११	बरेली	४	३७	बस्ती	५
१२	बिजनौर	४	३८	आजमगढ़	१८
१३	बदायूं	—	३९	देवरिया	१४
१४	मुरादाबाद	५	४०	लखनऊ	७५
१५	शाहजहांपुर	२	४१	उन्नाव	—
१६	पीलीभीत	—	४२	रायबरेली	४
१७	नैनीताल	११	४३	हरदोई	३
१८	अल्मोड़ा	२६	४४	सीतापुर	२
१९	गढ़वाल	—	४५	खेरी	१
२०	टेहरीगढ़वाल	—	४६	फैजाबाद	२९
२१	रामपुर	—	४७	गोंडा	—
२२	फर्रुखाबाद	३	४८	बहराइच	—
२३	इटावा	१३	४९	सुल्तानपुर	३
२४	कानपुर	२६	५०	प्रतापगढ़	१
२५	फतेहपुर	८	५१	बाराबंकी	४
२६	इलाहाबाद	७१	...		
	योग	२४३		योग	३५४
				कुल योग	५९७

परिशिष्ट 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ व २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८२ पर)

तालिका

क्रम-संख्या	स्कूल का नाम	विद्यार्थियों की संख्या	अध्यापकों की संख्या	अध्यापकों का स्केल	शिक्षण की दर	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६	७
१—गूंगे बहरों का स्कूल, बनारस	१६ (१९५२-५३)	२	१ प्रधानाध्यापक (१००-५-१०-६-१४०-७-१७५) १ सहायक (४५-२-८०)	३ रुपया प्रति मास	जिलाधीश, बनारस ने सूचना दी है कि १९५४ में केवल १ मास्टर इस स्कूल में था। वेतन क्रम के बारे में जांच की गई है।
२—मूक बधिर विद्यालय, पीलीभीत	१७ (१९५२-५३)	३	१ प्रधानाध्यक (१००-५-१५०-१०-२००) १ सहायक अध्यापक (७५-५-१२०-७-१७५) १ सहायक अध्यापक (४४ रु० प्रतिमास)	कुछ नहीं	जिलाधीश, पीलीभीत ने सूचना भेजी है कि यह विद्यालय जनवरी, १९५५ के प्रारम्भ से बन्द हो गया है और यहां पर किसी प्रकार का रजिस्टर आदि विद्यार्थियों तथा अध्यापकों की संख्या आदि के सम्बन्ध में नहीं रखा जाता था।
३—राजकीय मूक बधिर विद्यालय बरेली।	५२	६	१ प्रधानाध्यापक (२५०-२५-५००) ५ सहायक अध्यापक (७५-५-१७५)	कुछ नहीं	
४—उत्तर प्रदेश मूक बधिर विद्यालय, इलाहाबाद	४५	६	(ग्रेजुएट्स १२०-३००) अन्डर ग्रेजुएट्स (७५-५-१००-७-१७५)	५ रु० प्रतिमास	मासिक फीस के अतिरिक्त प्रवेश शुल्क, खेल की फीस, कारानमनो तथा गाड़ी की फीस भी देनी पड़ती है।

क्रम-संख्या	स्कूल का नाम	विद्यार्थियों की संख्या	अध्यापकों की संख्या	अध्यापकों का स्केल	शिक्षण की दर	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६	७
५—मूक बधिर विद्यालय, लखनऊ	६९	१३	१ प्रधानाध्यापक (२५०-२०-४५०-आ० द०-२५-५००) १२ सहायक अध्यापक (१००-५-१५०-आ० द—१०-२००)	६ रु० प्रतिमास	मासिक फीस के अतिरिक्त गाड़ी की फीस १० रुपये से १५ रुपये तक गाड़ी पर आने वाले विद्यार्थियों से पड़ती है। कम से कम ५ वर्ष के बच्चे इस स्कूल में भर्ती किये जाते हैं।
६—मूक बधिर विद्यालय, बिजनौर।	२०	-	-	-	अन्य विवरण इस विद्यालय के संबंध में प्राप्त नहीं है।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ११ एल० ए०—१९५५—७९६।